खण्ड-284, अंक-4
गुरूवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(11 जून, 1970 ई0)

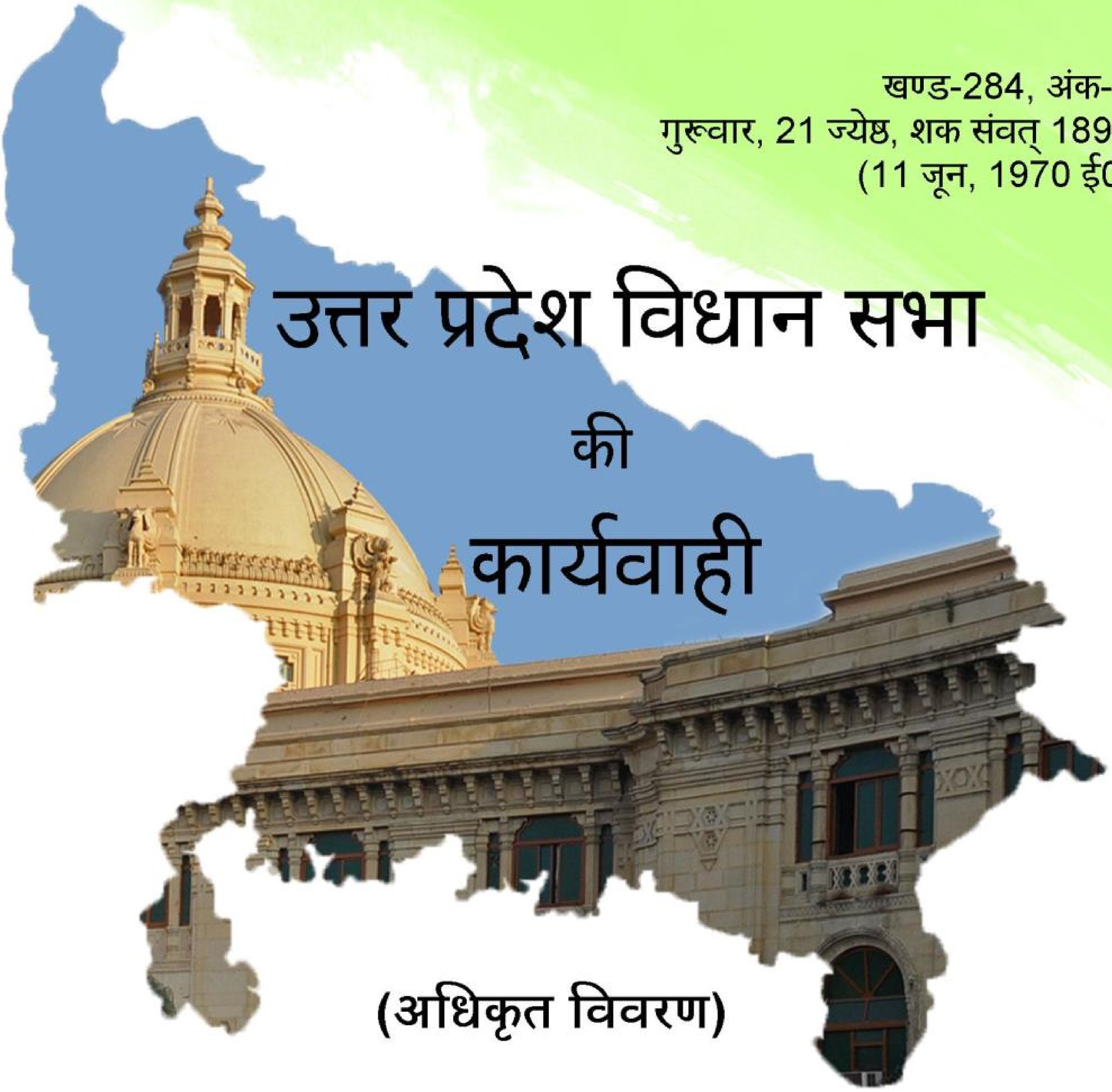

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 284 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३७३–३७७
प्रश्नोत्तर (जारी)	३७७
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	३७७–३७९
प्रश्नोत्तर	३७९–४१३
कार्यवाही से निकाले गये अंशों के समाचार-पत्रों में छपने पर आपत्ति ..	४१३
आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक के बारे में पूछ-तांछ (जारी)	४१३–४१६
विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पूछ-तांछ (जारी)	४१६–४१८
आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक के बारे में पूछ-तांछ	४१८–४१९
विधान परिषद् क उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पूछ-तांछ	४१९–४२०
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का ११ वां वार्षिक प्रतिवेदन (१९६८–६९) (सदन के पटल पर रखा गया)	४२०
सरकार द्वारा जनहित में प्रश्न का उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	४२०
अमेरिका के फेडरल ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऐक्ट, १९४६ की भांति विधि बनाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	४२१
अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	४२१
सहकारिता मंत्री के विरुद्ध जान-बूझ कर गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४२१–४२३
बिक्री-कर मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	४२३–४२५
समाचार-पत्रों में गलत नाम प्रकाशन के सम्बन्ध में शिकायत	४२५–४२६
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २५–उद्योग, अनुदान संख्या ४१–लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अनुदान संख्या ४८–औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	४२६–४७०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४७१–४७३
श्री के० बी० शुक्ला की राज्य प्रशिक्षण सेवा में तथाकथित गैर कानूनी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	४७३–४७९
नत्थियां	४८०–४८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ११ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३४९

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
अशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप , श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत ,श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धम सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल , श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, (श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमतात मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांण्डेय, श्री
राजन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री , श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलार, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यार, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री

रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुरफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसादसिंह, श्री
हंसा, श्री

हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, ११ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्र के लिये ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले का चयन

**१—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि कृषि मंत्री जी ने दिनांक २४ मई, १९७० को उत्तर प्रदेश निवास नई दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस करते हुये इस बात की शिकायत की कि केन्द्रीय सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केवल एक ही जिला दिया है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में कृषि मंत्री केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य या प्रधान मंत्री से भेंट की थी और यदि हां,तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

जी हां, मैंने नई दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेन्स में यह सूचना दी थी कि केन्द्रीय सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल मिरजापुर जिला चुना है। इस संबंध में केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिला भी था। अधिकारियों के स्तर से भी केन्द्रीय सरकार को वांछित आंकड़े भेजे गये हैं। मुझे आशा है कि उपरोक्त कार्यक्रम में और अधिक क्षेत्र लाने के प्रयास में राज्य सरकार को सफलता प्राप्त होगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद उठाइये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, शुरू में ही उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न, पहले प्रश्न के संबंध में ही है।

श्रीमन्, कल भी हमने आपको अर्ज किया था और इस बात पर एतराज किया था कि कुछ न कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसके कारण मंत्री जी अपने सुविधाजनक प्रश्नों को आपके कार्या-

लय में मेनोवरिंग करके आगे ले आते हैं और हमारे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आ नहीं पाते हैं। आपने कल कहा था कि जांच करायेंगे। आज पहला जो प्रश्न है वह कृषि मंत्रीजी के बदायूं से संबंधित है जिसके बारे में कल इतना संघर्ष हुआ था और कल जब यह प्रश्न आया तो हमको मुश्किल से १०–१५ मिनट ही मिल पाये। समय खत्म हो गया और ठीक प्रकार से हम विचार भी नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष—

पौन घंटे तक विचार हुआ था।

श्री कृष्णानन्दराय—

आज पहला ही प्रश्न असरार अहमद साहब का है, जो बदायूं और कृषि मंत्रीजी से संबंधित है। यह हमारे साथ अन्याय है। इसको आप आउट आफ आर्डर डिक्लेअर कीजिये नहीं तो हम लोगों के प्रति बहुत ही अन्याय होगा।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

श्रीमन्, अपनी रूलिंग देने से पूर्व आप मुझको भी सुन लीजिये क्योंकि इस प्रश्न का संबंध मुझसे है।

श्री अध्यक्ष—

मुझको कह लेने दीजिये। बात यह है कि मैंने इस संबंध में इंक्वायरी की। ऐसी चीज आपको नहीं कहना चाहिये जिसमें तथ्य न हो। मैंने इसको देखा। मोहम्मद असरार अहमद साहब ने २८ तारीख को १० सवाल दिये थे। २८ तारीख के प्रश्न को ३० तारीख को हमारे डिप्टी साहब ने मंजूर किया। ४ तारीख को मंत्रीजी के पास वह भेजा गया। ८–९ तारीख को वह लौट कर आया। उसके बाद जो आर्डर उस पर हुआ, वह यहां पर मौजूद है। जहांतक कृष्णचन्द्र शर्मा जी के प्रश्न का संबंध है, वह ३ तारीख को दिया गया था। उसको स्वीकार करने के बाद मंत्रीजी के पास भेज दिया गया। ८ तारीख को वह वापस हुआ। मैंने उस पर आर्डर दे दिया कि चूंकि इस संबंध में वक्तव्य होने वाला है। अतः उसके साथ-साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः आप जो कह रहे हैं, यह गलतफहमी की बात है। ऐसी बात हमारे यहां नहीं होती। आप हमारे यहां के फाइल और रजिस्टर्स देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यह भी कह दिया है कि आपके नेता इकट्ठा हो जांय और इसको देख लें। उसमें आपको यह मालूम हो जायगा कि किस रोज कोई प्रश्न आया और किस रोज वह दिया गया। अगर उसके विरुद्ध कोई बात सही पायी गयी तो मैं आपके निर्णय को मान लूंगा। इसमें कोई व्यवस्था का ऐसा प्रश्न नहीं है। यह २८ को दिया हुआ प्रश्न है और मंत्रीजी के पास जो तारीख ऊपर दी हुई है उस तारीख को गया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न इन्हीं के क्योंकर अधिक आते हैं और अब तो सारी बात दिल्ली के ही लेविल पर है। एक प्रश्न पहले भी यही था कि जो कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें क्या कहा था। सूखा के बारे में अनेकानेक बार प्रश्न पूछे गये हैं। अब आप के विवेक पर है, आपने इसको महत्व दिया। लेकिन एक ही शब्दावली आती है तो भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है।

श्री अध्यक्ष—

आपका स्वागत है। आप हमारे रजिस्टर वगैरह सब देख लीजिये। हमारा आफिस सदन का आफिस है। सदन के आफिस के ऊपर कोई भी लांछन आता है तो मैं समझता

हूं कि यह मेरी कमी है। आप देख लीजिये, उसके बाद अगर आपको शक हो तो आप कह सकते हैं। एक रास्ता रखिये। आप अपनी पार्टी के नेता को कहें वह देख लिया करें। इसकी एक कमेटी, जैसा मैंने कल ही कह दिया, बना देता हूं। उस कमेटी के सामने रख दिया जाय। अगर आपको जरा भी शक हो तो मैं सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा क्योंकि मेरा आफिस सब का सेवक है। इसके बारे में जरा भी शक हो जाय तो आप देखने के बाद शक पैदा कीजिये, लेकिन यह कहना कि आपस में कोई मिली भगत है, तो ऐसी बात नहीं है। एक चीज मैं बता दूं। यह हो सकता है कि मंत्रीजी अपने किसी आदमी से कहें कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, कृपा कर के आप यह प्रश्न कर लें। आपके नेता भी इस तरह से कर लेते हैं कि यह प्रश्न आप पूछिये और यह प्रश्न आप पूछिये। ऐसा बटवारा प्रश्न पूछने का उनके बीच में भी हो सकता है। लेकिन हमारे दफ्तर में यह आर्डर्स हैं मेरे कि अगर कोई टेलीफोन पर यह बात करे तो उस चीज को मानना नहीं चाहिये। अगर मंत्रीजी बात करें तो मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने क्यों एक कर्मचारी से ऐसी बात कही। वह लिख कर भेजें लेकिन हमारे किसी भी कर्मचारी से टेलीफोन कर के काम नहीं करा सकते हैं। अगर किसी ने किया है तो मैं उसके ऊपर सख्त कार्यवाही करूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न (क्रमागत)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

माननीय मंत्रीजी ने मिर्जापुर के अलावा और भी जहां सूखा पड़ता है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से क्या कार्यावाही की है?

श्री शिवराज सिंह—

इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा दो पत्र प्रधान मंत्री महोदया को लिखे गये हैं। एक पत्र ३–४–७० को और दूसरा २९–४–७० को। पहले पत्र में ७ जिलों को ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की प्रार्थना की गयी थी और इसके आधार पर २९–४–७० के पत्र में १४ जिलों को इस कार्यक्रम के अन्दर सम्मिलित करने के लिये उनसे अनुरोध किया गया था।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने प्रधान मंत्री को या केंद्र के किसी अन्य मंत्री को कोई लिखित ज्ञापन इस आशय का दिया है कि केंद्रीय सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को केवल एक ही जिला दिया है या और स्कीमों में २, ४ जिले दिये हैं? और यदि कोई लिखित ज्ञापन दिया है तो उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इसके संबंध में हमने प्रधान मंत्री महोदय, को और केंद्र के खाद्य मंत्री महोदय को लिखित रूप से यह लिख कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर जितने जिले दिये गय हैं उनसे अधिक मिलना चाहिये और श्रीमन् आपका आदेश होगा तो उसे पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

पढ़िए।

श्री शिवराज सिंह—

इस समय वह पत्र मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उसे आज शाम को पढ़ कर सुना दें।

श्री शिवराज सिंह—

मैं सुना दूंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों के नाम बतायेंगे जिनके मुतालिक केंद्र को लिखा है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले पत्र में जिनका उल्लेख किया है वह जिले यह है—मिर्जापुर, झांसी जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद और वाराणसी । दूसरे पत्र में ७ जिले सम्मिलित किये हैं । वे हैं कानपुर, फतेहपुर, बलिया, गाजीपुर, हरदोई बाराबंकी व प्रतापगढ़ ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को मूल रूप में सदन की मेज पर रखेंगे जो केंद्रीय सरकार ने लिखा है कि यह-यह शर्तें होनी चाहिये जिनके आधार पर जिलों का चयन हो ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य को कुछ भ्रांति हो रही है । तीन प्रकार की योजनायें हैं जिनके संबंध में चर्चा हो रही है । एक लघु कृषक उन्नति योजना है जिसके अन्तर्गत ढाई एकड़ से लेकर साढ़े सात एकड़ वाले किसानों को लाभान्वित करने की योजना है । दूसरी योजना है सब-मार्जिनल कृषक और खेतिहर मजदूर के संबंध में । मान्यवर, यह ढाई एकड़ से छोटे किसानों से संबंधित है । तीसरी योजना है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये कि वहां किस तरह लोगों से काम लिया जाय और उनकी मदद की जाय । यह तीसरी योजना है जिसके संबंध में आज यहां प्रश्न उठाया गया । दो योजनाओं के संबंध में जिलों के चयन करने के संबंध में केंद्र की ओर से निर्दिष्ट माप दण्ड है जो मैंने कल वक्तव्य दिया है उसमें स्पष्ट बता दिया है । जहां तक सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के चयन करने का प्रश्न है, यहां से सूची मांगी गई थी उनमें से चयन करना पूर्णतया केन्द्रीय सरकार का अपना कर्त्तव्य है ।

श्री अध्यक्ष—

कल सवेरे आपने जो कहा था कि यह-यह शर्तें हैं, उसको जानना चाहते हैं । उसको आप ले आएं मैं पढ़ कर सुना दूंगा । वह शर्तों के बारे में है ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर वह पत्र अंग्रेजी में है । उस अंश का ट्रांसलिट्रेशन जिसमें इन जिलों के चयन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने मापदण्ड निश्चित किया है उस वक्तव्य के अन्दर समावेश है ।

श्री अध्यक्ष—

वह ओरिजिनल देखना चाहते हैं ।

श्री शिवराज सिंह—

उसको मैं आपके कमरे में दिखा दूंगा । आप उचित समझें तो सदन की मेज पर रख दें । मेरी ओर से इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सवाल पूछा गया है केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में और आप हवाला दे रहे हैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य का जो उन्होंने कल दिया है ।

उसके ऊपर उनका प्रवचन हो रहा है । क्या आप इस तरह से सदन के समय का दुरुपयोग करायेंगे कि सवाल कुछ, जवाब कुछ हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक आपने बात कही, लेकिन सवाल कल इस किस्म का पूछा गया था और मैंने कहा कि इसी दृष्टि से उन्होंने प्रश्न पूछा है, उसके बारे में कह दीजिए वरना वह प्रश्न बार-बार उठता चला जायगा। यह ठीक है कि वह उठाना नहीं चाहिये, यह सही है।

श्री राम करन (गोरखपुर)—

मेरा निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दी तो क्या आप मंत्री जी से विषयान्तर सवाल पूछने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न वह नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

जो सामुदायिक विकास मंत्री जी ने केन्द्र को सलाह दी १४ जिलों के बारे में उसम कुछ सुझाव भी दिये थे कि इन जिलों में इन सुझावों के जरिये सूखा का मुकाबला किया जा सकता है ? अगर कांक्रीट कुछ सुझाव दिये हैं तो उनको कृपया सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

यह योजना केंद्रीय सरकार की है। इसका निर्माण और पूरे तौर से निर्देशन केंद्रीय सरकार का है। प्रदेशीय सरकार की ओर से केवल उन जिलों की सूची मांगी गई थी जहां सूखा पिछले वर्षों में पड़ा हुआ था।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि इससे कम दुर्भिक्ष और बाढ़ मद्रास में आयी थी और डी० एम० के० सरकार ने इतना प्रभावी पत्र केंद्रीय सरकार को लिखा कि उन्होंने २५ कराड़ की योजना ६ जिलों के लिये दी है तो उत्तर प्रदेश में १० करोड़ की आबादी है तो क्या पत्र म अन्य प्रान्तों का भी हवाला दिया है कि इस प्रकार भेद भाव क्यों बरता जा रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह जो माननीय राम गोपाल सण्ड ने सवाल उठाया है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। यह तो जो ड्राउट डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी स्कीम थी तो उन्होंने जिले मांगे थे तो हमने कहा कि १४ जिले आते हैं। तो उनकी तरफ से ३ जिलों को देने की बात थी और फिर अनाउंसमेंट किया गया केवल एक जिले का। हम प्रेस कर रहे हैं कि इन सूखाग्रस्त जिलों में जो १४ आते हैं उनके लिये होना चाहिये। आप दूसरा सवाल उठा रहे हैं। डी० एम० के० सरकार की जो बात है तो वह एक स्पेशल अकोमोडेशन या स्पेशल असिस्टेंस का प्रोग्राम है, उसमें कुछ सूबों को ज्यादा दिया है। तो उसमें हम अलग प्रेस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को स्पेशल अकोमोडेशन में भी कुछ रुपया मिलना चाहिये। अभी तक मिला नहीं है।

श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन १४ जिलों को सूखाग्रस्त होने के करण सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया और केवल एक जिला मिला तो दूसरे प्रदेशों में जो इस तरह की सहायता दी जा रही है और उनको ज्यादा जिले मिले हैं, इस पर प्रकाश डाल सकेंगे ?

श्री चरण सिंह—

दूसरे सूबों को ज्यादा जिले मिले हैं जो कि हमको मिलने चाहिये थे, उसके बारे में लिखा-पढ़ी कर सकते हैं। दो बार लिख चुके हैं। मैंने भी लिखा और उनकी तरफ से भी जा चुका, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। कृषि मंत्री जी ने बहुत सी योजनाओं का जिक्र किया है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं में से किसी योजना को पर्वतीय अंचल के जिले के लिये उन्होंने चुना है ?

श्री अध्यक्ष—

सूखाग्रस्त के संबंध में यह है। आप सूखाग्रस्त के लिये पूछिए।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं यह पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने जो सूखाग्रस्त जिले चुने उनका मापदण्ड क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

जो तीन योजनाएं बतलाई गई वह सभी सूखाग्रस्त की नहीं है बल्कि मारजिनल किसान जो हैं उनके सिलसिले में वह है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बतलाया।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

केंद्रीय सरकार ने तीन जिले चुने थे जिसमें से उन्होंने एक जिला डिक्लेयर किया है। दो जिले और कौन से हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जिलों का चयन करना केंद्रीय सरकार का काम है। यहां से सूची भेज दी गई है। अब वह कौन से जिले चुनेंगे यह केंद्रीय सरकार के विवेक पर है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा—)

सूखाग्रस्त योजना के अन्दर जो जिला लिया गया है उसको केंद्र से कितनी सहायता मिल रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, भारत सरकार ने संकेत किया है कि मिर्जापुर जिला जो सूखाग्रस्त योजना में लिया गया है उसको ६६.२६ लाख रुपया चालू वित्तीय वर्ष में दिया जायगा।

श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

क्या वह रुपया १४ जिले जो सूखाग्रस्त है उनको बांट दिया जायगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

पर्वतीय जिलों को मिलाकर, एक अलग राज्य बनाने की मांग

**२—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अभी गत सप्ताह प्रदेश के पहाड़ी जिलों का एक अलगराज्य मेघालय राज्य के समान बनाने की मांग पहाड़ी क्षेत्रों की सभी राजनैतिक पार्टियों ने राज्य सरकार से की है ? यदि हां, तो यह मांगें किन-किन कारणों से हुई हैं और उनकी मांग क्या है ?

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी मांग किसी राजनैतिक पार्टी से प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राम चन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि क्या केंद्रीय सरकार से ऐसी कोई मांग हुई है, और यदि हुई है तो क्या उसकी जानकारी उन्हें है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि गाजीपुर, देवरिया आदि और आजमगढ़ में कहां से नये बादल आ गये ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, सदन की मांग है और प्रदेश की यह मांग है जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री समाजवाद के बारे में कहते हैं, क्या यह उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं । हमारे मुख्य मंत्री तो दल बदलू हैं और वह यह केंद्र से कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश को अधिक से अधिक ग्रान्ट दी जाय ।

श्री चरण सिंह—

आप गलत बात कहते हैं ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पृथक पर्वतीय राज्य बनाने की मांग को लेकर पर्वतीय अंचलों के कुछ नेताओं का वक्तव्य अखबारों में आया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो पहाड़ी सूबे की मांग उठी है बड़ी ही खतरनाक मांग है इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से इस प्रकार की मांग आ रही है और इसको रोकने के लिये वह कौन सा विशेष यत्न करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है । अगर कोई चीज जनता की है तो केंद्रीय सरकार जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, जनता का उल्लेख क्यों किया जा रहा है । क्या इसमें कोई व्यक्ति विशेष है जिन्होंने इस प्रकार की मांग की है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री चरण सिंह—

वह कहते हैं कि जनता इस प्रकार की मांग कर रही है अतः यह प्रश्न हमारा नहीं है वरन् गवर्नमेंट आफ इंडिया का है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अलग से जो स्वायत्तशासी राज्य की मांग की जा रही है उसका कारण संभवतः यह है कि सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करने की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है । वहां के जो प्राकृतिक संपदा हैं, आर्चड हैं अन्य प्राकृतिक उपलब्ध साधन हैं उनका विकास यह सरकार करने में असमर्थ रही है और वहां के जन जीवन में इसी कारण असंतोष व्याप्त है जिसके कारण इन पर्वतीय अंचलों को पृथक करने की मांग की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिस प्रकार से मेघालय का राज्य बन गया उसी प्रकार से हमारे यहां के पर्वतीय क्षेत्रों को अलग कर पृथक राज्य की मांग की जा रही है । सरकार को इसका कारण मालूम करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उनके पास इस प्रकार की कोई मांग नहीं आई तब वे इसको कैसे बता दें ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो एक प्रश्न था जिसका उनको कोई उत्तर तो देना चाहिये था । आप अध्यक्ष महोदय उनको इस विषय में कोई उत्तर देने के लिये ही नहीं कहते हैं ।

श्रीमन्, मेरे सवाल का वह कुछ तो जवाब दे दें । उनकी तरफ से आप जवाब दे देते हैं कि प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि उन्होंने पहला जवाब दिया कि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी मांग किसी राजनैतिक पार्टी से नहीं प्राप्त हुई । जब यह जवाब है तो वह आपका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । यह सही हो सकता है कि किसी राजनैतिक पार्टी से लिखित मांग न आयी हो । लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि पर्वतीय जिलों में ही नहीं बल्कि पूर्वी अंचल और बुन्देलखण्ड के इलाके में भी इस बात की अनेकों मीटिंग हो रही हैं कि इस सरकार का रवैया पिछड़े इलाकों के लिये खराब है और इसलिये बिलगाव की प्रवृत्ति हो रही है और क्या उसका निराकरण करने में कोशिश करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, इसमें एक आरोप निहित है लेकिन चूंकि आपने इजाजत दे दी इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि कोई ऐसा इरादा नहीं है और यह बात भी नितान्त गलत है ।

श्री धर्मवीर—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस प्रकार की कोई मांग राजनैतिक दलों से नहीं हुई, लेकिन इस सूचना को सही मानकर कि पिछले सप्ताह समाचार-पत्रों में इस प्रकार का समाचार छपा है कि पर्वतीय जिले के लोग असंतुष्ट हैं और पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, क्या वह इस बात का पता लगायेंगे कि कौन ऐसे लोग और एजेंसीज हैं जो इस प्रकार के विघटनकारी तत्वों को लेकर पृथक राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं, कोई इरादा नहीं है हमारा ऐसा ।

लखनऊ के सरकारी मकानों का आवंटन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा होना

**३—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ के सरकारी मकानों का आवंटन राज्य सम्पत्ति अधिकारी के हाथों से निकाल कर सार्वजनकि निर्माण विभाग के किसी उप-सचिव को सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी नहीं ।

श्री नगीना सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदस्यों के रहने के लिये कितने फेमिली सूट्स हैं और कितने सदस्यों को दिये गये हैं और कितने गैर-सदस्य रहते हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

फेमिली सूट्स का तो यह प्रश्न है नहीं । यह तो सरकारी आदमियों के बारे में है । लेकिन जहां तक फमिली सूट्स का संबंध है —

विधायक निवास नं० १ में २०६
विधायक निवास नं० २ में १०३
विधायक निवास नं० ३ में ४८
विधायक निवास नं० ४ में ११८ हैं ।

श्री नगीना सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्वार्टर ऐसे हैं जिसमें गैर सदस्य रहते हैं ।

श्री धर्म सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि ऐसे कितने सूट्स हैं जिनमें ऐसे अधिकारी रहते हैं जिनके बने हुए अपने मकान अलग से हैं ?

श्री धर्मसिंह—

इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं है । यह तो सरकारी कर्मचारी के बारे में है । जो सूचना आप चाहते हैं वह मेरे पास नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की भर्ती को लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त करना

*१—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे गुरुवार, १२ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने यह बताया था कि चूंकि सचिवालय के अवर वर्ग में भर्ती आयोग के माध्यम से होती है इसलिये इस वर्ग के कर्मचारियों को बिना आयोग की परीक्षा पास किये स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि सचिवालय के अवर वग कडर में भर्ती आयोग के माध्यम से क्यों होती है जब कि इसी वेतन क्रम में (१२०–२५०) कार्य करने वाले राज्य के किसी भी विभाग के कर्मचारियों की भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं होती ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सचिवालय के अवर वर्ग कैडर के कर्मचारियों का राज्य सरकार के किसी भी अन्य विभाग के समान वेतन-क्रम के कर्मचारियों की अपेक्षा एक विशेष महत्व है। अतः इनकी तुलना शासन के अधीनस्थ कार्यालयों के समान वेतन पाने वाले कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। सचिवालय के अवर वर्ग कैडर के कर्मचारियों से अपेक्षित कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए इनकी भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है। इस सम्बन्ध में यह बतलाना भी उचित होगा कि जो नियमावली इस लिपिक वर्ग कर्मचारियों के सेवा के बारे में है उसके अनुसार भर्ती आयोग के माध्यम से ही हो सकती है।

*२—श्री प्यारे लाल—

क्या यह सत्य है कि सचिवालय के अवर वर्ग तथा प्रवर वर्ग के सहायकों की शैक्षिक योग्यता परीक्षा का स्तर तथा प्रश्न पत्र एक ही होता ह, और सचिवालय में भर्ती हेतु परीक्षा भी एक साथ ही होती है ? यदि हां, तो वेतन-क्रम में इतना अधिक अन्तर क्यों है और अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग में स्थायी नियुक्ति हेतु पुनः आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करना क्यों आवश्यक है ? क्या सरकार उन्हें उक्त परीक्षा से मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। प्रवर वर्ग सहायकों तथा अवर वर्ग सहायकों के कार्य और जिम्मेदारी भिन्न हैं और इसे ध्यान में रखते हुए वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के आधार पर इनका वेतन-क्रम अलग-अलग निर्धारित किया गया है। अवर वग सहायकों को प्रवर वर्ग में नियुक्ति हेतु पुनः आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक-वर्गीय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२ के नियम ५ द्वारा पठित नियम २२ के अनुसार बैठना पड़ता है। उन्हें इस परीक्षा से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्यारे लाल—

माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से संबंधित, जब सरकार यह मानती है कि सचिवालय के अवर वर्ग केडर की अपनी एक अलग विशेषता है और उसकी तुलना राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों से नहीं की जा सकती, तो सरकार इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रख कर और

अवर वर्ग केडर के सहायकों की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रख कर उनको उच्च वेतन क्यों नहीं देते जब कि अवर वर्ग की योग्यता भी ग्रेजुएट ह ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्रश्न सुनाई नहीं दिया, वह फिर से कर दें।

श्री प्यारेलाल---

जब सरकार यह मानती है कि सचिवालय के अवर वर्ग केडर की अपनी एक अलग विशेषता है और उसकी तुलना राज्य के अन्य विभागों····

(शोर)

श्री ओम प्रकाश सिंह---

वह अब भी नहीं सुनाई दे रहा है।

श्री प्यारे लाल---

तो मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। जब अवर वर्ग और प्रवर वर्ग की परीक्षा साथ साथ होती है और प्रश्न एक होते हैं तो इन दोनों के वेतन मान में अन्तर करने का क्या आधार है और अन्तर क्यों करते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

अवर वर्ग और प्रवर वर्ग दोनों अलग अलग केडर हैं, प्रवर वर्ग में अधिक दक्षता और जिम्मेदारी का काम है इसलिये उनका केडर व स्केल अलग है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे वर्ग को दूसरे वेतन क्रम में लाने के लिये और उनको उच्च वेतन देने के लिये एक वेतन आयोग की आवश्यकता होगी तो क्या सरकार कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनके साथ न्याय करने के लिये द्वितीय वेतन आयोग गठित करेगी ?

श्री चरण सिंह---

ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री प्यारेलाल---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब अवर वर्ग सहायक परीक्षा पास करके लिये जाते हैं और कई साल तक प्रवर वर्ग में काम करते हैं तो उनके लिये परीक्षा पास करना क्यों बाद में जरूरी होता है ?

श्री चरण सिंह---

समझ में नहीं आता कि सवाल में पहले दलील आ जाती है, वह साफ तरह से सवाल पूछें तो समझ में आये।

श्री प्यारे लाल---

जब अवर वर्ग के लोग एक बार परीक्षा पास कर लेते हैं और प्रवर वर्ग में कई साल तक काम भी कर लेते हैं तो उनको दोबारा परीक्षा क्यों देना पड़ती है ?

श्री चरण सिंह---

यह बिल्कुल अलग सवाल है कि कोई और परीक्षा होती है और क्यों होती है, इसका उत्तर इस वक्त नहीं दिया जा सकता, उसके लिये रूल्स देखने की जरूरत होगी।

श्री धर्मवीर—

उत्तर दिया गया कि वह तृतीय वेतन आयोग बिठाने नहीं जा रहे हैं लेकिन कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुये और उनमें व्याप्त असन्तोष को देखते हुये उनको कोई इन्टेरिम रिलीफ देने की घोषणा करेंगे और क्या वह इस बजट के बाद उनको कोई इन्टेरिम सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—

यह तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जब कमीशन ही मुकर्रर नहीं कर रहे हैं तो इन्टेरिम सहायता का क्या सवाल है, जब कमीशन की किसी फाइनल रिपोर्ट की ही बात नहीं है तो इन्टेरिम सहायता की बात कहां से आ गई।

सचिवालय के साक्षर दफ्तरियों का वेतन-क्रम बढ़ाना

*३—श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित), श्री रामधारी शास्त्री, श्री मुम्ताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामगोपाल सेठ (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सामान्य सचिवालय में साक्षर दफ्तरी के कितने पद हैं, यह पद कब से चल रहे हैं तथा किस वेतन-क्रम में ? क्या सरकार साक्षर दफ्तरियों के पदों को बढ़ाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साक्षर दफ्तरियों ने अपने वेतन क्रम को पुनरीक्षण के हेतु कोई ज्ञापन १९६६–६७ व १९६८–६९ के बीच में सरकार को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में साक्षर दफ्तरियों के तीन पद हैं, जो क्रमशः १ अप्रैल, १९४९, १ सितम्बर, १९६४ तथा १ दिसम्बर, १९६७ स चल रहे हैं। इनका वेतन-क्रम ६०–१–६५–द० रो०–१–७०–द० रो०–१–७५–द० रो०–१–८० रुपये हैं। साक्षर दफ्तरियों के पदों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं।

साक्षर दफ्तरियों से उनके वेतन-क्रम के पुनरीक्षण हेतु कोई ज्ञापन शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि साक्षर दफ्तरियों के जो तीन पद हैं वे किस किस विभाग में हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, ये जो तीन पद हैं उनमें से एक पद तो सचिवालय—पुस्तकालय में अस्थायी है, दूसरा विधि-परामर्शी पुस्तकालय में स्थायी है और तीसरा विधि–परामर्शी पुस्तकालय में अस्थायी है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २ सितम्बर, १९६६ को जुडिशियल सेक्रेटरी के यहां साक्षर दफ्तरियों ने एक पत्रक दिया था, जिसमें एक यह मांग की थी कि उनके स्केल रिवाइज कर दिये जायं। क्या इसकी जानकारी शासन को है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्रीमन्, इसकी कोई जानकारी शासन के पास नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सितम्बर, ६६ को एक ज्ञापन पत्र साक्षर दफ्तरियों द्वारा लीगल रिमेम्बरेन्सर को दिया गया था जिसका उत्तर दस दिन बाद दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। इस बात की मांग की गई थी कि इन पढ़े लिखे दफ्तरियों को ६०—८० का ग्रेड दिया जाय और वे रेशनेलाईजेशन कमेटी के दसवें अध्याय...

श्री अध्यक्ष—

आप पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड—

दसवें अध्याय के ८०वें पृष्ठ में लिखा है कि इस प्रकार के दफ्तरी जो पढ़े लिखे हैं उन्हें यह स्केल दिया जाय। इस जानकारी के अनुसार यह ग्रेड देने जा रहे हैं?

श्री चरण सिंह—

वे कमीशन की रिपोर्ट हमें तो जबानी याद नहीं है। माननीय रामगोपाल संड जी को भी याद नहीं है। वे कहीं से पढ़कर ले आये हैं। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे रेशनलाईजेशन कमेटी के पहले साक्षर दफ्तरियों को कुल मिलाकर १२५ रुपये तनख्वाह मिलती थी और वे रेशनेलाईजेशन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अब ९९ रुपये तनख्वाह मिलेगी।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, नोटिस की जरूरत है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निरक्षर दफ्तरियों में और जो साक्षर हैं उनके सेवा कार्यों में क्या अन्तर है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अब कोई अन्तर नहीं रहा। हिन्दी और इंगलिश का ज्ञान होना चाहिये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला सुल्तानपुर के थाना दोस्तपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर के थाना दोस्तपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री रामकृष्ण राय के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जनवरी, सन् १९६६ तथा उसके बाद के महीनों में कम्पलेंट अफसर, गोरखपुर ने जांच किया था और जांच में उक्त थानाध्यक्ष को दोषी पाकर १८ जून, १९६६ को अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही हेतु डी० आई० जी०, सी० आई० डी०, उत्तर प्रदेश की सेवा में भेज दी थी? यदि हां, तो कम्पलेंट अफसर की उक्त लिखित रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

थाना दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री रामकृष्ण राय के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का दिनांक १५—१—६६ का एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत थी। इस सम्बन्ध में उप-पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण गोरखपुर ने जांच की थी। उनकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच सी० आई० डी० उत्तर प्रदेश लखनऊ ने, उप पुलिस महानिरीक्षक सी० आई० डी० उत्तर प्रदेश लखनऊ को १८ जून, ६६ को भेजी थी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस रिपोर्ट के अनुसार उक्त थानाध्यक्ष द्वारा धारा १६६/१६७, २१८/३४२, भा० द० वि० का अपराध किया जाना प्रतीत हुआ। अतः उनके विरुद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया है जिसकी जांच हो रही है।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

जब सरकार को मालूम हो गया सी० आई० डी० की रिपोर्ट से कि वह भ्रष्टाचारी है, तो उसको मोअत्तल किया गया था नहीं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

केस १ मई, ७० को दायर किया गया।

श्री अध्यक्ष—

वे पूछ रहे हैं कि मोअत्तल किया गया या नहीं?

श्री चरण सिंह—

मोअत्तल नहीं किया गया।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

सी० आई० डी० रिपोर्ट जो सन् ६६ की है मिलने के बाद काफी विलम्ब से मुकदमा दायर क्यों किया गया और उसको यह छूट क्यों दी गयी कि उसको मोअत्तल नहीं किया गया?

श्री चरण सिंह—

यह बात ठीक नहीं है कि यह सन् ६६ का मामला है, इस सरकार का असर यह हुआ कि उसके खिलाफ दावा दायर किया गया। १-५-७० को वह दायर हुआ। इस बीच फाइल इधर उधर घूमती रही। मुझे इसकी ज्यादा इत्तला नहीं है, मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या आप पत्रावली से इस बात का भी पता लगायेंगे ठीक इसी सत्र में पहले भी यह प्रश्न आ चुका है और मुख्य मंत्री जी ने ठीक यही उत्तर पहले भी दिया था और उसी बात को आज भी रिपीट किया जा रहा है, तो क्या विशेष कृपा है आपकी जो यह बार बार आ रहा है? हमें पूर्ण स्मरण है, यह प्रश्न आ चुका है, आपका दफ्तर कुछ नहीं है। आप कार्यवाही देख लीजिये, यह आ चुका है। आपका दफ्तर तो अजीब तरीके से चलता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इन्टेरिम जवाब आया था, जब इन्टेरिम जवाब आता है तो प्रश्न १५ दिन बाद फिर रखा जाता है।

श्री धर्मवीर—

क्या यह सही है कि इस घटना में प्रश्नकर्ता के भाई का भी हाथ है, वे अध्यापक हैं और थानेदार ने चूंकि उनका चालान कर दिया था इसलिये यह प्रश्न यहां बार बार आ रहा है?

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

मेरा कोई भाई अध्यापक नहीं है, डाक्टर है, न ही कभी उनका चालान हुआ। चूंकि पुरानी सरकार का पाप है, इसलिये उसको दबाने के लिये माननीय कृष्णानन्द राय इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। पहले जब प्रश्न आया था तो यही उत्तर दिया गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह प्रश्न आया था और यही उत्तर दिया गया था।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)---

उत्तर यही दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। पिछली सरकार के पाप को छुपाने के लिये यह कहा जा रहा है। मुझे प्रश्न करने की इजाजत दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरी स्पष्ट मांग है, आप प्रोसीडिंग्स तलब कर लें। उसमें श्रीमन्, आप देखेंगे कि ठीक यह प्रश्न आ चुका है, उसके ठीक यही उत्तर आए हैं, और पहले भी यही आरोप लगाये गये हैं। तो क्या एक सदस्य जिस पर विशेष कृपा रहती है उनके दो-दो बार प्रश्न आते हैं और पूरा का पूरा सदन भूखों मरता रहता है। यह बड़ी गलत चीज है। आपके कार्यालय का कोई उच्च स्टैन्डर्ड नहीं दीखता, तो यह बहुत गलत चीज है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें इन्टेरिम जवाब आया था।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट के बाद भी थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया, जिस दरोगा ने हमारे और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पैसा लेकर झूठा मुकदमा कायम किया था, जिसमें हम बरी भी हो गये थे, तब एक स्मृति-पत्र दिनांक २९-१२-६६ को भेजा गया। फिर भी उस पर कोई कार्यवाही न हुई तो इसका क्या कारण है? तत्कालीन गृह मंत्री अपनी आंख से सब देख चुके थे तब भी उस दारोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसका क्या कारण था?

श्री चरण सिंह---

जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि गवर्नमेंट को सन्तोष नहीं है जिस तरह से इस पर कार्यवाही हुई है। माननीय कृष्णानन्द राय को तो समझाना मुश्किल है, लेकिन फक्ट यह है पहले यह आया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह कहना कि ठीक यही उत्तर दिया गया था, ठीक यही आरोप लगाये गये थे, कहना गलत है। आपने यह भी आरोप लगाया कि आपकी कृपा मालूम पड़ती है, जबान तो किसी की पकड़ी नहीं जा सकती है, कोई कुछ भी कह सकता है। हमारी कृपा तो इतनी रही है कि हमारी गवर्नमेंट ने आते ही मुकदमा दायर कर दिया है। अब मैं यह तहकीकात करूंगा कि मेरे पहले किस मिनिस्टर की और किस सदस्य की कृपा रही है।

जिले आजमगढ़ के ग्राम सुहवल के निकट पाया गया शव तथा उसकी जांच

*२---श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट क्षेत्र में सुहवल के निकट भैंसही नदी के पुल पर दिनांक १० अगस्त, १९६९ की रात्रि में किसी व्यक्ति का कत्ल कर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई थी? यदि हां, तो वह लाश किसकी थी और अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

प्राप्त सूचना के अनुसार एक अज्ञात शव ग्राम सुहवल के निकट भैंसही नदी के पुल के पास दिनांक १६-८-६९ को पाया गया था। इस सूचना पर दरयाफ्त हाल प्रारम्भ किया गया। जांच से पता चला कि यह लाश भोगल अहीर, निवासी ग्राम बांकीपुर, थाना निजामाबाद की थी, जो एक मुकदमें के सम्बन्ध में आजमगढ़ गया था। शव परीक्षण से मृत्यु का कारण अज्ञात रहा। [illegible] किया गया है। अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

*३—श्री श्याम लाल—

क्या मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक १५ अक्तूबर १९६९ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। उसमें उल्लिखित शिकायतों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ को यथोचित कार्यवाही एवं रिपोर्ट शासन को भेजने के लिये लिखा गया था।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक का पोस्टमार्टम किस तारीख को हुआ और उसकी जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पोस्टमार्टम १७ ८-६९ को किया गया है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि लाश सड़ गई है। काज आफ डेथ में लिखा है—"नाट क्लेयर हायली डिकम्पोस्ड, काज आफ डेथ कुड नाट बि एसरटेन्ड बिसरा प्रिजर्वड"।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न में है कि १० अगस्त की रात्रि को घटना हुई है और शासन की ओर से १६ अगस्त की रात्रि को घटना दिखायी गयी है, तो क्या भैंसही मवी पर दो हत्याएं हुई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरे पास एक ही सूचना है दूसरी तो है नहीं।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़-रानी की सराय)—

निजामाबाद थाने में इस प्रकार की अनेकानेक घटनाएं हुआ करती हैं, रोजाना कुछ न कुछ जानें जाती हैं, इस मामले के महत्व को देखते हुए, वास्तव में मेरे क्षेत्र का आदमी गायब हुआ था, क्या माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० के माध्यम से इसकी जांच करवा कर वास्तविक हत्यारे का पता लगाने की कोशिश करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जांच तो हो रही है लेकिन मेरे मित्र इतना बढ़ा रहे हैं कि रोजाना जानें जाती हैं।

श्री रामवचन यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले को ५१ में उठाया था, इतना आतंक फैला हुआ है कि कोई रिपोर्ट नहीं लिखाने जाता है, इस चीज को समझते हुए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इसकी सी० आई० डी० से जांच कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

जांच डी० आई० जी० स्वयं नहीं करते हैं। वह करवाएंगे इंस्पेक्टर वगैरह से। उनको लिख दिया है, अगर जरूरत समझें तो सी० आई० डी० से भी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश के जेल फार्मों पर खरीफ तथा रबी की फसलें

*४—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९६७–६८ और १९६८–६९ में खरीफ और रबी में क्या-क्या फसलें प्रदेश के किन-किन जेल फार्मों में बोई गयीं और उनमें किस-किस औसत से पैदावार हुई ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कारागार मंत्री (श्री बिशन लाल)—

† विवरण संलग्न तालिकाओं में दिया हुआ है।

प्रधान मंत्री के दौरे में व्यय की गई धनराशि

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री रूप नाथ सिंह यादव तथा श्री रामगोपाल संढ—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के १ जनवरी, १९७० से लगायत १९ जनवरी, ७० तक के दौरे पर सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ी है ?

*६—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नवम्बर, १९६९ मास में प्रधान मन्त्री के बलिया जिला में स्थगित कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय किया जा चुका था और पुनः गत १२ जनवरी, १९७० को उनकी यात्रा में बलिया जिले में किस-किस मद पर कितनी-कितनी धनराशि राज्य सरकार को व्यय करनी पड़ी है ?

श्री चरणसिंह—

प्रधानमंत्री के दौरे पर हुये व्यय की सूचना सदन में देना जनहित में न होगा।

बुलन्दशहर जिले में विद्युत् विभाग के विरुद्ध शिकायतें

*७—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या विद्युत् मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में विद्युत् विभाग द्वारा किसानों के निजी नलकूपों पर तथा अन्य बिजली के उपयोगों में अनियमितता में व गलत बिल बनाने में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को शिकायतें माह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् १९६९ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन शिकायतों के निवारणार्थ सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामलखन)—

जी हां। जिलाधीश, बुलन्दशहर द्वारा प्राप्त शिकायतें जांच के पश्चात् निराधार पाई गई अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीतापुर जिले में नलकूप लगाने हेतु कनेक्शन तथा विद्युत् प्रसार

*८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६९ से १५ मार्च, सन् १९७० तक सीतापुर जिले के ब्लाक हरगांव, ऐलिया, महौली, के कितने लोगों ने नलकूप हेतु विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के आवेदन-पत्र दिये हैं तथा उनमें से किन-किन लोगों को कनेक्शन १५ मार्च, १९७० तक दिये जा चुके हैं ?

श्री रामलखन—

सीतापुर जनपद के अन्तर्गत १ जनवरी, सन् १९६९ से १५ मार्च, सन् १९७० तक ब्लाक हरगांव, एलिया व महोली के क्रमशः ४५, ४२ व ४० उपभोक्ताओं ने नलकूप कनेक्शन हेतु प्रार्थनापत्र दिये थे इनमें से क्रमशः १०, १ व ४ को कनेक्शन दिया जा चुका है। जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये मत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८० पर)

† छापा नहीं गया।

*९—श्री रामलाल राही—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगांव महोली वाया बड़ागांव रोड से नई लाइन निकालने की योजना स्वीकार हो चुकी है? यदि हां, तो इस क्षेत्र के नलकूप को बिजली की सुविधा कब तक सुलभ कर दी जावेगी?

श्री रामलखन—

हरगांव–महोली विद्युत् लाइन वाया बड़ागांव रोड बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। महोली एवं बड़ा गांव में पहले से ही विद्युत् लाइन मौजूद है और उपभोक्ताओं को इन क्षेत्रों में बिजली की सुविधा सुलभ है।

लखनऊ में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन

*१०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, १९७० के अन्तिम सप्ताह में लखनऊ में जिलों के पुलिस अधीक्षकों का द्विदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? यदि हां, तो क्या उसकी संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं यदि हां तो १५ मई, १९७० तक किस-किस संस्तुति पर कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

चमोली में पुलों का निर्माण

*११—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र, गैरसैंण, जिला चमोली के मेहल-चौरी बछुवावाण नवनिर्मित पैदल मार्ग पर मौरियावगढ़, स्यूडीगाड़ और बछुवावाण में पुलों का निर्माण-कार्य कब से और क्यों बन्द है? कब तक उपरोक्त पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री चरणसिंह—

मोतियाबगड़ पर पुल का निर्माण, कार्य जनवरी, १९६८ से इसलिए बन्द है क्योंकि पुल की नींव के लिये उपयुक्त स्ट्रेटा उपलब्ध न हो सका। स्यूंडीगाड एवं बछुवावाण में पुलों का निर्माण-कार्य अप्रैल, १९६८ से इसलिए बन्द है क्योंकि इन स्थानों के लिए निर्धारित डिजाइन के पुल के स्पान के ढांचे उपलब्ध न थे। आशा है कि ये तीनों पुल वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेंगे।

जिला चमोली के पुलों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपना

*१२—श्री शेरसिंह दानू—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला चमोली में अन्तरिम जिला परिषद् के कौन से तीन पुल निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे गये हैं? क्या इन पुलों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आरम्भ कर दिया है?

श्री चरणसिंह—

अन्तरिम जिला परिषद् के निलम्बित तीन पुलों का निर्माण-कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है :—

१—ढाकगधेरा पर

२—तालगढ़ पर,

३—गढ़कुडी गघेरा पर

उक्त विभाग द्वारा अभी कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बन्दूकों का लाइसेंस देना

*१३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को १ जनवरी, १९७० से १५ अप्रल, १९७० तक कितने ऐसे लोगों के प्रार्थना-पत्र बन्दूक व राइफिल आदि के लाइसेन्स प्रदान किये जाने हेतु, प्राप्त हुए जिनको किन्हीं फौजदारी मामलों में सजा हो चुकी है ? क्या उल्लिखित प्रार्थियों ने अपनी सजा के फैसले की प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्रों में संलग्न किये है ?

श्री चरणसिंह—दो प्रार्थना-पत्र।

इन प्रार्थना-पत्रों के साथ सजा के फैसले की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई थी।

आजमगढ़ जिला जेल में एक बन्दी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग

*१४—श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला जेल में दिनांक १३ अप्रैल, १९७० को सुरही-कमालपुर, थाना सरायमीर से आये हुये डकैतों की सिनाख्त करने वाले गवाहों को जेल के अन्दर कैदियों ने पटक मारा और उनका रुपया-पैसा छीन लिया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यवाही की गई ?

श्री विशनलाल—

जी नहीं।

घटना इस प्रकार बताई गई है कि शिनाख्त कार्यवाही होने पर एक विचाराधीन बन्दी जगन्नाथ उर्फ लूसी ने एक गवाह को गाली और धमकी दी और उस पर प्रहार करने की चेष्टा की, परन्तु जेल स्टाफ ने ऐसा नहीं होने दिया। अधीक्षक ने इस बन्दी को एक मास के लिए प्रथकवास और एक मास के लिए बेड़ी डाले जाने की सजा दी है।

आजमगढ़ जिले में डकैती तथा हत्याओं के केस

*१५—श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १ जनवरी, से ३० अप्रैल तक कितने मुकदमें डकैती, हत्या की रिपोर्टों पर दर्ज हैं ? उसमें से कितने मुकदमों में चार्ज-शीट अदालत में भेजी गई है और कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ?

श्री चरणसिंह—

आजमगढ़ जिले में १ जनवरी, से ३० अप्रैल, १९७० तक डकैती के २३ तथा कत्ल के ३० मुकदमें दर्ज हुए। इनमें से डकैती के १ तथा कत्ल के १५ मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। अन्तिम रिपोर्ट केवल २ कत्ल के मुकदमों में लगी।

जिला बलिया में नलकूपों हेतु बिजली

*१६—श्री नगीना सिंह—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बलिया अन्तर्गत कितने किसानों को निजी नल-कूपों के लिए १९६९-७० में बिजली कनेक्शन दिया गया तथा किन-किन विकास खंडों के कितने किसानों के प्रार्थना-पत्रों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामलखन—

जिला बलिया में वर्ष १९६९–७० में कुल ४६२ निजी नलकूपों, पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण किया गया है। बलिया जिले के विभिन्न विकास खन्डों से प्राप्त ऐसे सभी प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही की गई जिनके साथ "बोरिंग पूर्ण प्रमाण पत्र" संलग्न थे।

*१७—श्री नगीना सिंह—

[११वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

विद्युत् विभाग द्वारा जी० टी० पेपर बोर्ड, उझानी, जिला बदायूं पर छापा

*१८—श्री रियासत हुसैन—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जल विद्युत् विभाग, बदायूं द्वारा जो छापा जी० टी० पेपर बोर्ड, उझानी, जिला बदायूं पर मारा गया और वहां के मीटर सील करने के आदेश दिये गये उसके बाद वहां क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामलखन—

जी हां, दिनांक ७–४–१९७० को अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत् खण्ड, बदायूं ने अचानक जी० टी० पेपर बोर्ड, उझनी पर छापा मार कर चेकिंग की और मीटर को बन्द पाया। उपभोक्ता को इस बारे में अवगत कराकर और उनसे लिखित विवरण प्राप्त कर पुराने मीटर के बदले एक नया मीटर प्रथम स्थान पर लोहे के क्यूबीकल में उचित प्रकार से सील करके लगा दिया गया।

*१९—श्री रियासत हुसैन—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विषय को पुलिस के सुपुर्द जांच के लिये दिया गया या नहीं ?

श्री रामलखन—

जी नहीं।

बांदा जिले के दुबारी गांव के खेतिहर मजदूर का फसल नष्ट करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*२०—श्री दुर्जन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के दुबारी गांव के खेत मजदूरों के इस आशय के प्रार्थना-पत्र मार्च, १९७० में जिला अधिकारियों को मिले हैं कि उनके जोते-बोये खेतों की फसल भूतपूर्व जमींदार ने नाजायज ढंग से जबरदस्ती काट लिया है ? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि जमींदारों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर पुलिस दरोगा ने तुरन्त कुर्क करने की कार्यवाही कर दी है ?

श्री चरणसिंह—

बांदा जिले की कर्वी तहसील के दुबारी गांव के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से कुछ प्रार्थना-पत्र मार्च, १९७० में जिलाधिकारियों को प्राप्त हुए थे जिनमें कुछ व्यक्तियों के फसल नष्ट करान, जान-माल की धमकी देने एवं फसल काट लेने के आरोप लगाये गये थे। प्रार्थना-पत्रों में की गई शिकायतों की जांच की गई जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उक्त व्यक्तियों

के विरुद्ध १०७/११७ जा० फौ० की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट न्यायालय में दी । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

यह सही नहीं है कि उक्त व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र देने पर पुलिस ने फसल कुर्क करने की कार्यवाही की। वास्तव में सम्बन्धित हाकिम परगना के आदेशानुसार कुर्की की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई।

इलाहाबाद की तहसील सोरांव के किसानों द्वारा नलकूप हेतु बिजली सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२१—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद के तहसील सोरांव में कितने ऐसे किसान हैं जिन्होंने निजी नलकूप चलाने हेतु विद्युत् प्राप्त करने के लिये दिनांक ३१ मार्च, १९६९ तक प्रार्थना-पत्र दिये और अभी तक उनको विद्युत् नहीं प्राप्त हुई ?

श्री रामलखन—

इलाहाबाद जनपद की तहसील सोरांव के ६६ ऐसे किसान हैं जिन्होंने निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु ३१-३-१९६९ तक प्रार्थना-पत्र दिये और उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है ।

*२२—श्री रामपूजन पटेल—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों द्वारा विद्युत् प्राप्त करने की सारी शर्तें पूरी कर लेने पर भी विद्युत् न मिलने का क्या कारण है तथा उन किसानों को कब तक विद्युत् मिल जायगी ?

श्री रामलखन—

किसानों द्वारा विद्युत् प्राप्त करने की शर्तों को पूरा कर लेने पर अनुबन्ध (एग्रीमेन्ट) करने की तारीख से जो प्राथमिकता दी जाती है उसी के अनुसार कनेक्शन दिया जाता है । जिन उपभोक्ताओं ने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं और उनका अधिष्ठान (इन्सटालेसन) तैयार है तो उन्हें प्राथमिकता के अनुसार कनेक्शन इस वर्ष में देने का प्रयत्न किया जायेगा ।

आजमगढ़ जिले की देशी शराब की दुकानों की नीलामी

*२३—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला आजमगढ़ में एक्साइज अधिकारियों ने दिनांक २७ फरवरी, १९७० को २२ देशी शराब की दुकानें एक लाट में जिला आरा, बिहार, निवासी श्री राजेन्द्र के हक में नीलाम की जब कि नियमानुसार प्रत्येक दुकान अलग-अलग नीलाम होनी चाहिये ?

श्री चरण सिंह—

जिला आजमगढ़ में दिनांक २७-२-१९७० को २१ (२२ नहीं) देशी शराब की दुकानें एक लाट में सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद, राजकिशोर, प्रसाद, रामचन्द्र प्रसाद और सुरेश प्रसाद के हक में नीलाम की गयी । यह दुकानें एक लाट में नीलाम करने के पहले उनको अलग-अलग नीलाम के लिये उठाया गया परन्तु जब इन पर बोली गत वर्ष की लाइसेन्स फीस की अपेक्षा कम आई तो इनकी बोली एक साथ बुलाई गयी, जिससे लाइसेंस फीस में पर्याप्त वृद्धि आने पर राजस्व के हित में नीलाम कर दिया गया । नियमानुसार सामान्तः प्रत्येक दुकान अलग-अलग निलाम होनी चाहिये परन्तु विशेष परिस्थितियों में दुकानें एक साथ भी निलाम की जा सकती हैं ।

*२४—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या आबकारी मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि क्या यह बात भी सही है कि उपर्युक्त नीलाम के समय उपर्युक्त श्री राजेन्द्र के ऊपर शराब की दुकानों से ही सम्बन्धित लाइसेन्स फीस व अन्य सरकारी टैक्स बाकी थे, जिनकी रिकवरी का काम तहसीलदार, जौनपुर, जिला जौनपुर के सुपुर्द है यदि हां, तो श्री राजेन्द्र की सालवेन्सी के बारे में सन्तोष किये बिना ही अधिकारियों द्वारा उनकी बोली क्यों मन्जूर की गई ?

श्री चरणसिंह—

यह सही है कि आजमगढ़ में निलाम के समय श्री राजेन्द्रप्रसाद के ऊपर जौनपुर जिले में शराब की दकानों से संबंधित सरकारी बकाया मौजूद थे जिसकी रिकवरी का कार्य तहसीलदार जौनपुर के सुपुर्द है। परन्तु श्री राजेन्द्रप्रसाद के जिम्मे आजमगढ़ जिले में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं था तथा किसी अन्य जिले के बकाये के विषय में आजमगढ़ जिले में कोई सूचना नहीं थी। उनकी सालवेंसी के बारे नियमानुसार संतोष कर लिया गया था।

रामपुर जल विद्युत् खंड में दस वर्ष से कार्य करने वाले लिपिक

*२५—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जल-विद्युत् खंड में कितने ऐसे लिपिक हैं जो पिछले दस वर्षों से एक ही स्थान पर नियुक्त चले आ रहे हैं ?

श्री राम लखन—

रामपुर जल विद्युत् खंड में अधोलिखित लिपिक दस वर्ष से कार्य कर रहे हैं,

(१)	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	.. ..	ज्येष्ठ लिपिक
(२)	श्री जयन्ती प्रसाद माथुर	.. ..	ज्येष्ठ लिपिक
(३)	श्री रनवीर सिंह	.. ..	ज्येष्ठ लिपिक
(४)	श्री राम दास सागर	.. ..	ज्येष्ठ लिपिक
(५)	श्री जगदीश सिंह वर्मा	.. ..	ज्येष्ठ लिपिक
(६)	श्री अब्दुल हमीद सिद्दीकी	.. ..	सहायक लेखापाल
(७)	श्री केदार दत्त जोशी	.. ..	नैत्यक कोटि लिपिक
(८)	श्री मनोहर लाल कालरा	.. ..	नैत्यक कोटि लिपिक

परन्तु इनमें से कोई भी लिपिक दस वर्षों से एक ही कार्य पर तैनात नहीं रहा है।

जल विद्युत् विभाग, इलाहाबाद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*२६—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जल विद्युत् विभाग, इलाहाबाद के कर्मचारी अप्रैल, १९७० से हड़ताल पर हैं तथा १४ कर्मचारी २० अप्रैल से आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामलखन—

जल विद्युत् खन्ड इलाहाबाद के कर्मचारी अब हड़ताल अथवा भूख हड़ताल पर नहीं हैं। अपनी मांग की पूर्ति के लिये कुछ कर्मचारी दिनांक १४ अप्रैल, १९७० को भूख हड़ताल पर बैठे थे और कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी, जो दिनांक २५ अप्रैल, १९७० को समाप्त हो गई।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन की १६ सूत्री मांगों का विवरण और उनकी स्थिति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८१–४८२ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् के वर्क चार्ज कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२७—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित राजाज्ञा दिनांक २० दिसम्बर, १९६९, संख्या १२००७–ई के अनुसार उन सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को जो ३ वर्ष से लगातार नौकरी में हैं उन्हें स्थाई करने का प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो दिनांक १९ अप्रैल, १९७० को राज्य विद्युत् परिषद् में ३ वर्ष से लगातार काम करने वाले ऐसे सहायक अभियन्ता (वर्कचार्ज) तथा अधिशासी अभियन्ता कितने हैं जिन्हें स्थाई नहीं किया गया तथा क्यों?

श्री राम लखन—

जी नहीं।

इस पत्र में केवल परिषद् के दायित्व का उल्लेख है कि अनुरक्षण कार्य में लगातार तीन वर्ष तक सेवा करने वाले कार्य प्रभारित लोगों को स्थायी किया जाना है। इस के कार्यान्वयन हेतु आपेक्षित कार्यवाही का भी निदेश है। अनुरक्षण कार्य पर कोई कार्य प्रभारित सहायक अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता नियुक्त नहीं है।

जल विद्युत् खण्ड रुड़की द्वारा नलकूपों के कनेक्शन काटने की नोटिस

*२८—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत् प्रखन्ड, रुड़की के अन्तर्गत माह मार्च, १९७० में कितने निजी नलकूपों के कनेक्शन कटने की नोटिस जारी की गई और इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे थे जिनका धन वास्तव में जमा था, लेकिन विभाग से कनेक्शन काटने के आदेश प्रसारित किये गये और उनके कनेक्शन काटे गये? यदि यह सही है तो जो हानि कनेक्शन काटने से काश्तकारों को हुई है और कनेक्शन को पुनः जोड़ने में सरकार को हुई है क्या उसका भुगतान सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से जमा करायेंगे?

श्री राम लखन—

"जल विद्युत् खंड रुड़की के अन्तर्गत मार्च, १९७० में १४० उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किये गये थे। इनमें से कवल ४८ उपभोक्ताओं के ही कनेक्शन काटे गये। शेष में से ९१ उपभोक्ताओं ने नोटिस की अवधि के अन्दर रुपया जमा कर दिया और एक उपभोक्ता, श्री जयमाल सिंह, का धन पहले से जमा था परन्तु सही खाते में नहीं चढ़ा था अतः इन ९२ उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं काटे गये।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।"

[११ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[७वें सोमवार के ता० प्र० सं० १–२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३—श्री इन्द्रलाल—

[६ठे शुक्रवार के ता० प्र० सं० ३ के अन्तर्गत उत्तरित्त]

*४—श्री राम गोपाल खंड—

[५वें सोमवार के ता० प्र० सं० ८ के अन्तर्गत उत्तरित्त]

*५—श्री राम गोपाल संड—

[१०वें शुक्रवार के ता० प्र० सं० ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६–७—श्री जगदीश गांधी—

[५वें सोमवार के ता० प्र० सं० ९–१० के अन्तर्गत उत्तरित]

*८—श्री मंजूर अहमद—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*९–१०—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[पहले सोमवार के ता० प्र० सं० ६२–६३ के अन्तर्गत उत्तरित्त ।]

*११—श्री इन्द्रलाल—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल विद्युत् खण्ड, गाजियाबाद तथा मेरठ में स्वीकृत नलकूप

*१२—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६६–६७ और १९६७–६८ में मेरठ और गाजियाबाद डिवीजन, मेरठ में कुल कितने ट्युबवेल के कनेक्शन मंजूर हुये हैं और उनमें से कितने अब तक लग पाये हैं तथा क्या कोई ऐसे भी कनेक्शन हैं जो १९६९ में मूजंर हुये हैं और लग गये हैं किन्तु पहले मंजूर कनेक्शन नहीं लगे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन—

हाइडिल डिवीजन मेरठ व गाजियाबाद मे वर्ष १९६६–६७ व १९६७–६८ में कुल ३७३० कनेक्शन मंजूर हुए । इनमें से अब तक लग गये कनेक्शनों की स्थिति इस प्रकार है :—

३१–३–६८ तक	..	..	..	२,३६०
३१–३–६९ तक	..	..	..	५१९
३१–३–७० तक	..	..	..	४३०
योग			..	३,३०९

शेष ४२१ उपभोक्ताओं को उनके नलकूप तैयार न होने, लम्बी लाइन बनाने अथवा धनाभाव आदि के कारण कनेक्शन लेने हेतु अनुबद्ध न कर सकने के कारण, बिजली नहीं दी जा सकी ।

*१३–१४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ७२–७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१५–१६—श्री जगदीश गांधी—

[११ वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*१७–१८ श्री शिवानन्द नौटियाल—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कार्यवाही

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु सरकार अनुशासनात्मक एवं दंडनीय कार्यवाइयों के लिये और कौन सा कदम उठाने का विचार कर रही है, क्या नाजायज तरीके से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने का विचार भी कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये सरकार ने समय-समय पर विभागाध्यक्षों, जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिये हैं। मार्च, १९७० में बुलाई गये जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलनों में भी इसी बात पर विशेष बल दिया गया था। उच्चाधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करें। इस सम्बन्ध में अभी तक शासन को जो आंकड़े प्राप्त हुए है, उनसे विदित होता है कि कुछ जिलों में इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं और भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्डित किया गया है। सतर्कता विभाग को इस दिशा में और सक्रिय कर दिया गया है।

नाजायज तरीके से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने का प्राविधान क्रिमनल ला अमेन्डमेंट आर्डिनेंस १९४४ में मौजूद है। यदि ऐसा कोई मामला पकड़ा जाता है तो साक्ष्य के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है तथा न्यायालय के फैसले के आधार पर ऐसी सम्पत्ति जब्त हो सकती है। अनुशासनिक कार्यवाही भी चलाई जाती है पर उसमें सम्पत्ति जब्त नहीं हो सकती।

फीरोजपुर से तुलसीपुर तक विद्युत् लाइन लगाने की योजना

*२०—श्री रामलाल राही—

क्या विद्युत् मंत्री को इस बात की जानकारी है कि हरगांव के पश्चिम लखीमपुर जिले की सरहद तक कोई विद्युत् लाइन नहीं है और काश्तकारों ने निजी नलकूप अधिक मात्रा में बनवाये हैं जो बिजली न मिलने के कारण सब बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस इलाके में बिजली को शीघ्र नई लाइन निकाल कर काश्तकारों को सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री राम लखन—

जी हां, इस वर्ष हरगांव के निकट फीरोजपुर ग्राम से पश्चिम की ओर तुलसीपुर तक एक ११ के० वी० की विद्युत् लाइन बनाकर बिजली पहुंचाने की योजना है।

*२१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१०वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१०वें गुरुवार के प्रश्न संख्या १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२३–२४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[११वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या २६–२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश—

[१०वें सोमवार के तारांकित प्रश्न ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२६-२७—श्री श्यामलाल तथा श्री भामी—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

प्रासीक्यूशन ब्रांच के पुलिस विभाग से अलग करना

*२८—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या गृह मंत्री प्रासीक्यूशन ब्रांच, उत्तर प्रदेश को पुलिस विभाग से अलग करने का कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं।

सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटर्स को वर्दी भत्ता देना

*२९—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या सरकार प्रदेश के सहायक जन अभिवक्ताओं को अन्य पुलिस कर्मचारियों की तरह ड्रेस एलाउन्स देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

सहायक पब्लिक प्राजीक्यूटर्स को अन्य पुलिस कर्मचारियों की तरह वर्दी भत्ता दिये जाने का न तो कोई औचित्य है और न कोई आवश्यकता।

*३०-३१—श्री रियासत हुसैन—

[९वें सोमवार के प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनी सेन्ट्रल जेल, इलाहाबाद में लगे हुये ट्यूबवेलों में खराबी

*३२—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनी सेन्ट्रल जेल, इलाहाबाद के तीन ट्यूबवैल पिछले कई माह से बन्द पड़े हैं जिसके परिणाम स्वरूप जेल के बन्दियों में भीषण गर्मी में पानी का अभाव हो गया है तथा शाक सब्जी सब सूख रही है ? यदि हां, तो सरकार इन तीन ट्यूबवैलों को कब तक ठीक करा देगी ?

श्री बिशन लाल—

जी नहीं, दो ट्यूबवैल चल रहे हैं परन्तु उनमें कुछ खराबी के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे पीने के पानी की तथा सिंचाई कार्य में कुछ कठिनाई हुई है।

तीसरा नया ट्यूबवैल लगाया जा रहा है जिसमें केवल पंपिंग प्लान्ट लगाना शेष है। पुराने ट्यूबवेलों को ठीक करने के लिये काम हो रहा है और यह शीघ्र ठीक हो जायेंगे।

*३३—श्री मंजूर अहमद, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री श्याम लाल—

[१०वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जिले के विद्युतीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक

*३४--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ३ जुलाई, १९६९ को जिलाधिकारी, उन्नाव ने जिले की बिजली व्यवस्था के संबंध में विचार करने हेतु अधीक्षक अभियन्ता, जल विद्युत्, मण्डल, लखनऊ अधिशासी अभियन्ता, हाइडल, लखनऊ जिले के समस्त विधायकों एवं अधिकारियों तथा अध्यक्ष जिला परिषद् की एक संयुक्त बैठक आयोजित की थी ?

श्री राम लखन--

जी हां।

*३५--श्री भगवती सिंह विशारद--

यदि हां, तो उक्त संयुक्त बैठक में उन्नाव जिले को पुरवा तहसील में बिजली की लाइनें बिछाने की क्या योजना बनी थी और किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया गया ?

श्री राम लखन--

वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८३ पर)

साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा धर्म परिवर्तन तथा इसे दी गई जमीन

*३६--सर्वश्री रामलाल राही, अनन्तराम जायसवाल, सूर्यनाथ उपाध्याय (जिला जौनपुर), हरनरायन, (जिला पीलीभीत), मनोहर लाल (जिला कानपुर), राजेश्वर सिंह (जिला बरेली), बैजनाथ, शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा), महातम (जिला गोरखपुर), राम बिलास पांडेय, मोहम्मद असरार अहमद तथा नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ में साक्षरता निकेतन नाम की अमरीका सरकार की सहायता से कोई ऐसी संस्था चल रही है, जो साक्षरता विकास के नाम पर भारतीय नागरिकों का धर्म परिवर्तन करने का कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इसे रोकने का प्रयास करेगी ?

श्री चरण सिंह--

साक्षरता निकेतन (लिटरेसी हाउस) नाम की संस्था लखनऊ में स्थापित है। जिसे वर्ल्ड एजूकेशन इनकारपोरेटेड, न्यूयार्क से तथा देश विदेश की अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलती है। अभी तक ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई जिससे यह समझा जाय कि यह संस्था साक्षरता के नाम पर धर्म परिवर्तन का कार्य कर रही है।

*३७--सर्वश्री राम लाल राही, अनन्तराम जायसवाल, सूर्यनाथ, उपाध्याय, हरनरायन, मनोहरलाल, राजेश्वर सिंह, बैजनाथ, शीतला प्रसाद सिंह, महातम, राम विलास पांडेय, मोहम्मद असरार अहमद तथा नत्थाराम रावत--

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि साक्षरता निकेतन नाम की इस संस्था को केन्द्रीय या प्रदेशीय सरकार द्वारा भूमि दी गई है ? यदि हां, तो यह भूमि उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी तथा किस कार्य के लिये दी गई है ?

श्री चरण सिंह--

राज्य सरकार की कोई भूमि इस संस्था को नहीं दी गई किन्तु केंन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है या नहीं इसकी सूचना नहीं है।

*३८--श्री श्याम लाल--

[१०वें गुरुवार के प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय का कम होना तथा इसे दूर करने की योजना

*३९—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि योजनाबद्ध नियोजन के पूर्व वर्ष १९४८–४९ के मूल्यों के आधार पर भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुपात रु० २४६—२६० था और वह अनुपात तीसरी योजना की समाप्ति पर वर्ष १९६६–६७ में रु० ३०२—२२८ हो गया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। वर्ष १९५१–५२ के पश्चात् इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय कम होती गई। प्रश्न में दिये गये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वह क्रमशः १९४८–४९ व १९६०–६१ के अलग-अलग स्थिर मूल्यों के आधार पर है। प्रति व्यक्ति औसत आय गिरने का एक बड़ा कारण यह है कि हमारे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी का विनियोग न हो सका। अन्य कारण भी है, किन्तु उनके विषय में अपनी-अपनी राय है।

*४०—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण—

क्या नियोजन मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय के उपर्युक्त अन्तर को दूर करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कितने वर्षों की योजना है और उसके विवरण क्या है ?

श्री चरण सिंह—

राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जा चुकी है उससे यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार इस अन्तर को दूर करने के लिये सदैव प्रयत्नशील रही है, परन्तु सीमित संसाधनों के कारण अभी तक ऐसा संभव नहीं हो सका है। भविष्य में कितना समय लगेगा यह बतलाना कठिन है।

*४१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[११वें गुरुवार के प्रश्न सं० ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४२–४३—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[१०वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ७७–७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४–४५—श्री प्यारेलाल, श्री दलसिंगार तथा श्री भीमा प्रसाद—

[१०वें गुरुवार के प्रश्न सं० ७९–८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४६–४७—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[९वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं० ६०–६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४८—श्री रामधारी शास्त्री—

[१०वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४९—५०—श्री लालसा—

[१०वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८२–८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर जिले में पूर्ण मद्य निषेध योजना लागू करना

*५१—श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में सरकार पूर्ण मद-निषेध योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह—

मिर्जापुर जनपद में पूर्ण मद्य-निषेध लागू करने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

आवास भत्ता पाने वाले पुलिस कर्मचारियों के आवास भत्ते में बढ़ोत्तरी

*५२—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कान्सटेबुल और हेड-कान्सटेबुल को सरकारी आवास न मिलने के स्थित में उनके आवास भत्ता की दरों को बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित कर दी जायगी ?

श्री चरण सिंह—

पुलिस विभाग के उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें किराया रहित आवास न मिलने की स्थिति में मकान किराया (lodging charges) दिया जाता है, पुनरीक्षित दर पर मकान किराया भत्ता दिया जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

मिर्जापुर स्थित ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट में टरबाइन का फटना

*५३—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओवरा थर्मल प्रोजेक्ट जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत ओवरा के पावर हाउस में टरबाइन यूनिट दो, जो चालू हालत में है कितनी बार फटी व नष्ट हुई इसमें कितने धन की क्षति हुई तथा क्या यह सही है कि अनभिज्ञ मैकिनिकों और सुपरवाइजरों की गलती से ऐसा हुआ है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५४—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा द्वारा अवैध शराब की बरामदगी

*५५—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७० को अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने अल्मोड़ा नगर में छापा मारकर १९ बोरे (लगभग २,००० बोतल) अवैध शराब की बोतलें व मिलावट की मशीन तथा अन्य सामान किसी मकान से बरामद किया, तथा वह वैध बिक्री केंद्र था ? यदि नहीं, तो सरकार अवैध बिक्री-केंद्र के विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, दिनांक ३१ मार्च, १९७० को अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा, (अतिरक्त जिला मैजिस्ट्रेट नहीं) ने देशी शराब की दुकान स्थित मुहल्ला धारानौला नगर अल्मोड़ा के गोदाम में छापा मारा और वहां २,००० बोतल सादा देशी शराब तथा कुछ अन्य सामान बरामद हुआ था। वह गोदाम उक्त लाइसेंसी के वैध बिक्री-केंद्र से अलग मुहल्ला धारानौला, अल्मोड़ा, नगर में किराये पर लिया हुआ गोदाम था। लाइसेंसी व उसके मुलाजिम के विरुद्ध मुकदमा आबकारी समिति नियम के अधीन थाना अल्मोड़ा में दर्ज किया गया है, जिसकी जांच थानेदार, अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है।

*५६-५७—श्री हरिवंश सहाय—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ८४-८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५८-५९—श्री चेतराम गंगवार—

[८वें सोमवार के प्र० सं० ९५-९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी जिले के ग्राम कटेरा के कृषकों द्वारा बिजली के लिये आवेदन-पत्र

*६०—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केसी जिले की तहसील मऊरानीपुर के ग्राम कटेरा के काश्तकारों के कितने आवेदन-पत्र बिजली का कनेक्शन लेने के लिये अभी सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन्हें कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री राम लखन—

झांसी जिले के अन्तर्गत मऊरानीपुर तहसील के ग्राम कटेरा से विभिन्न कनेक्शनों हेतु प्राप्त १८ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। कटेरा ग्राम तक अभी विद्युत लाइन नहीं है। लाइन निर्माण के उपरान्त ही उन्हें कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा।

*६१—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री शेषनारायण शुक्ल, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री इन्द्रमणी, श्री राम विलास पाण्डेय, श्री राम सिंह, श्रीमती सिया दुलारी, श्री अवधेश कुमार, श्री हरिवंश सहाय, श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[९वें सोमवार के लिये स्थानान्तरित]

*६२—श्री कृष्णस्वरूप—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६३—श्री रघुनाथ सिंह—

[११वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६४—श्री गोविन्द सिंह—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६५—६६—श्री श्यामलाल रावत—

[१०वें गुरूवार के ता प्र० सं० ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को अपने अधीन लेना

*६७—श्री विजय बहादुर सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड पर राज्य विद्युत् परिषद् का कितना धन बकाया है ? क्या सरकार मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन लेने का विचार कर रही है ?

श्री राम लखन—

६ जून, १९७० तक रु० ३.८६ लाख है। राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा संबंधित कम्पनी को २४ अगस्त, १९७९ से पूर्व, जबकि उसके लाइसेन्स को अवधि समाप्त होगी, लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*६८-६९—श्री अनन्तराम जायसवाल नथा श्री रामचरण—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ८९-९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७०—श्री राम देव—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७१—श्री सुखपाल पांण्डेय, श्री नगीना सिंह तथा श्री प्यारेलाल—

[१०वें शुक्रवार के ता० प्र० सं० ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लोक सेवा आयोग द्वारा १९६४ में आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण वैयक्तिक सहायकों को उत्तीर्ण घोषित करना

*७२—श्री मंजूर अहमद, श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़), तथा श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कुछ ऐसे भी वैयक्तिक सहायक ग्रेड २ (पहले आशुलिपिक) हैं जो वर्ष १९६४ की आशुलिपिकों की लोक सेवा आयोग की अहतांदायक परीक्षा में बैठे थे और अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये गये तथा उन्होंने वर्ष १९६५ की आयोग की अर्हतादायक परीक्षा का बहिष्कार भी किया था किन्तु अब वर्ष १९७० में उन्हें उसी वर्ष १९६४ की अर्हतादायक परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है ? ऐसा है तो क्यों तथा ऐसे वैक्तिक सहायक ग्रेड २ की बरीयता किस आधार पर तय की जायगी ।

श्री चरण सिंह—

जी हां, सचिवालय में ७ ऐसे वैयक्तिक सहायक (ग्रेड—२) हैं जिन्हें वर्ष १९६४ में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पहले अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था और ये कर्मचारी फरवरी, १९६६ में आयोग द्वारा आयोजित अनुपूरक विशेष अर्हतादायक परीक्षा में नहीं बैठे थे, परन्तु बाद में पुर्नविचार के उपरान्त इन्हें अप्रैल, १९७० में १९६४ की उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है । पहले इन्हें परीक्षा में इस आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था कि वर्ष १९५९ की अर्हतादायक परीक्षा की भांति आयोग इस परीक्षा में इन अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों पर अंक देने हेतु सहमत नहीं हुये थे, परन्तु बाद में सेवा नियमों में आवश्यक प्राविधान कर दिये जाने पर आयोग इसके लिये सहमत हो गया और इस आधार पर आयोग ने इन कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया है । इन कर्मचारियों में से कुछ ने ज्येष्ठता निर्धारित के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिये है जिन पर विचार किया जा रहा है ।

जिला हरदोई में विद्युत् प्रसार योजना

*७३—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम जमुराटुमरकी-चठिया-धनवार आदि (जिला हरदोई) में बिजली पहुंचाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी कब तक अमल में लाने का विचार है ?

श्री राम लखन—

जिला हरदोई के अन्तर्गत ग्राम जमुरा—टुमरकी—चठिया—धनवार आदि क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की योजना है जिस पर इस वर्ष धन की उपलब्धतानुसार विचार किया जा सकेगा ।

*७४—श्री सूबेदार प्रसाद—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७५—श्री शीतला प्रसाद सिंह तथा श्री दीपनरायन बन—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

जल विद्युत् प्रेषण निर्माण खण्ड तथा जल विद्युत् खण्ड द्वारा क्रय किये गये सामानों की दरें

*७६—श्री दल सिंगार—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता जल विद्युत् प्रेषण निर्माण खंड आजमगढ़ तथा जल विद्युत् खंड, आजमगढ़ दोनों के सामानों की खरीद की दर एक है ? क्या मंत्री जी उसकी सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन—

वस्तुओं की खरीद रेट कान्ट्रेक्ट तथा विक्रेता से सीधे की जाती है । रेट कान्ट्रैक्ट की दरें शासन द्वारा निर्धारित की जाती है अतएव दरों में असमानता का प्रश्न नहीं उठता । सीधे खरीदी गई वस्तुओं की दरों में असमान्ता हो सकती है ।

*७७–७८—श्री सजीवन लाल—

[११वें बुधवार के प्र० सं० ३१–३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७९—श्री मंजूर अहमद, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री हरिवंश सहाय—

[८वें सोमवार के ता० प्र० सं० ९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८०–८१—श्री मंजूर अहमद, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री हरिवंश सहाय—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ९४–९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जनपद के ग्राम पालिगढ़ तेहुली में बिजली लगाने की योजना

*८२—श्री भाभी—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत विकास क्षेत्र रानीपुर के ग्राम पलिगढ़ तेहुली, को विद्युतीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा मथुरा बिजली सप्लाई कम्पनी को अपने अधीन लेना

*८३—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा बिजली सप्लाई कम्पनी, मथुरा के लाइसेंस की मियाद कब समाप्त हो रही है ? क्या सरकार इस कम्पनी के प्रबन्ध को समय से पूर्व ही अपने हाथ में लेने का विचार करती है ?

श्री राम लखन—

२९ जुलाई, १९७५ को सम्बन्धित कम्पनी को उपरोक्त तिथि से पहले राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा लिए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बस्ती की तहसील हरैया के ग्रामों का विद्युतीकरण

*८४—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती के अन्तर्गत हरैया तहसील में ३१ मार्च, १९७० तक विद्युतीकरण करने का कितने गांवों के लिये लक्ष्य निर्धारित हुआ था, उन गांवों में से कितने गांवों में विद्युतीकरण हुआ, कितने गांव बाकी हैं, बाकी होने का क्या कारण है ?

श्री रामलखन—

जिला बस्ती के अन्तर्गत हरैया तहसील में ३१ मार्च, १९७० तक १० गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ३१ मार्च, १९७० तक १२ गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

चूंकि निर्धारित लक्ष्य से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया अतः गांवों के बाकी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*८५—श्री सुखपाल पांण्डेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

[१०वें बुधवार के प्र० सं० १२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल विद्युत् खंड, गाजियाबाद के सुपरवाइजर की मृत्यु

*८६—श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि मई के प्रथम सप्ताह में गाजियाबाद विद्युत् अधिशासी अभियन्ता की मौजूदगी में विभाग का सुपरवाइजर अधिशासी अभियन्ता के कहने से खम्बे पर चढ़ा जहां उसकी तुरन्त मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने उसक परिवार को क्या सहायता दी ?

श्री राम लखन—

जी हां। ५ मई, १९७० को आग लग जाने के फलस्वरुप जल विद्युत् खंड, गाजियाबाद के सुपरवाइजर श्री राम बाबू की घातक दुर्घटना हो गई। यह दुर्घटना फीडर पैनल पर कार्य करते समय घटित हुई न कि खम्भे पर।

जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है परिषद् संबंधित कम्पेन्सेशन कमिश्नर से पत्र-व्यवहार कर रहा है।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतन क्रम में संशोधन

*८७—श्री प्यारे लाल—

क्या सरकार सचिवालय के अवर वर्ग केडर के वेतन-क्रम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय लिया जायगा ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। किन्तु इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय कब तक लिया जायगा।

*८८—श्री सियाराम—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ९६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८९-९०—श्री रामबचन यादव—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ९७-९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद में पुलिस उप अधीक्षक की तैनाती

*९१—श्री रामपूजन पटेल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में कोई ऐसे भी पुलिस उप-अधीक्षक हैं जो गत ५ वर्षों से इलाहाबाद में ही हैं? यदि हां, तो उनका नाम क्या है और क्यों लगातार ५ वर्षों से इलाहाबाद में ही हैं?

श्री चरणसिंह—

इलाहाबाद में कोई ऐसा पुलिस उपाधीक्षक नहीं है, जो गत ५ वर्षों से वहां नियुक्त हो।

जिला शाहजहांपुर के कटरा थाने के श्री मायराज सिंह का निलम्बन

*९२—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर), श्री महातम तथा श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि श्री मायराज सिंह थाना कटरा, जिला शाहजहांपुर में तैनात थे दिनांक २० जुलाई १९६८ से निलम्बित हैं और अभी कोई विभागीय चार्ज शीट उनको नहीं दी गई तथा अदालत में भी कोई अभियोग उनके विरुद्ध नहीं है; यदि हां, तो दो वर्ष से बिना कारण उनको निलम्बित क्यों रक्खा जा रहा है?

श्री चरण सिंह—

जी हां। उनको निलंबित इसलिये रखा गया है क्योंकि उनके विरुद्ध जो गम्भीर आरोप थे वे जांच से सत्य पाये गये। उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही शीघ्र की जायगी।

*९३—श्री भाभी—

[१० वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के ग्राम शेरपुर निवासी श्री राम शब्द सिंह के घर पर पी० ए० सी० की तैनाती

*९४—श्री श्याम लाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के चिरयाकोट थानान्तर्गत ग्राम शेरपुर में श्री राम शब्द सिंह के घर पर पी० ए० सी० की तैनाती तीन महीने से की गई है? यदि हां, तो इस तैनाती का कारण क्या है?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

*९५—श्री गोपाल दत्त—

[११वें गुरुवार के लिए स्थगित]

सीमान्त जिलों का सृजन

*९६—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९६० में किन स्थितियों में प्रदेश के तीन सीमान्त तहसीलों को लेकर सरहदी जिले बनाये गये थे?

श्री चरणसिंह—

पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिलों का सृजन उस अत्यन्त पिछड़े हुये क्षेत्र के सघन विकास तथा प्रभावशाली प्रशासन के हेतु किया गया था।

*९७—श्री नरेन्द्र सिंह—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*९८—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[१० वें गुरुवार के ता० प्र० सं० १०० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९९—श्री महरम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*१००—श्री गोपाल दत्त—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*१०१—श्री हरिवंश सहाय—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[१०वें गुरुवार के ता० प्र० सं० १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला देवरिया में मंत्रियों द्वारा यात्रा पर व्यय

*१०३—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला देवरिया में गत २२ अप्रैल, १९७० से २६ अप्रैल, १९७० के बीच कितने मन्त्री मौजूद रहे तथा उक्त अवधि के बीच राज्य सरकार का कितना रुपया मन्त्रियों के ऊपर खर्च हुआ ?

श्री चरणसिंह—

२२ अप्रैल, १९७० से २६ अप्रैल, १९७० के बीच केवल तीन मन्त्री देवरिया जिले की यात्रा पर गये तथा उनकी उक्त यात्राओं पर १,६७६ रु० ९६ पैसे व्यय हुये।

*१०४—श्री उपेन्द्रनाथ, श्रीमती सरस्वती देवी, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी तथा श्री अजबसिंह—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*१०५—श्री प्यारेलाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६४, १९६५ व १९६६ से कानपुर के सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। जहां तक आरोपों का संबंध है इस विषय में कोई विवरण देना जनहित में उचित न होगा।

*१०६-१०७—श्री शेर सिंह दानू—

[११वें गुरुवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के तम्बौर टाउन एरिया व बेहटा ब्लाक के ग्रामों को बिजली देना तथा रेउसा में उप विद्युत् गृह का निर्माण

१—श्री कृष्णकान्त—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के तम्बौर टाउन एरिया को बिजली देने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामलखन—

जी नहीं।

२—श्री कृष्णकान्त—

क्या विद्युत् मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के रेउसा स्थान पर कोई उप विद्युत् गृह निर्माण की योजना है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो सकेगा?

श्री राम लखन—

रेउसा में ११ के० बी० का उप विद्युत् गृह मार्च, १९७० में बन चुका है।

३—श्री कृष्णकान्त—

क्या विद्युत् मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ब्लाक बेहटा तथा ब्लाक रेउसा के गांवों में बिजली देने का विचार है? यदि हां, तो किन गांवों को और कब तक?

श्री रामलखन—

आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त न पाये जाने के कारण ब्लाक बेहटा तथा रेउसा के किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण वर्तमान काल में सम्भव नहीं है।

जिला बहराइच में आर्म्स लाइसेंसों की स्वीकृति

४—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि "आर्म्स एन्ड अम्यूनिशन्स" के व्यक्तिगत उपयोग हेतु कितने व्यक्ति लाइसेन्स बहराइच जिले में १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९७० तक की अवधि में दिये गये?

श्री चरणसिंह—

जिला बहराइच में व्यक्तिगत उपयोग हेतु १-४-१९६८ से ३१-३-१९७० तक की अवधि में कुल २४४ आर्म्स लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

५—श्री भाभी—

[१० वें गुरुवार के ता० प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला अलीगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

६—श्री कल्यान सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अलीगढ़ जिले की किस-किस तहसील के कौन-कौन से ग्रामों के विद्युतीकरण (इलेक्ट्रीफिकेशन) की योजना है?

श्री राम लखन—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अलीगढ़ जिले में लगभग २०० ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। इनमें से १८८ ग्रामों की सूची, जिनके विद्युतीकरण की संभावना है संलग्न है। इन ग्रामों में बिजली पहुंचाने का कार्य धन की उपलब्धता तथा पर्याप्त प्रतिभास प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४८४–४८८ पर)

कार्यवाही से निकाले गये अंशों के समाचार-पत्रों में छपने पर आपत्ति

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी–कभी सदन में माननीय सदस्यों में गरमाहट आ जाती है तो कुछ आपत्तिजनक शब्द मुंह से निकल जाते हैं। उसको मान्यवर, विशेषाधिकार में लेने के बजाय कृपा कर के कार्यवाही से निकाल देते हैं, लेकिन अखबारों में वह शब्द वैसे के वैसे आ जाते हैं। कार्यवाही जब छपेगी तो वे आपत्तिजनक शब्द नहीं छपेंगे और अखबारों में छपेंगे इससे सदन की मर्यादा भंग होती है और सदस्यों की तौहीन होती है, जब अखबार में हूबहू वही शब्द पढ़े जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो शब्द आप कार्यवाही से निकाल दें वह सदन के बाहर समाचारपत्रों में न जायं, तो बड़ा अच्छा होगा वरना सदन की मर्यादा गिर जाती है। इस विषय में आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जिसकी इजाजत नहीं देता हूं, अखबार में नहीं छपना चाहिए। बात सही है।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि अखबार वाले माननीय मुख्य मंत्री के गुलाम नहीं हैं। वह चाहे जैसा प्रकाशित करें उनको कोई रोक नहीं सकता है।

आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक के बारे में पूछ–ताछ

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। कल शायद मंत्रि परिषद् की बैठक शुरू हुई थी। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल कालेजों की हड़ताल चल रही है। उसमें कोई निर्णय लिया होगा। यदि निर्णय लिया हो कि आप के कक्ष में राज्य मंत्री माननीय धर्मदत्त वैध ने वादा किया था, अधिनियम में संशोधन लाने का, वह निर्णय ले लिया है तो माननीय मुख्य मन्त्री या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री घोषणा कर दें। यदि निर्णय नहीं लिया है तो आप नियम ५२ में स्वीकृति की घोषणा कर दें दो घंटे विवाद के लिए व्यवस्था कर दें। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, विधान सभा में रोज किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी गम्भीरता और ग्राह्यता आप के सम्मुख है। इसलिये प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को दोबारा न उठाना पड़े, इसकी निश्चित व्यवस्था कर दें। सरकार से पूंछ लें कोई निर्णय लिया है, कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के लिए, तो उसकी घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप इतना कहते चले जा रहे हैं। इतना पूछ लें कि कोई निर्णय लिया है या नहीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

कोई निर्णय लिया है या नहीं ? अगर नहीं लिया है तो नियम ५२ की स्वीकृति की घोषणा की जाय ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लिस्ट में ऐसे नम्बर पर रहते हैं कि यहां सदन में नहीं आ पाते हैं । मैंने कल आपसे कहा था कि १७ नम्बर पर मेरा प्रश्न था जिसके संबंध में आपने व्यवस्था दी थी कि उत्तर भिजवा दिया जायगा लेकिन वह नहीं मिल सका । समय न होने से उन पर प्रश्न भी नहीं किया जा सकता । इसलिये आप व्यवस्था दे दें कि जो प्रश्न सूची में नहीं आ पाते हैं उनके उत्तर कम से कम माननीय सदस्यों को मिल जाने चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों के बारे में मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या बड़ी गंभीर है । अभिभावक तथा विद्यार्थी परेशान हैं । नीयत सरकार की अच्छी है । आपके प्रयत्न से अगर यह समस्या सुलझ जाय तो अच्छा होगा ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

कार्यसूची में यह प्रश्न है नहीं । बिना सूचना के अध्यक्ष महोदय उसे आप ले लेते हैं । मेरी इस सम्बन्ध में आपत्ति है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मैं भी यह कहना चाहता हूं कि न तो यह प्रश्न कार्य सूची पर है । रोज-रोज इस तरह के प्रश्न उठा दिये जाते हैं तो किस नियम के अन्तर्गत वे उठाये जाते हैं ? यहां जो भी सवाल उठाया जाय वह नियम के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिये ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, १२ बजे के पश्चात आप कई चीजों की इजाजत दे देते हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आपत्ति की कि यह सूची पर नहीं है । मान्यवर को याद होगा कि १० तारीख को कैबिनेट थी । उसमें आयुर्वेदिक विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने को था और श्रीमन् ने आज्ञा दी थी कि उस निर्णय से सदन को अवगत करा दिया जायगा । आपके कक्ष में यह बात हुई थी । उसकी पूर्ति होनी चाहिये । मैं सरकार के लिये यह बड़ी लज्जा की बात समझता हूं कि वह इस मामले को इस तरह से टाल रही हैं । फिर अनवार अहमद साहब कौन है इस तरह का उत्तर देने वाले जब आपने उनसे पूछा है । उनको सदन को बतलाना चाहिये । अनवार साहब का इस तरह से उत्तर देना अनुचित है । अगर मुख्य मंत्री जी कुछ बतला दें तो और भी अच्छा होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आचार्य जी के इस कथन पर आपत्ति करता हूं "गवर्नमेंट के लिये निहायत लज्जा की बात है ।"

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने यह बात कही थी और उसे दोहरा सकता हूं ।

श्री चरण सिंह—

मैं इतने सख्त लफ्ज तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य के लिये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है । रहा यह कि अनवार अहमद साहब कौन होते हैं तो इधर से भी यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मी रमण जी कौन होते हैं....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

ठीक ही कहा गया। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था।

श्री चरण सिंह—

मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो यह कह रहा था कि कहां तक यह उचित है कहना कि अनवार साहब कौन होते हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैंने सही कहा।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मुख्य मंत्री जी हवाई जहाज से दिल्ली जाने वाले हैं। आज उनका दिमाग ठीक नहीं है।

श्री चरण सिंह—

कोई भी सवाल जब रूल्स के मातहत आयेगा तो उसका उत्तर दिया जायगा।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ११० की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि बिना सूचना के कौन-कौन से प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से किये जा सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य —

मान्यवर, मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं।

श्री शिवराज सिंह—

तो श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नियमों के विरुद्ध आज्ञा प्रदान न किया करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बात यह थी और यह तय हुआ था कि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कोई होने वाला हो तो उसके बीच में व्यवस्था का प्रश्न आप उठा सकते हैं। किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि आप लोग एक-एक करके उठा करें। एक साथ आठ-आठ और दस-दस खड़े होकर नहीं कह सकते हैं। प्रश्न आप व्यवस्था के संबंध में उठाएं, पर उसमें अव्यवस्था के नहीं होना चाहिये। किन्तु जहां आपका व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है वहां मुझे भी किसी प्रश्न को नामंजूर करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

मैं जवाब देता हूं। हमारे दफ्तर से उत्तर दिया गया था कि यहां पर एक बिल ला रहे हैं। इसलिए अगर उत्तर नहीं आया है तो मैं उसे नियम ५२ के अन्तर्गत ले लूंगा। यहां पर ऐसा व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाय। आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इस विवाद में न पड़ करके यह कहूंगा कि ऐसे अनेक अवसर आये हैं कि जब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ और दूसरा सब्जेक्ट न लेकर यह आपके विवेक पर छोड़ दिया गया कि हम व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि उनको जवाब देने का अधिकार है। किन्तु मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने यह कहा कि चूंकि यह प्रश्न सूची में आज की नहीं है अतः इसका जवाब देना असंगत है। अतः मैं मान्यवर, प्रार्थना करूंगा कि वे कब तक इस मामले का निपटारा करने जा रहे हैं। मान्यवर, इसे प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये। इस ममिले को शीघ्र से शीघ्र निपटाना चाहिये ताकि वहां के छात्र सफर न करें। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे वे पहले जवाब देते आए हैं वैसे ही इसमें जानकारी दिलाएं।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने कहा कि अगर यह बात ११ तारीख तक तय नहीं होती तो आप इसे नियम ५२ के अन्तर्गत लेकर चर्चा करवा देंगे। मैं आपक माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कैबिनेट बनी हुई है और जो मंत्रिपरिषद् के लोग हैं उनकी ज्वाइंट रिसपान्सबिल्टी है। और ज्वाइंट रिस्पौंसिबिलटी में अगर कुछ मंत्री व्यवस्था की बात करते हैं तथा ११ तारीख तक वह बात नहीं आती तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री को तुरन्त मंत्रि-परिषद् से अलग हो जाना चाहिये और उसे रिजाइन कर देना चाहिय।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उसमें यह हो सकता है आप मुझे प्रेस कर सकते हैं कि आपने इसे नियम ५२ में रखा हुआ था उसे मैं स्वीकार कर लूं।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पूछ-ताछ

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम १०० की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और समाचार-पत्र के उस समाचार की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि २९ अप्रैल को कांउसिल के उत्सादन का जो प्रस्ताव इस सदन द्वारा पारित किया गया था उसके विपरीत २३५ सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव दिया गया है और वह सदन में प्रस्तुत किये जाने के बारे में शलाका पर आ गया है। जब कि नियम १०० इस प्रकार है:—

"१००—संकल्प की पुनरावृत्ति —अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर यदि कोई संकल्प लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथा स्थिति संकल्प के लम्बन काल में अथवा उसके निस्तारण की तिथि से ६ महीने के भीतर कोई ऐसा संकल्प या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा जिसमें सारत: वही वाद-विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व संकल्प में अन्तर्निहित था।"

और श्रीमन्, इसी से संबंधित एक रूलिंग भी है। उसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह पृष्ट ५४९ पर है। वह इस प्रकार है —" १ अगस्त, १९६२ को किसानों का लगान आधा करने तथा उनको भूमिधरी अधिकार दिये जाने से संबंधित एक असरकारी संकल्प के ऊपर माल मंत्री श्री हुकुम सिंह विसेन ने वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की—

"अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एक प्वांइंट आफ आर्डर पेश करना है। जैसा कि सर्व विदित है, २४–२५ अप्रैल को जब लैंड रेवेन्यू डिमान्ड सदन में पेश थी तो उस पर हमारे मित्र

श्री भानु प्रताप सिंह जी ने एक कटमोशन पेश किया था जिसमें उन्होंने रखा था कि लगान आधा न करने की गलत नीति पर विवाद करना, यह डाइरेक्ट ईश्यू लेकर विवाद हुआ और वह कटमोशन रिजेक्ट भी हुआ। उसके बाद मांग स्वीकृत हुई। उसके बाद वह मांग स्वीकृत हुई। इस तरह से वह चीज सदन के सामने आ चुकी है। अब नियम १०३ के रूल से आप देखें कि उसमें यह है कि वैसा ही रिजोल्यूशन ६ मास के अन्दर सदन में नहीं आ सकता....

श्री अध्यक्ष—

आपको कहना क्या है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

अन्त में आपने कहा है—"नियम १०३ में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार से है—'वही प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो संकल्प द्वारा ६ महीने के अन्तर्गत उठाया जा चुका हो, अतः जो आपत्ति माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई है उससे सहमत होकर संकल्प के प्रथम भाग को अनियमित घोषित करता हूं।"

श्रीमन्, उसमें यह था कि इस प्रस्ताव में वही बात कही गयी है। इसलिये अगर वह मंजूर कर लिया गया तो जो डिमाण्ड मंजूर हो चुकी है वह कट जायेगी। इसलिए आपने उसको नामंजूर कर दिया। इसी प्रकार से श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो बैलेट में आया है वह नहीं आ सकता। जब ६ महीने तक उसी एक चीज के बारे में कोई प्रस्ताव आ ही नहीं सकता तो फिर इस प्रकार की घोषणा कल कैसे हो गई। कृपया इस बारे में आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री गोविंद सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मेरा निवेदन है कि क्या यह बैलेट सदन की कार्यवाही का अंग माना जायगा। अगर बैलेट इस सदन की कार्यवाही का अंग है तो बैलेट के लिये भी यह प्रस्ताव नहीं आ सकता था।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। सरकार की ओर से अगर कोई प्रताव आता है तो उसके लिये किसी नोटिस की जरूरत नहीं होता। अगर कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से न आए, किसी या किन्हीं अन्य सदस्यों की तरफ से आये, तब वह बैलेट के लिये जाता है। बैलेट से स्वीकार होने के बाद मैं फिर यह देखता हूं कि नियमों के हिसाब से यह आ सकता है या नहीं। जब इस प्रकार देखकर मैं स्वीकार कर लेता हूं, तब वह सदन के सामने आता है। बैलेट तो हो गया लेकिन जब तक मैं उसको एक्जामिन न कर लूं, सदन के सामने उसको लाऊंगा नहीं। सदन के सामने लाऊं तो प्रस्ताव में यह भी जरूर होना चाहिये कि कोई रूल निलम्बित करना पड़ेगा या नहीं। यह भी मुझे देखना होगा। जब तक कोई प्रस्ताव सदन में आया नहीं है, तब तक इस प्रश्न पर चर्चा करना उचित नहीं है। जब तक वह प्रस्ताव इस सदन में न आ जाय तब तक व्यवस्था का प्रश्न उसके बारे में नहीं उठाया जा सकता।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जब कोई प्रस्ताव इस सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ६ महीने तक वैसा ही प्रस्ताव उसको निरस्त करने के बारे में नहीं आ सकता। लेकिन इस प्रकार का एक प्रस्ताव आपके दफ्तर में ग्राह्य कर लिया गया। जब तक कि वह प्रस्ताव नियमानुकूल न हो तब तक शलाका में लाये जाने के लिये किस प्रकार से ग्राह्य हो गया ?

श्री अध्यक्ष—

ग्राह्य बाद में मैं करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

शलाका में भेजने का मतलब ही यह हो गया कि आपने या आपके सचिवालय ने उसे ग्राह्य मान लिया, उसके बाद ही शलाका में भेजा गया ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस तरह से तो आर्डर ही बदल गया, जो पहले होना चाहिये वह पीछे चला गया और पीछे का पहले हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे यहां जो भी प्रस्ताव आ जाय वह मेरे ऊपर है कि उसे ग्राह्य समझूं या न समझूं । अब अगर ५० मेरे पास आ जाएं तो सबको मैं ग्राह्य कैसे समझ सकता हूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

औचित्य का प्रश्न यही है कि जो प्रश्न नियम के अनुसार नहीं होगा वह तो आ जायेगा, शलाका में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने सम्बन्धी विधेयक के बारे में पूछ-ताछ

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के संबंध में खड़ा हुआ था क्योंकि त्रिपाठी जी ने इस प्रश्न को उठाया था । श्रीमन्, कई बार आप यह व्यवस्था दे चुके हैं कि यदि कोई प्रश्न बीच में उठ जाय तो उसका उत्तर दिया जाना चाहये । लेकिन टेक्निकली मैंने कोई चीज कही जो गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी । इसलिये अगर मैंने अपने मुंह से कोई ऐसी बात कह दी हो जो माननीय मुख्य मंत्री को अच्छी न लगी हो तो उसे मैं वापस लेता हूं । उस समय मैंने यह भी कहा था क्योंकि आपकी ओर से कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है और एक बार आपने श्री शिवराज सिंह के लिये भी कहा था कि बीच-बीच में कुछ प्रश्न उठाए जा सकते हैं जिस समय कि अध्यक्ष महोदय आज्ञा दे दें । पहले भी इस पर कई बार अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो चुकी है । तो मैं कहूंगा कि यह प्रश्न अत्यन्त गंभीर है और इसीलिये मुझे उस समय थोड़ा सा बुरा भी लगा और मैंने कुछ कह दिया । इसका उत्तर देने के ख्याल से ही मैंने कहा और मैं फिर सरकार से अपील के तौर पर कहता हूं कि वह इस प्रश्न को न टालें । अगर मेरी किसी बात से सरकार को क्षोभ हो तो मैं अपनी सारी बात वापस ले लूंगा । लेकिन कृपा करके आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के जीवन को बचाएं और माननीय अनवार साहब या माननीय मुख्य मंत्री जी कल कैबिनेट का जो भी निर्णय इस संबंध में हुआ हो बतला दें ताकि उससे सबको राहत मिले ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मेरी आपत्ति सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उत्तर देने की इजाजत नहीं देता हूं । प्रश्न क्लोज हो गया । अगर इस संबंध में कोई मंत्री कुछ कहना चाहें तो उसकी इजाजत नहीं दूंगा । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं, इसका उनको अधिकार है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

मैं अपनी तरफ से माननीय दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न को टालना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात उनका कहना यह है कि यह बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। तो फर्ज कर लें, आज आप और बच्चे जो चाहते हैं, यह डिसीजन हो जाय तो भी इस साल उनकी परीक्षा किसी विश्वविद्यालय की ओर से नहीं हो सकती। उसके लिये तो हर सूरत में एक साल बिताना पड़ेगा। इसलिये यह कहना कि इस प्रश्न का जवाब जो मिलना चाहिये वह नहीं मिला, इससे बच्चों की जिन्दगी और उनकी परीक्षा का कोई संबंध नहीं है। वह तो इस साल हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। आज अगर हम कर दें तो भी नहीं हो सकता। तीसरी बात यह कि यह ऐसे मामले होते हैं जो इतने सीधे नहीं होते कि केवल बच्चों का सवाल हो। इसके पीछे ऐसा सवाल है जो यह समझते हैं कि यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो जाने से कुछ आर्थिक लाभ होगा। आमतौर पर बच्चों के एजूकेशन का मामला इतना सीधा मामला नहीं है। चौथी बात यह है कि हम इस मामले को टालना नहीं चाहते हैं लेकन मान लें आज फैसला हो जाय तो उस पर बहस होगी, दो घंटे उसमें लग जायेंगे, तो फिर आज का कार्यक्रम रुक जायेगा। फिर समय के लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो समय रखना चाहें रख लें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह विषयान्तर है। सदन में आश्वासन यह दिया गया था कि जो शैक्षिक सत्र चल रहा है इसके चलते चलते आयुर्वेदिक कालेज संबद्ध कर दिये जायेंगे कानपुर विश्वविद्यालय से। आश्वासन खाली इतना था। वह परीक्षा दे पायेंगे या नहीं इस साल....

श्री अध्यक्ष—

वह तो उनको जवाब दे दिया है और वह सेटिस्फाई हो कर चले गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो सबके सेटिस्फेक्शन का सवाल है, इस सदन के सेटिस्फेक्शन का सवाल है, केवल एक आदमी के सेटिस्फेक्शन का सवाल नहीं है। इस सदन में जो आश्वासन दिया गया है वह मूल चीज है।

श्री अध्यक्ष—

आप बहस चाहते हैं उस वक्त कह लीजियेगा। अब आप कृपा कर के बैठें।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में पूछ-ताछ (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अभी आपने यह व्यवस्था दी है कि जहां तक शलाका का सवाल है वह हो जायगा और उसके बाद जब आपके सामने प्रस्ताव आयेगा तब आप देखेंगे कि यह प्रस्ताव ग्राह्य है या नहीं। मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं कि जो शलाका में कार्यवाही होती है क्या वह कार्यवाही इस सदन की कार्यवाही का अंग है या नहीं? अगर इस सदन की कार्यवाही का अंग है तो मेरा निवेदन है कि जो भी गैर सरकारी प्रस्ताव आते हैं वह शलाका में तब तक नहीं जाता जब तक आपने उसकी ग्राह्यता को स्वीकार नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसका फसला दे दिया कि जब मेरे यहां प्रोसीजर ही यह है कि जो असरकारी संकल्प लोग देते हैं उसे हम शलाका में डाल देते हैं और शलाका में डालने के बाद उसकी ग्राह्यता के लिये हमारे पास आता है। तो अगर मैं देखता हूं कि व्यवस्थित नहीं है और स्वीकार करने के योग्य नहीं है तो मैं कहता हूं कि कानून के विरुद्ध है तब वह खारिज हो जाता है। तब अगर वह पहले नम्बर पर आया था तो दूसरा वाला पहले नम्बर पर हो जायगा। (बहुत सदस्यों द्वारा बोलने के लिये प्रयास करने पर) मैं इजाजत नहीं देता हूं। (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का ११ वां वार्षिक प्रतिवेदन †(१९६८--६९)

उद्योग उपमन्त्री (श्री आबिद अली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का ११वां वार्षिक प्रतिवेदन (१९६८–६९) को कंपनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सरकार द्वारा जन हित में प्रश्न का उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय इस सदन के गौरव, मान और अधिकार का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मैं एक प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। इस सदन के इस अधिकार के रहते हुए कि यह सरकार या कोई सरकार प्राप्तियां और परिव्यय वगैर सदन की अनुमति के नहीं करती उसी तरह से इस सम्मानित सदन का यह अधिकार है और हर एक सदस्य का भी अधिकार है कि जो परिव्यय का विवण हो उसको जान सके और इसी चीज को जानने के लिये एक प्रश्न दिया गया है कि प्रधान मंत्री के दौरे पर कितना खर्चा हुआ और उस पर जवाब यह आता है कि जनहित में नहीं होगा ऐसा बताना। तो आप इस पर व्यवस्था दें कि सदन के और सम्मानित सदस्यों के इस अधिकार के रहते हुए क्या इस तरह का जवाब देना उचित है, क्योंकि एक चीज छिपाई जा रही है इस सदन से और प्रदेश की जनता से जिससे कि जनता के धन का दुरुपयोग बराबर होता रहे।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद नहीं उठ सकता, क्यों कि दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। लिहाजा मेरे पास भेज दीजिये तो व्यवस्था उसकी दे दूंगा कल।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

आपकी व्यवस्था से संबंधित। आपने जो शलाका संबंधी व्यवस्था दी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कौंसिल में जवाब देते वक्त यह कह दिया कि शलाका निकल गयी है और २६ तारीख को विधान सभा में बहस होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने रूलिंग दी है वह कहां तक स्टैंड करती है उस जवाब से जो उन्होंने कौंसिल में दिया है?

श्री अध्यक्ष—

वहां क्या हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं उसका कोई नोटिस नहीं लूंगा। आप कृपा करके बैठें।

---

†छापा नहीं गया।

अमेरिका के फेडरल ऐडमिनस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऐक्ट, १९४६ की भांति विधि बनाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में याचिका

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्तों के अनुरूप विहित करने के लिये अमेरिका के फेडरेल ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऐक्ट, १९४६ की भांति विधि बनाने की वांछनीयता पर विचार करने के संबंध में श्री गंगाधर मिश्र, सविता निवास, आर्य समाज मंदिर मार्ग, गणेशगंज लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह क्या कोई अमेरिका स्पांसर्ड सोसाइटी है जिसके बारे में जगदीश गांधी कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह समिति के सम्मुख जायगी। अगर वह इसको निरर्थक समझेंगे तो इसको खारिज कर देंगे और अगर समझेंगे कि ठीक है तो सदन के सामने वितरित करने की आज्ञा दे सकते हैं, याचिका समिति बनी हुई है, उसके पास जायगा। यह कायदा ही है। वह आपके सदन की समिति है।

श्री जगदीश गांधी—

इजाजत हो तो मैं राय साहब को बताऊं कि यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

अब विशेषाधिकार का प्रश्न लेता हूं।

अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मैं व्यवस्था चाहूंगा। आज पहले प्रश्न पर मैं हर बार खड़ा हुआ। दूसरे पर खड़ा हुआ। कल बदायूं से संबंधित नियम ५१ के ऊपर भी मैं खड़ा हुआ और मुझे खेद है कि आपने मुझे प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया। मैं ऐसा क्या प्रयास करूं कि आप की आंख कैच कर सकूं और आपका कृपा-पात्र बन सकूं। बीसियों बार मैं खड़ा हुआ और एक बार भी अवसर प्रदान नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा भी तो हुआ है कि आप मेरी नजरों में आये और मैंने आपको बुलाया, औरों को नहीं बुलाया। उस वक्त आपको खुशी हुई होगी, दूसरों को नाराजगी हुई होगी। यह हो सकता है कि आप खड़े हुए हों और दूसरे लोग जोर से बोल रहे हों तो आपको मौका न मिला हो। तो आप गम खायें और किसी वक्त में आपको ज्यादा बुलवा दूंगा, उसमें क्या बात है ?

सहकारिता मंत्री के विरुद्ध जान बूझ कर गलत बयानी करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामधारी शास्त्री का प्रश्न है, मैं सुनाये देता हूं—"कल दिनांक ९-६-७० को मुझे तारांकित प्रश्न सं० ३९ और ४० नत्थी 'घ' का उत्तर सरकार की ओर से दिया गया। प्रश्न संख्या ३९ का उत्तर तो ठीक था, किन्तु प्रश्न सं० ४० का उत्तर "प्रश्न नहीं उठता" दिया

[श्री अध्यक्ष]

गया। मेरी दृष्टि में प्रश्न सं० ४० पूर्णतया स्पष्ट और निश्चित था किन्तु उसका उत्तर जानबूझ कर गलत दिया गया। जिससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई और साथ ही सम्मानित सदन का अपमान हुआ है। अतः मैं माननीय सहकारिता मंत्री तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने यह उत्तर तैयार किया विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं।

इसमें विशेषाधिकार का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जिस तरह से यह नियम में है कि जो प्रश्न हो वह निश्चित हो उसी तरह से यह भी है कि उत्तर भी निश्चित हो। श्रीमन्, यह जो प्रश्न है उसको आप सुन लें। ३९ के सम्बन्ध में मुझे कोई शिकायत नहीं है। ४० क सम्बन्ध में मैंने श्रीमन् का ध्यान आकर्षित किया है। प्रश्न यह है :

"क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार में आडिट रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक का गबन व गोलमाल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी संस्था को कोल्ड स्टोरेज के लिये एक लम्बी रकम फिर कर्ज के रूप में क्यों देने जा रही है ?"

मान्यवर, इसका उत्तर यह है कि प्रश्न नहीं उठता। मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें दो प्रश्न बहुत स्पष्ट हैं और मंत्रीजी की ओर से कहा गया है कि प्रश्न नहीं उठता जब कि मैंने स्पष्ट कहा है कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार है। मेरा यह आरोप है कि जानबूझ कर इसके उत्तर को छुपाया गया है जिससे कहीं भण्डाफोड़ न हो जाय। इस पर श्रीमान् की रूलिंग भी है कि अगर मंत्री गलत उत्तर देते हैं तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष—

आप रूलिंग दिखा रहे हैं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

जी हां। यह २९ अक्तूबर, १९६३ को है कि मंत्री को सही उत्तर देने के लिये कहा जा सकता है और जानबूझ कर गलत उत्तर देने पर उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है ? यह संहित संकलन के पृष्ठ २१८ पर है। मेरा आरोप है कि माननीय मंत्रीजी की ओर से जानबूझ कर गलत उत्तर दिया गया है कि प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या जानबूझ कर उन्होंने इस तरह से गलत उत्तर दिया। मैं इतना मानता हूं कि उत्तर सम्पूर्ण नहीं है, अधूरा है। वह इसलिये है कि इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या यह सही है कि जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, देवरिया को देवरिया में कोल्ड स्टोरेज के खोलने के लिये एक बड़ी रकम कर्ज की शक्ल में दी जा रही है, उन्होंने उत्तर दिया "जी नहीं" यानी कर्ज की शक्ल में कोई रकम नहीं देंगे। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त जनता केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार में आडिट रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक का गबन व गोलमाल है ? यह दूसरा प्रश्न पूछा गया है। इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर यह है, यदि हां, तो क्या सरकार उसी संस्था को कोल्ड स्टोरेज के लिये एक लम्बी रकम फिर कर्ज के रूप में क्यों देने जा रही है ? इसका उत्तर है कि जब नहीं देने जा रही है तो प्रश्न नहीं उठता। बीच का हिस्सा छूट गया है तो यह उन्होंने गलती की, लेकिन ऐसा नहीं मालूम होता कि जानबूझ कर ऐसा किया। (आपरेटिव पार्ट है) वह आपरेटिव पार्ट उनकी नजर से छूट गया। मैं

एक जुडिशल ऐटिट्यूड रखता हूं और वह यह है कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाय कि मंत्री जी ने जानबूझ कर किया है तो बेनीफिट आफ डाउट उसे मिलता है जो उत्तर देने वाला है उसको। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि उसका उत्तर बीच के हिस्से का, उत्तर आगे दीजिये। पहले प्रश्न का सही उत्तर यह है कि कोई गबन नहीं हुआ या हुआ। दूसरे का उत्तर है कि चूंकि हम नहीं दे रहे हैं इसलिये प्रश्न नहीं उठता है। अगर यह चीज होती तो उत्तर कम्पलीट हो जाता। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह कृपा करके इसका उत्तर कनेक्ट करके उत्तर दे दें। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्राग्दर्शन में मालूम नहीं होता है जब तक कि स्थिति स्पष्ट न हो जाय कि जानबूझ कर उन्होंने किया है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। अब आपको इसके लिये अल्पसूचित प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। कल मैंने कहा था लेकिन चूंकि आपने प्रश्न उठा दिया इसलिए अब जरूरत नहीं है। मैं मंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह उत्तर को कनेक्ट करके दे दें।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो प्रश्न आया करें उनको कृपा कर मंत्री जी पढ़ तो लिया करें, वह सोये क्यों रहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

पचासों काम होते हैं। वैसे यह ठीक है। आप कभी मंत्री बन चुके हैं? अगर न बने हों तो बन जायं तो पता हो जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

यह रोज का काम है।

बिक्रीकर मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास श्री मुमताज मोहम्मद खां का पत्र आया है उसे पढ़े देता हूं। मैं अपने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ जो कि विधान सभा की आज दिनांक ९ जून, ७० की कार्य-सूची में सम्मिलित है के सरकार की ओर से दिए गये गलत उत्तर के संबंध में माननीय बिक्री-कर मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।

माननीय बिक्री-कर मंत्री ने जो आज विधान सभा में मेरे उक्त प्रश्न के संबंध में यह उत्तर दिया है कि तत्कालीन सरकार ने हैन्डलूम और पिटलूम की दरियों को बिक्री-कर से मुक्त करने का निश्चय नहीं किया था। यह बात बिल्कुल गलत और निराधार है। इस प्रकार माननीय मंत्री ने सदन में गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया है। क्या यह सत्य नहीं है कि तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने तत्कालीन सरकार के इस अन्तिम निर्णय के पश्चात् कि हैन्डलूम तथा पिटलूम की दरियों को बिक्री-कर से मुक्त किया जाय, इस प्रकार के नोटीफिकेशन पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे और उस विज्ञप्ति को प्रकाशित होने के लिये भेज दिया गया था? क्या यह सत्य नहीं है कि उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन को वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिया और इस संबंध में अपना एक नया निर्णय लिया?

मैं आशा करता हूं कि आप माननीय बिक्री कर मंत्री के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सदन में करने की कृपा करेंगे। आभारी हूंगा।

आप इसमें यह बताइये कि जानबूझ कर उन्होंने कौन सी गलत चीज कही है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

जानबूझकर गलत उत्तर दिया, जानबूझकर सदन को गुमराह किया और सदन का अपमान किया।

श्री अध्यक्ष—

यह बतला दें कि क्या गलत उत्तर दिया।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

तत्कालीन सरकार ने अन्तिम निर्णय लिया था कि हैन्डलूम और पिटलूम की दरियों को बिक्रीकर से मुक्त किया जाय और तत्कालीन मंत्री ने नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे उसके बावजूद बिक्रीकर मंत्री ने सदन में यह उत्तर दिया कि तत्कालीन सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया था। तो मैं यह समझता हूं कि यह बिलकुल गलत उत्तर है और सदन को एक तरह से गुमराह किया गया है और आप हमारे सदन के अधिकारों के रक्षक हैं इसलिए आपका यह कर्त्तव्य है कि आप हमारे सदन के इन अधिकारों की रक्षा करें। प्रश्नों के जो यह सरकार गलत उत्तर देती है उससे सदन का अपमान होता है और इस तरह से सदन के गौरव को गिराया जाता है और एक ऐसी परम्परा और व्यवस्था पैदा होती है जिसे किसी प्रकार अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

बिक्रीकर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

मान्यवर, मेरा उत्तर था कि तत्कालीन सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया था। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो कहा गया वह गलत था। उत्तर बिल्कुल सही था।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या ऐसी विज्ञप्ति पर माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय के हस्ताक्षर हुये थे या नहीं मैं यह जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस विज्ञप्ति पर माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री जी के हस्ताक्षर हुये थे वह प्रकाशन के लिये भेजा गया था या नहीं और फिर उसको सरकार ने रोका या नहीं। जो बात बिक्री कर मंत्री जी कह रहे हैं वह बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। यह कहना सदन का अपमान करना है और अशोभनीय है।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

७ दिसम्बर, १९६६ को इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि माननीय उप गृह मंत्री ने गलत बयानी की है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस विषय में आप कुछ जानते हैं या नहीं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मेरा तो यही कहना है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने उस पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं फैसला दे चुका हूं। जो प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर जो मंत्री जी देते हैं उसको यह मान कर चलना पड़ता है कि वह उत्तर सही है जब तक कि उसको डिसएप्रूव न किया जाय। उन्होंने यह जवाब दिया था कि जहां तक मैंने अपने पेपर्स देखे हैं उन पेपर्स के हिसाब से यह फैसला अन्तिम नहीं किया था। एक और भी बात कही है कि एक कमेटी या उप समिति कैबिनेट की जो बैठी थी उस ने यह बात तय की थी लेकिन कैबिनेट ने उसको स्वीकार नहीं किया, पहली गवर्नमेंट में। यह चीज नहीं है कि उसको अन्तिम रूप से स्वीकार किया है। जहां तक फैक्ट्स के

बारे में कोई बात है उन्होंने जानबूझ कर उसको छिपाने की कोशिश नहीं की और कभी भी यदि आप देखना चाहें, मैं देख लूंगा कि कोई बात नई है या इससे दूसरी है। इससे यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि उनका लोगों को ठगने का कोई उद्देश्य नहीं था। इस कारण मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आप की जो व्यवस्था होती है उसको हम सब मानते हैं और हम लोगों को आशा है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते रहेंगे। उन्होंने एक स्पष्ट उत्तर मांगा था कि भूतपूर्व वित्त मंत्री के उस पर हस्ताक्षर हुये थे या नहीं। आप कृपा कर उस का उत्तर दिलवा दें।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी मान्यवर ने कहा कि मंत्री महोदय ने अपनी जानकारी के हिसाब से सही उत्तर दिया और यह भी कहा कि जानबूझ कर उन्होंने किसी फैक्ट को छिपाने की कोशिश नहीं की। मान्यवर, इस प्रकार से आप यह भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं इसको देख लूंगा। इस प्रकार से उन पर आक्षेप भी लगता है। मैं निवेदन करूंगा आप इसमें अपनी व्यवस्था दें।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अपना निर्णय दिया वह सिर आंखों पर, लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मंत्रीगण प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उसमें सच्चाई कम और गलती ज्यादा होती है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। श्रीमन्, मैंने आपको जो पत्र लिखा है उसमें दो प्रश्न उठाए हैं कि क्या उस नोटीफिकेशन पर भूतपूर्व वित्त मंत्री जी के हस्ताक्षर हुये थे या नहीं और क्या उसको प्रकाशन के लिये भेजा गया था या नहीं। आप इस सम्बन्ध में स्वयं भी मालूम कर लें और माननीय मंत्री जी से भी कृपया यह कहें कि वह इस सिलसिले में सही स्थिति की जानकारी करके संशोधित उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जरूर कहूंगा कि वह फिर से देखलें चूंकि पुराने वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह पहले हो गया था। तो वह पेपर्स देख लें और यदि समझते हैं कि सही उत्तर है तो ठीक है। दुबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है।

समाचार-पत्रों में गलत नाम प्रकाशन के सम्बन्ध में शिकायत

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। कई रोज से श्री फिरंगी प्रसाद विशारद कह रहे हैं कि अखबारों में उनका नाम गलत छप रहा है, कभी खाली फिरंगी छाप देते हैं, कभी फिरंगी लाल छाप देते हैं, कभी विशारद छोड़ देते हैं। उनका नाम है श्री फिरंगी प्रसाद विशारद। कृपा करके आइन्दा उसको सही छापा करें।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, एक विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने उठाया है और दस बजे के पहले सचिव महोदय को दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आपका देर से आया। मैंने दो ले लिए। वैसे तो एक ही लेना चाहिये लेकिन वह पड़े थे तो उनको ले लिया। उस पर मैं कल फैसला दूंगा, पढ़ने के बाद दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

श्रीमन्, प्रेस वालों से कह दें कि सही नाम दिया करें। राजेन्द्र कुमार शर्मा मेरा नाम है और कल राजकुमार शर्मा छाप दिया, स्वतंत्र भारत में था।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, प्रेस वाले कृपया नोट कर लें।

१९७०–७१ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २५—उद्योग, अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण तथा अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

*उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,४९,१८,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९४,१७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८०,९९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, इस मांग को सदन के सामने रखते हुये यह निवेदन करना है कि हमारे सूबे के लिये और हमारे देश के लिये उद्योग बहुत जरूरी चीज है। बिना इसके हम विकास नहीं कर सकते। जब तक हम अच्छी तरह से अपने सूबे का उद्योगीकरण न कर लें उसका विकास नहीं हो सकता है। बिना इसके न हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, न दूसरे सूबों के सामने आगे बढ़ सकते हैं और न हम अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। ऐसी हालत में हमें हमेशा इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। इस विभाग की ओर हमारे सब सदस्यों और दूसरे लोगों की कृपा होनी चाहिये। इसलिये उद्योग के माने हैं श्रम, परिश्रम को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक हम श्रम न करें। जब तक सच्चाई के साथ और लगन के साथ श्रम नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको आगे बढ़ाने के लिये बहुत परिश्रम की जरूरत होगी। इसमें हमको आपकी सलाह और मशविरे की जरूरत होगी। हम चाहते हैं कि इस विभाग को जितनी आप सलाह दे सकें और जितनी भी आप आलोचना कर सकें इस दृष्टिकोण से कि किस तरह से अपने सूबे को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे समृद्धि यहां पर बढ़ाई जा सकती है तो वह हम स्वीकार करेंगे। इस दृष्टिकोण से नहीं आलोचना करना है कि आलोचना करनी चाहिये। आग बढ़ाने के उद्देश्य से जितनी भी आलोचना होगी वह हमारे लिये लाभप्रद होगी और हम आपके आभारी होंगे। मैं इस समय विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जो आपके सुझाव आयेंगे और आपकी आलोचनायें आयेंगी मैं उनका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। अगर यहां पर न दे पाया तो बाद में उन सब का संकलन कर के अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर उनका समाधान होगा। उस समाधान से आप को सूचित किया जायगा। आपके सहयोग और सलाह के बिना हम आगे चल नहीं सकते हैं। जब तक आपका सहयोग और सलाह न हो, काम नहीं चल सकता है। मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं कि :

समालोचक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।
बिन साबुन पानी बिना, निमल करे सुभाय॥

जितने भी आप सुझाव देंगे वह हमको ग्राह्य होंगे। हम उनको विचार करके स्वीकार करने का प्रयास करेंगे और जहां तक सम्भव होगा समापन करेंगे लेकिन एक ही निवेदन है कि वे सुझाव रचनात्मक होने चाहिये। इस दृष्टि से न किये जायं कि आलोचना करनी ही है। इस निवेदन के साथ मैं बैठ जाता हूं कि जितने भी आप सुझाव देंगे उन पर हम विचारपूर्वक गौर करेंगे।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण....

श्री अध्यक्ष—

वह कटौती प्रस्ताव सब के लिये हो गया, आप शार्ट कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते समय जो यह कहा कि हमारा प्रदेश उद्योग में पिछड़ा हुआ है, उसका विकास करना है तो हमें श्रम और परिश्रम करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

उन्होंने यह भी कहा कि हमको कुछ उपयोगी सुझाव चाहिये, शिकायतें नहीं चाहिये, यह बात भी उनकी अपनी जगह सही है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी से बहुत विनम्र शब्दों में एक निवेदन करना है और वह यह है कि हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से देश के अधिकांश भागों से क्या, जो आंकड़े सरकार ने हमें दिये हैं उनके अनुसार, सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके लिये आप जनता को भी दोषी कह सकते हैं कि यहां की जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

ने परिश्रम नहीं किया परन्तु इसके साथ ही सरकार की उदासीनता, उसकी निष्क्रियता और उसकी वे नीतियां जिनके अन्तर्गत यहां की सरकार ने केन्द्र से कुछ अधिक पाने की मांग नहीं की, भी इसकी जिम्मेदार हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जिनको मैं सिद्ध करूंगा कि हमारे सूबे की सरकार ने चाहे वह आज की सरकार हो या इससे पहले की कोई सरकार हो, उसने केन्द्र से उद्योगों के लिये योजनाओं में धन मांगने में कोताही की है।

अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हैं लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हमने बहुत कम धन मांगा जब कि पंजाब ने हम से तीन गुना मांगा। कन्द्र से जिन्होंने अधिक सहायता मांगी उनको अधिक मिल गई, हमने कम मांगी तो हमें कम मिली। हमें कम सहायता मिलने के और भी बहुत से कारण रहे हैं। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहूंगा कि उनमें से एक कारण यह भी रहा है कि दुर्भाग्य से जब दुनिया चांद पर जा रही है इस प्रदेश में हम केवल कुर्सी तक जाने की कोशिश करते रहे हैं और कुर्सी तक जाने के अलावा इस समस्या को समझने में, उससे संघर्ष करने में और जनता के बीच में जाकर उस को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रदेश के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां २ बड़े उद्योग, एक कपड़े या टेक्सटाइल का था जो बहुत दिनों से यहां समाप्त प्राय हो गया और दूसरा उद्योग गन्ने का उद्योग था। यह गन्ने का उद्योग अब दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इस विभाग से अलग हो गया है, यह बहुत बड़ा शुगर का उद्योग है और वह तो इन दिनों ऐसे अधर में लटक गया है कि उसे न तो सरकार स्वयं चलाये और न चलने दे। इस तरह से हमारे प्रदेश में जो उद्योग है वह एक असमंजस में पड़ गया है। शुगर इंडस्ट्री की बात राष्ट्रीयकरण से शुरू हुई और अब एक नया टेक-ओवर का शब्द आ गया है, उस पर हमारी सरकार आ गई है, उसकी क्या विस्तृत रूपरेखा है यह सब मालूम होता है बहुत गोपनीय चल रहा है। हमारे माननीय सदस्य रोज ही उसके बारे में जानकारी की मांग करते हैं लेकिन उसमें क्या गोपनीयता है, क्या राज उसमें छिपा हुआ है जो सदन के सम्मुख नहीं बताया जा सकता कि उस की क्या रूप-रेखा होगी। इस पर वादविवाद भी हो चुका है और यह एक बड़ा उद्योग है।

अब एक दफे उसकी पहले से भी अधिक दुर्दशा हुई है। मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि जो पहले काम हो रहा था उससे भी अधिक। जब से हमने मुकर्रर किये हैं रिसीवर वे भी कोई इन्डस्ट्री के विशेष जानकार नहीं किये परन्तु अपने पक्षपातपूर्ण ढंग से अपने लोगों को कैसे भेज दिया जाय ऐसा ही हमने किया है। इस सच्चाई से इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति आंख नहीं मूंद सकता। वह शुगर इन्डस्ट्री जिसका किसान पर बहुत भारी प्रभाव है, गन्ना खड़ा है, सूख गया, आग लगाई जा रही है, मगर किसान का जो श्रम लगा, वह जो बीज खाद और पानी लगा वह एक वर्ष में घाटे में तो गया। सरकार लगान व आबपाशी को छोड़ने को तैयार नहीं है जहां से वह गन्ना नहीं ले सकी। शुगर इन्डस्ट्री वाले ले नहीं सके, सरकार नहीं ले सकी। कौन इसका दोषी है ? हमारी जनता का, किसान का क्या कसूर है ? दिल्ली में एक कमेटी कुछ दिन पहले हुई जब यह सरकार सत्ता में नहीं आई थी। सौभाग्य की बात यह थी कि उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमांचल प्रदेश के लोग भी थे। सौभाग्य से गेंदा सिंह जी उस कमेटी के सभापति थे जो, दिल्ली में हुई शुगर इन्डस्ट्री के बारे में और वीरेन्द्र वर्मा जी उसके संयोजक थे। परन्तु यू० पी० में जो विचार करने के बारे में हुई उसमें सभापति वीरेन्द्र वर्मा और सदस्य गेंदा सिंह जी बनाये गये। वे संयोजक भी नहीं रहे। वह कमेटी बैठी और कहा गया कि एक महीने में रिपोर्ट आयेगी। शायद तीन महीने से अधिक हो गया। कल मंत्रि परिषद् में भी विचार होना था। यह सरकार संकेत तक देने को तैयार नहीं है कि क्या गोपनीयता चल रही है। जून के महीने में गन्ना समाप्त हो जायेगा। क्या दशा होगी किसान की। क्या दशा होगी इन्डस्ट्री की। मुझे दो चार जगहों की सूचना है।

जहां-जहां रिसीवर भेज दिये गये हैं, वे न सरकार को ही कुछ दे रहे हैं, न किसान को दे रहे हैं बल्कि पहले से अधिक घाटा चल रहा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई, वजूद में आई तब से घाटे में चल रही है। लेकिन जब सरकार ने उनको ले लिया तब सरकार की

जिम्मेदारी है। मिल मालिकों को परचेज टैक्स में बिना मांगे छूट दे दी है। यह विधान सभा में भी बताया गया है। किसानों के गन्ने के भाव नहीं बढ़े और न उसका गन्ना लिया गया। इस प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इस असमंजस में फेल हो रहा है। सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर पा रही है। मैं कह नहीं सकता। वह रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख नहीं आ पायेगी क्योंकि उसको इरादे से नहीं लाया जा रहा है बल्कि उसके दूसरे ही कारण होशियारी से दिखाये जा रहे हैं। मैं यहां चालाकी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। सारा प्रदेश देखता रहे हमारी तरफ कि हम क्या निर्णय लेने वाले हैं और उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह सीजन समाप्त हो जायेगा। यह शुगर इन्डस्ट्री की हालत है जो सरकार के अधिकांश रूप में कब्जे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश, के पृष्ठ ८८ पर लिखी गई है। उद्योग के बारे में जनरल है। मगर खासतौर से लिखा गया है कि जो हमारी प्रति व्यक्ति आय थी प्रदेश की योजना से पहले वह २५९.६२ थी और योजना के आज तीसरे प्लान की समाप्ति पर वह २४४ हो गई। इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि योजना से पूर्व जो आय थी वह अधिक थी और जैसे-जैसे योजना चलीं वह प्रति व्यक्ति हमारी आय कम हो गई। राष्ट्रीय आयोजना से पूर्व २४७ थी, वह अब बढ़ कर ३१५ हो गयी। इस प्रकार सारे देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पर आपके उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय घटी है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमारे यहां लोगों ने श्रम कम किया। मगर यह बात नहीं है। आपने केन्द्र से मांगने में कोताही की और केन्द्र ने देने में शायद शर्म महसूस की, यही कह सकता हूं क्योंकि सौभाग्य से अब तक हमारे ही प्रदेश के लोग प्रधान मंत्री पद पर रहे हैं, वे देने में संकोच करते रहे। तीनों योजनाओं में हमें १८३८ करोड़ मिला जो केन्द्र का ३.९ प्रतिशत होता है। आबादी हमारे प्रदेश की सबसे ज्यादा बढ़ी है, और जो धनराशि मिली है वह सबसे कम। आपने एक तो कम मांगी और केन्द्र ने जो मांगी उससे भी कम दी। तो हमारा प्रदेश दोहरे पाटों के बीच में फंस गया।

मान्यवर, जो उद्योग हमारे यहां आना भी चाहते हैं वे हमारे यहां इसलिये नहीं आ पाते कि उनको कोई प्रोत्साहन हमारे यहां से नहीं मिलता। उद्योग वाले आते हैं और दफ्तरों का चक्कर लगा कर लौट जाते हैं। वे हरियाना या पंजाब चले जाते हैं। आपके यहां आफिसरों का व्यवहार ही ऐसा है कि वे लौट जाते हैं। बंगाल की दशा आज कुछ ऐसी है कि वहां के काफी उद्योग यहां आना चाहते हैं, लेकिन वे तभी आयेंगे जब आपके यहां से सद्भावना पूर्ण व्यवहार और सुविधायें उनको उपलब्ध करायी जायेंगी। उनकी मांगों को समझा जाय और सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाय। गाजियाबाद दिल्ली से करीब-करीब उतना ही नजदीक है जितना फरीदाबाद, लेकिन फरीदाबाद आपके उद्योग चले जा रहे हैं गाजियाबाद नहीं आते। यहां तक कि गाजियाबाद के बहुत से उद्योग फरीदाबाद चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसीलिये कि वहां उनको सुविधायें आपके यहां से अधिक मिल रही हैं। मुझे निजी जानकारी है, जिस तरह से आप अपने यहां जमीन देते हैं खुद एक्वायर करके, वहां उस तरह से जमीन भी उनको नहीं दी जाती। जमीन उनको स्वयं खरीदनी पड़ती है। पंजाब और हरियाना में उनको खुद ही जमीन खरीदना पड़ती है। सरकार तो केवल लाइसेंस तथा अन्य सुविधायें देती हैं। लेकिन फिर भी आपके उद्योग वहां चले जाते हैं। पहले चले गये हैं और आगे जा रहे हैं। हमारे यहां आ कौन रहे हैं? दिल्ली से जब वेश्याओं को निकाला गया तो वे उत्तर प्रदेश में आ गयीं। जब वहां से भिखारियों को निकाला गया तो वे भी यहां आ गये। जितनी भी खराब चीजें हैं वे यहां आ जाती हैं। और जो भी अच्छे-अच्छे काम हैं, उद्योग हैं वे उखड़ कर पंजाब और हरियाना चले जाते हैं। यह कितनी खराब बात है।

[श्री रामचन्द्र बिकल]

हमारे देश और प्रदेश के संचालकों ने कभी इन गम्भीर समस्याओं को बैठ कर सोचा नहीं, क्योंकि उन्हें फुरसत कम रहती है । क्या वजह है पंजाब और हरियाना में जाने की ? श्री प्रताप सिंह कैरो से मिलने का मौका मिला । मेरे ही क्षेत्र के सराय-गढ़ी के रहने वाले एक सज्जन मनखान साहब ने हिसार में एक तेल इंडस्ट्री लगाई है । वह हमारे उत्तर प्रदेश में भी पहले आए थे, चूंकि वह यहीं के रहने वाले थे, इसलिए वह यहीं इंडस्ट्री अपनी लगाना चाहते थे। लेकिन लखनऊ और कानपुर बार-बार घूमने के बाद उन्हें बहुत कड़ुवा तजुर्वा हुआ। उसको मैं नहीं यहां कहना चाहता। बाद में वह कैरो साहब के पास चंडीगढ़ पहुंच गये। कैरो साहब ने सबसे पहले उनसे मिलते ही उनको बधाई दी और कहा कि तुम यू०पी० के आदमी हमारे प्रदेश पंजाब में इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो यह बहुत अच्छी बात है, इसस हमारे प्रदेश के लोगों को रोजी मिलेगी और प्रदेश उन्नति करेगा, यह तो आप हमारे साथ परोपकार का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पी० ए० को बुला कर उनकी सारी मांगों को नोट कराया । कैरो साहब की यह विशेषता थी, वह अपने पी० ए० को लिखवा देते थे कि उस व्यक्ति की क्या-क्या मांगें हैं । वह साहब आज भी दिल्ली में रिंग रोड पर रहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी मांगों की पूर्ति के लिए उन्होंने मुझे २०दिन का समय दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन बातों को आपने मेरे पी० ए० साहब को लिखवाया है, उनमें से एक भी अगर २० दिन में पूरी न हों तो आप मेरे पास न आना, सिर्फ चिट्ठी लिख देना।

वह इंडस्ट्रिलस्ट पंजाब, दिल्ली व य० पी० में उन दिनों रहा, पंजाब के सरकारी अफसर, जो जिस विभाग, जिस बात से सम्बन्धित है उन्होंने उनसे एक-दो नहीं पांच-पांच बार दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने आगे बताया कि मैं २० दिन के अन्दर काम नहीं कर सका, यह मेरी मजबूरी की बात थी, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि मैं शर्मिन्दा होकर खुद लिखने के बजाए उनसे मिलने खुद गया और उनको बधाई दी तुम्हारा प्रदेश क्यों प्रगति नहीं करेगा। तुम्हारे अधिकारियों ने खुद दिल्ली लाकर मुझे ढूंढा और मुझसे भेंट की। मेरी यह हर्गिज मंशा नहीं है कि रिश्वत से कोई काम हुआ होगा, वह बहुत सच्चे आदमी ह । कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई आदमी उनके पास लोभवश आया हो। वह अपने अफसरों को जो आदेश देते थे उसका पालन चाहते थे। आज उद्योगों के मामले में---छोटे और बड़े उद्योगों के मामले में, हमारा प्रदेश, प्रधान मंत्री का प्रदेश कितना पीछे है और हरियाना व पंजाब आदि कितने आगे हैं यह बड़ा गम्भीर और विचारणीय प्रश्न है। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति आय बताकर इसे स्पष्ट किया है।

उपाध्यक्ष महोदये, मैं एक आंकड़ा और प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास सरकार की सन् ७० की डायरी है, जिसमें लिखा है कि हमारे यहां कोताही कन्द्र स लेने में हुई, जिसके कारण हमार यहां काम हुआ नहीं। माननीय मंत्री जी स्वयं कानपुर से आते हैं और वह छोटी-मोटी इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, वहां की कठिनाइयां जानते हैं, लेकिन हमारे यहां के मजदूर काम भी करना चाहें तो तालाबन्दी की घटनाएं बराबर घट रही हैं, आखिर वह काम कैसे करें। यह बात सरकार की डायरी से स्वयं स्पष्ट होती है। उन्होंने काम करने भी नहीं दिया। सन् ६० में उत्तरप्रदेश में ६० तालाबन्दी हुई। १९६१ में ९३, १९६२ में ९२, १९६३ में ९६, १९६४ में १६६, १९६५ में ११६, १९६६ में १८१, १९६७ में १९९ और १९६८ में १७४। यह तालाबंदी की घटनाएं बराबर बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तालाबन्दी हो जायगी तो काम कहां से होगा ? श्रम करन का हमारे यहां मजदूरों को मौका ही नहीं है। मजदूरों का उद्योग में मुनाफा और उसके प्रबन्ध में कुछ भाग होना चाहिए। उनके एक दो आदमी प्रबन्ध में कर दें, मुनाफे का कोई प्रतिशत मजदूरों को देंगे तो मजदूरों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जब तालाबन्दी हो जाय, मुनाफा न मिले, प्रबन्ध में उनका हाथ न हो, तो समय बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ, बदलते हुए समय के साथ हमारे कायदे कानन भी बदलने चाहिए। हमारे प्रदेश क अन्दर

मजदूरों की उपेक्षा है। चूंकि हमारे मंत्री जी कानपुर से आते हैं इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूं। यह घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रदेश कैसे आगे जायगा? श्रम स्वयं एक पंजी है। अभी तक हमारे देश के अन्दर पैसे को ही पूंजी समझा गया है। यह दुर्भाग्य रहा है। माननीय मंत्री जी जब श्रम का महत्व चाहते हैं तो श्रम को एक पूंजी भी समझनी पड़ेगी। अब यह मान कर चलेंगे तो पैसे वाले के मुकाबले में श्रमवाले को उद्योग में हिस्सा मिलना स्वाभाविक है। जिस प्रकार पैसे के बिना काम नहीं हो सकता वैसे ही श्रम के बिना नहीं हो सकता। दूसरे देशों में श्रम को महत्व मिल रहा है लेकिन हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में श्रम के महत्व को कोई समझता ही नहीं जब श्रम को सम्मान नहीं मिलता, तो नयी पीढ़ी जो आ रही है वह श्रम से मुंह मोड़ती चली जा रही है। चाहे जितना पढ़े-लिखें श्रम करने के लिए भावी पीढ़ी तैयार नहीं है क्योंकि श्रम को महत्व नहीं दिया। हमको श्रम को महत्व देना होगा तब अगली पीढ़ी को बता सकेंगे कि श्रम के बिना देश में कोई उद्योगीकरण या खेती का काम नहीं चल सकता। श्रम के महत्व को समझना चाहिए यह मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं।

दुर्भाग्य से दो ही क्षेत्र हमारे यहां काम करने के हैं उद्योग में, एक सरकारी क्षेत्र जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं और एक निजी क्षेत्र जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। सरकारी क्षेत्र में दो तीन ही काम मेरी जानकारी में है। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्टरी, लखनऊ की इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी और बरेली की लीसा फैक्टरी। एक दो छोटी मोटी और इंडस्ट्री होंगी जिसमें सरकारी क्षेत्र में काम हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट के मुकाबले में परमिट, कोटा वगैरह की सुविधाएं ज्यादा हैं। वह भी हमारी घाटे में चल रही हैं। जब कोई योजना घाटे में चलायी जाय तो इस पर भी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। एक तरफ देश में राष्ट्रीयकरण की मांग तेजी से बढ़ रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन राष्ट्रीयकरण बगैर राष्ट्रीय चरित्र के सफल होगा। एक शंका होती है। जो सरकारी क्षेत्र में लेते चलें जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? राष्ट्रीय चरित्र जैसी कोई चीज नहीं रही तो हमारे देश का क्या हाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप सभी हालात से वाकिफ ह। देश कहां से कहां पहुंच गया। हम सरकारी क्षेत्र में काम लें और बराबर घाटे में चलाएं। बहुत सी बातें होती हैं, हमारे प्रबन्ध की।

हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ अनुभव टेक्निकल ज्ञान है या नहीं। हम ऐसे लोगों को चुनें जो उस इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि जानते हों उनको वह काम दिया जाय। हमारे जो अफसर हैं जो डिग्रियों में योग्य हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री वाले हो सकते हैं लेकिन जिस काम को उन्हें सौंपा जा रहा है उसका अनुभव उनको नहीं है, विशेषकर उद्योगों के बारे में और वह काम उनको आप दे दें तो हमारा काम सफर करेगा। हम ऐसे लोगों को नियुक्त कर लेते हैं चाहे वे आई० ए० एस० हों जिनको निजी अनुभव नहीं है काम करने का, रुचि और लगन नहीं है उस काम को करने की तो वह काम सफर करेगा। बरेली की फैक्टरी है। जापान हो कर एक सरकारी अफसर आये। उन दिनों मुझे उस फैक्टरी को देखने का मौका मिला। उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। वह जापान गये, सरकारी खर्चा हुआ और तबादला उनका दूसरी जगह कर दिया गया तो मैंने सवाल किया कि जापान क्यों भेजा गया था। मैंने वह ट्रान्सफर रोक दिया। जो विशेष ज्ञान प्राप्त करके आया हो, जिसको काम में रुचि हो और साल दो साल काम समझा हो तो उद्योगों में यह तीन साल के ट्रान्सफर का नियम हटा देना चाहिये। उद्योग में जो आदमी रखा जाता है वह काम को समझता है। उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। तीन साल के बाद लाजमी तबादला वाला हामारा नियम सख्त हो गया है, उद्योग में यह नियम आवश्यक नहीं है। रोज-रोज वहां से हटाना उचित नहीं है। इन्हीं कारणों से हमारे सरकारी उद्योग घाटे में चल रहे हैं। यह सारे देश की बात है।

अपने स्वार्थ के मुकाबले में राष्ट्र के लिये काम करने की भावना कम होती जा रही है। इसमें सरकारी अफसरों को मैं दोषी नहीं मानता, यह सारे राष्ट्र तथा समाज की बीमारी है।

[श्री रामचन्द्र विकल]

अपने काम के लिये रात भर जाग सकना, घंटे का हिसाब न करना लेकिन राष्ट्र के के लिये यह सारी भावना न रखना यह भावना आज सर्वव्यापी है। सारे देश का यह परम कर्त्तव्य हो गया है कि स्वार्थवश अपने लिये जो वह काम करता है वही काम राष्ट्र के लिए भी करे। प्राइवेट उद्योगों में कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनके कारण उद्योग पनप नहीं पाते हैं। तेल का उद्योग उत्तर प्रदेश में काफी खराब है। यहां की सरसों राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में चली जाती है। हाथरस का उद्योग खास तौर से तेल का सफर कर रहा है। कारण यह है कि यहां तेल सरसों दोनों पर सेल्स टैक्स है जब कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में केवल तेल पर ही सेल्स टैक्स है। इस तरह हमारे नियम भी कुछ ऐसे हैं जिनके कारण लोग दूसरी तरफ रागिब होते जा रहे हैं। प्राइवेट उद्योगों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्राइवेट उद्योगों को देने में हमारी सरकार वैसे ही कमजोर रही जिस प्रकार की योग्य अफसरों को काम में लाने में कमजोरी दिखलाती है। उद्योग कहां लगाया जाय, किस को जानकारी है यह नहीं देखा। परिमट, लाइसेन्स, कोटा उन्हें दे दिया जिनको इन उद्योगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका इरादा भी नहीं है उसको बेच कर खा गये। परमिट का फायदा दूसरों ने उठाया। अधिकांश लिस्ट ऐसे लोगों की है जिनका काम यह था कि लखनऊ जा करके कोटा लिया जाय और मुनाफा लेकर उद्योग न लगाया जाय। इसकी चेकिंग हो गई होती। इसके लिये हमारे जिलों में उद्योग अधिकारी काफी दिनों से रह रहे हैं या कोई कमेटी जिला लेविल पर हो सकती है जिसके मार्फत यह हो सकता है। हमने चयन करने में भूल की। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ यह हुआ कि जिसको जरूरत थी जो परेशान था, जो सचमुच उद्योग लगाना चाहता था उसको परमिट मिलने में, कोटा मिलने में तथा बिजली मिलने में दिक्कत हुई। हो सकता है अब कम हो गई हो। इधर सात-आठ साल से यह दिक्कत शायद कुछ कम हो गई हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जिसको कि व्यक्ति मौके पर जा कर अच्छी तरह से समझ सकता है। लखनऊ या कानपुर में बैठने से नहीं समझा जा सकता है कि हमको किसकी मदद करनी चाहिए जिसको थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए और किसको मदद नहीं करनी चाहिए तथा कैसी मदद वह चाहता है। इसमें हमारे यहां थोड़ा भेद रहा है और इसकी वजह से हमारी इन्डस्ट्रीज लग नहीं सकीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक और व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां इंडस्ट्रीज घाटे पर रहती हैं। लापरवाही भी बहुत होती है। आडिट रिपोर्ट १९६८ के पृष्ठ ७७ पर लिखा है कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में बोरियों की जरूरत है इसके लिये टेंडर मांग लिये गये। इसको स्वीकार करने के बाद सूचना देने में सात महीने लग गये। उनको बुलाया नहीं गया। इस बीच बोरियों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गये। बहुत बड़ी संख्या में मिर्जापुर की सीमेन्ट की बोरियां ली जाती हैं। तो इस आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि जरा सी लापरवाही से भाव इतने तेज हो गये कि हमारी सरकार को एक लाख अस्सी हजार रुपये का घाटा हो गया। तो मान्यवर, ऐसी अनेकों अनियमितताएं हमारे सरकारी क्षेत्रों में होती रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब की दफा जो बजट बना है उसमें उद्योग की नई मदें मैं सारा ढूंढता रहा किन्तु मुझे कहीं नहीं मिल सकीं। हो सकता है कि मेरी जानकारी बजट देखने में कम हो क्योंकि एक बार माननीय मुख्य मन्त्री यहां कह चुके हैं कि यह बजट मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। उनको सरकार में २० वर्ष हो गये हैं और मुझे तो सिर्फ ९–१० महीने का ही मौका मिला है। तो उद्योग की नई मदें मुझे इस बजट में कहीं दिखलाई नहीं दीं। जहां कहीं भी मिली केवल पुलिस ही पुलिस की नई मदें दिखाई दीं। उद्योग की नई मदों की धनराशि मुझे नहीं मिली। हो सकता है कि कहीं हों और माननीय मंत्री जी अपने भाषण में यह चीज बतायें कि कहां पर हैं। उद्योगीकरण कैसे होगा। मान्यवर, यह किसका कसूर है मैं नहीं जानता। हो सकता है कि कोई यह कहे कि यह पुलिस का बजट नहीं है। मैं माननीय

मुख्य मन्त्री की नीति पहले से जानता हूं। हर मन्त्री की अलग-अलग नीति होती है कि जो विभाग उसके पास हो उसको ज्यादा रुपया मिलना चाहिये। तो फिर उनका जो विभाग है उसी के लिए सब रुपया ले लें और दूसरे विभाग जो प्रदेश की उनति के लिये जरूरी हैं उनको रुपया न दें तो इसमें मैं यही समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग के महत्व को नहीं समझा।

माननीय उद्योग मंत्री अपने विभाग के लिये झगड़े होंगे, लड़े होंगे जरूर लेकिन उनकी न चली होगी लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह कर्त्तव्य था कि अगर वे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं तो उद्योगों के लिये बजट में काफी रुपया रखते। पिछले वर्ष से अबकी दफा उन्होंने उद्योगों के बजट में केवल ३ करोड़ रुपया फालतू रखा है। यह धन-राशि एक तो डाला सीमेंट फैक्टरी के लिये है और खनिज पदार्थों की खोज व दफ्तर के कर्म-चारियों की सहायता के लिये है। बाकी प्रदेश में और किसी उद्योग के लिये बजट में रुपया नहीं रखा गया है। इससे तो अच्छा था कि माननीय उद्योग मन्त्री जी बिना विभाग के ही मंत्री रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि शास्त्री जी कुछ दिन बिना विभाग के मंत्री रहे थे तो वे प्रधान मन्त्री बन गये थे। फारेस्ट ही आप को मिल जाता तो अच्छा रहता क्योंकि वह भी सरकार के लिये बड़ी आमदनी वाला विभाग है। वनों से तो बहुत सारे उद्योग चलते हैं। मैं तो स्वयं कहने वाला था कि विभागों में सामंजस्य होना चाहिये और इसके उद्योग के साथ फारेस्ट बिभाग को मिला देना चाहिये। लेकिन अबकी दफा क्या हुआ? गन्ने को भी अलग कर दिया गया। लेकिन वास्तव में अगर आप प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो क्योंकि ४०–५० उद्योग ऐसे हैं जो वनों पर आधारित हैं और वनों में खनिज पदार्थ भी हैं जो उनसे सम्बन्धित हैं, इसलिये उद्योग के साथ वन विभाग को भी कर दें तो प्रदेश का बहुत कल्याण हो सकता है।

एक कठिनाई और भी है कि इस बार मंत्रिपरिषद् बड़ा है। उनकी कठिनाई को मैं महसूस करता हूं लेकिन पहले जहां एक मंत्री के पास कई-कई विभाग थे वहां अब एक विभाग के ऊपर कई मंत्री लगा दीजिये। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हो तो तीन चार राज्य मंत्री लगा दीजिये उसके साथ, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन सामंजस्य के लिये फारेस्ट विभाग को और उद्योग विभाग को एक साथ कर दीजिये। इससे प्रदेश के औद्योगीकरण का बहुत बड़ा काम हो जायेगा और बहुत क्रान्तिकारी काम हो जायेगा जैसे तेंदू की पत्ती के ही राष्ट्रीय-करण का प्रश्न है। मुझे तो थोड़ा सा ही समय मिला था जिसमें मैंने उसके लिये विधेयक तैयार भी करवाया था लेकिन हम सरकार से चले गये जिससे यह वैसा ही बना रह गया और यह सरकार वह विधेयक नहीं ला सकी जिससे बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर के गरीबों का फायदा हो सकता है। आज हालत यह है कि कि तेंदू की पत्ती के ठेकेदार हैं वे उन गरीबों से काम लेते हैं और उनको कुछ नहीं देते हैं। आप सोचें कि वे बुन्देलखंड के जंगलों में आज भी रामचन्द्र जी के जमाने की ही तरह रहते हैं और गाना भी उसी तरह का गाते हैं। आज इस प्रदेश के हित में है कि तेंदू की पत्ती के काम में जो गरीब लगे हुये हैं उनके लिये एक ऐसा विधेयक लाया जाय जिससे उन गरीबों को भी उसमें साझा दे दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि फारेस्ट विभाग और इंडस्ट्री विभाग को एक साथ होना चाहिये, भले ही इसके लिये आपको कई मिनिस्टर लगाने पड़ें लेकिन सामंजस्य बना रहना जरूरी है।

अबकी दफा इरिगेशन से पावर को अलग कर दिया गया जिसके लिये पहले बड़ी दुहाई दी जाती थी कि इरिगेशन के साथ ही पावर को रहना चाहिये ताकि विभागों में सामन्जस्य बना रहे लेकिन अब मैं क्या कहूं, मंत्री मंत्री में भी भेद हो रहा है। मंत्रि परिषद् के मंत्रियों में भी भेद नजर आ रहा है, फिर प्रदेश का औद्योगीकरण किस प्रकार से होगा।

[श्री रामचन्द्र विकल]

हमारे प्रदेश में अनेक उद्योग ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। प्लास्टिक उद्योग में बड़ा घाटा हो रहा है। मशीन खराब पड़ी है और खर्चा बहुत हो रहा है। मुरादाबाद में जाली बनाने की मशीनरी बेकार पड़ी है, उस पर भी खर्च हो रहा है। लखनऊ, बहराइच, कानपुर आदि स्थानों पर जो आई० टी० आई० स्कूल हैं उनमें १० करोड़ रुपये की ऐसी मशीनरी है जो अभी तक खुली भी नहीं है और उसके ऊपर साया भी नहीं है। पानी में वह भीग रही है।

बड़े-बड़े उद्योगपति केन्द्र से उद्योगों के लाइसेंस तो ले लेते हैं लेकिन उनको चलाते नहीं हैं, इसलिये कि दूसरा कोई उन उद्योगों को न लगा सके। दूसरे उद्योगों का वे रास्ता अवरोध कर देते हैं। कुछ लगे भी हैं लेकिन अधिकांश लाइसेंस ले लिये गये हैं, लेकिन लगाये नहीं गये। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मंत्री जी जांच करायें कि कौन लाइसेंस फर्जी लिये गये हैं। ऐसी अनेक कठिनाइयां हैं जो इस प्रदेश के सामने, जब से देश आजाद हुआ है तब से उसके सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो योजनायें बनायी जाती हैं, उनके पूरा होने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं होती। सारे प्रदेश में इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनी हुई हैं, लेकिन खाली पड़ी हुई हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई योजना बनाये और उसका अच्छा फल न निकले तो उसको दंड दिया जाय। वरना आज एक योजना बनायी, उसके फेल होने पर दूसरी योजना इसी प्रकार से बनती रहेगी। बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं छोटी जगहों पर भी ऐसी एस्टेट्स बना दी गयी हैं। एक हमारे यहां भी है। मेरा यह सुझाव है और एस० वी० डी० गवर्नमेन्ट के जमाने में यह तय भी हो गया था कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खाली पड़ी हुई हैं उनकी बिल्डिंग्स को रहने के लिये या गोदामों के लिये किराये पर दे दिया जाय।

प्राइवेट व्यक्ति जब किसी इन्डस्ट्री को लगायेगा तो जंग खायी टीन के नीचे मशीन लगाकर अपना काम शुरू कर देगा। टीन भी नयी नहीं मिलती है उस बेचारे को। वही पुरानी जंग लगी टीन। उसी में मशीन ले कर बैठ गया और उससे कमाते-कमाते फिर वह उसका शेड बनवायेगा, उसमें कितना विस्तार किया जा सकता है वह करेगा और विस्तार के बाद वह अपनी रिहाइश का मकान, कोठी, गैरेज बाद में बनवाता है। और जो हमारी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनीं उनमें गैरेज पहले, रहने का मकान पहले और जो शेड बनवाये गये बड़े-बड़े वह तो बनने ही थे। यह फर्क है थोड़ा हमारे दृष्टिकोण में। योजना चलेगी या नहीं, पहले ही इतना खर्च कर दिया गया कि जो आकर रहेगा यहां वह शान शौकत से रहेगा। उसकी कार कहां खड़ी होगी, उसके कुत्ते कहां रहेंगे। एक बड़े मजाक की बात है। पुराने जमाने में कब्र खोदने का काम कुछ लोगों के जिम्मे होता था। आदमी होशियार था, बरसात हो गयी, जमीन गीली थी। वह चला गया जिनकी कब्र खोदनी होती थी उनके पास और कहा कि हमें पैमाइश दे दो सारे परिवार की। उन्होंने कहा पैमाइश क्यों मांगते हो? कहा साहब, जमीन गीली है, अभी खोद दूं, सूखे में बड़ी मुश्किल हो जायेगी। ये हमारी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स की कब्र खुदी हुई रखी हैं। उद्योग से पहले, क्या उद्योग लगेगा, सफल होगा या नहीं यह नहीं सोचा गया। चूंकि पैसा मिल जायगा और वह काम में आ जाता है बिल्डिंग में और दूसरे कामों में इसलिये इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बन गयीं सारे राज्य के अन्दर और इंडस्ट्री उनमें लगीं नहीं। २ फी सदी लगी हों तो मैं नहीं कह सकता। कानपुर जैसे शहर के नजदीक लग गयी होंगी लेकिन ज्यादातर आज भी बेकार पड़ी हैं। आगरे की तो इतनी दूर बन गयी और आगरा जिले की आप जानते हैं, वहां अपराधों की संख्या जरा ज्यादा है, वहां रहने वाला शायद ही कोई मिले क्योंकि शहर से बहुत दूर है। ऐसी अव्यावहारिक बातें हमारे प्रदेश की प्रगति के रास्ते में बहुत ज्यादा रोड़ा बनती रहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योग गांवों में लगने चाहिये। यह सभी कहते रहे कि उद्योगों का एक जगह होना ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से भी और लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी।

इन लोगों को फैला कर लगाया जाय गांवों के अन्दर जहां बिजली और सड़क हो तब समझता हूं कि हमारी अधिक जनता को फायदा होगा और मजदूरों को शहर में आने से जो समस्यायें पैदा हो जाती हैं मजदूर, सरकार और उद्योग, तीनों को वह समस्या भी नहीं पैदा होंगी। अगर हम उद्योगों को गांवों की तरफ लेकर बढ़ेंगे तो हमारे देश का सम्पूर्ण विकास होगा। कौन उद्योग कहां लग सकता है इसकी हम जांच करायें, एक कमेटी बना दें, हर जिले की रिपोर्ट मंगायें तब मैं समझता हूं कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होगा। कानपुर के बाद अब दूसरा नगर बन रहा है गाजियाबाद। सरकार का बहुत हाथ है यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जो हमारे पंजाबी भाई वहां से उजड़ कर आये उनमें पुरुषार्थ की मात्रा हम लोगों से अधिक है यह सच बात है। उन्होंने अपने पौरुष से गाजियाबाद में कुछ इंडस्ट्रीज लगायीं। मगर उनको भी अगर सरकार फैला कर लगवाती तो ज्यादा लाभ होता लोगों को। लेकिन एक ही जगह बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी जायं जबकि युद्ध का खतरा हर समय बना हुआ है देश में यह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उद्योगों को इधर-उधर फैला कर लगाना चाहिये ताकि एक ही साथ सारे उद्योग खतरे में न आ जायें और हमारे देश का काम होता रहे। यह हमको गम्भीरता से सोचना चाहिये।

साथ ही सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने पिछले बजट भाषण पर एक आश्वासन दिया था कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में ५ उद्योग लगाये जाने चाहिये और हम उसमें सहायता करेंगे। सौभाग्य से दुर्भाग्य से वह उद्योग मंत्री नहीं है, मैं उनसे सवाल करता, मैंने भाषण सुना था, मुझे अब भी याद है। उससे उन्होंने कहा था कि विकेन्द्रीकरण भी हो जायगा, प्रदेश का औद्योगीकरण भी हो जायगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। तो उद्योग मंत्री आखिर में अपने भाषण में बतायें इस संबंध में। एक उद्योग लगाने के लिये विधायकों को बुलाया गया कि तुम कौन उद्योग चाहते हो, कौन व्यक्ति लगाने वाला है या सरकारी क्षेत्र में लगने वाला है यह सब हुआ। लेकिन उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में कह दिया पर अब देश की जनता कहने में विश्वास करने वाली नहीं है इसलिये कृपया लोगों को बेकार परेशान और आशान्वित न करें और लोग कानपुर, लखनऊ में धक्के तो न खायें। अगर कोटा नहीं है तो आश्वासन कृपया न दें।

एक घोषणा और हुई थी। जो पहले वाली सरकार थी उसने की थी कि उद्योग और खेती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता और दोनों की उन्नति एक दूसरे की उन्नति पर निर्भर है। तो पहली सरकार ने कहा था कि उद्योगों के लिये जो जमीन हम लेंगे वह उपजाऊ नहीं लेंगे। इस स्तर पर उद्योग मंत्री के सामने कठिनाइयां आयीं। मोदीनगर में पावर स्टेशन लगाने के लिये शोर जमीन मैंने सड़क के ऊपर मंत्री जी को दिखाई और आबादी भी जुड़ी हुई है, गांव समाज की जमीन थी, मेरठ और दिल्ली सड़क की शोर जमीन थी, लेकिन उसको न लेकर कई किसानों की उपजाऊ जमीन पावर हाउस लगाने के लिये ले ली। मोदी साहब का प्रभाव इतना अधिक है कि मामूली व्यक्ति की बात कोई सुन नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर जो कोई भी हों, मैं कह नहीं सकता कि मोदी साहब उनके आश्रित होंगे या वे मोदी साहब के आश्रित होंगे। कितने ही किसान जवाहरलाल जी तक पहुंचे। आज भी पहुंचे, लेकिन उपजाऊ जमीन जबरदस्ती छीन ली जाती है और गांव समाज की शोर जमीन नहीं ली जाती। अब मोदी साहब वहां खेती भी कराते रहते हैं और इमारतें और उद्योग को कायम कर दिये हैं। यह नीति पक्षपातपूर्ण है और खेती के लिये भी हानिकारक है और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। आज किसानों की लखनऊ के पास जो जमीन का भी प्रश्न आया। उसमें उसके पीछे भी एक राज है। क्यों न कानपुर रोड पर अपने नजदीक उस इन्डस्ट्री को लगवा लें ?

कानपुर रोड पर अपने नजदीक उस इन्डस्ट्री को लगवाते शोर जमीन पर, लेकिन उसके बजाय उपजाऊ जमीन ले ली और बड़े लोगों की जमीन छोड़ दी। गाजियाबाद में भी चीफ

[श्री रामचन्द्र विकल]

सेक्रेट्री की जमीन छोड़ दी गई और गरीबों की जमीन नहीं छोड़ी गई। यहां भी ऐसे बहुत से अफसर हैं जो नौकरी भी करते हैं और लखनऊ के चारों तरफ उनके बड़े-बड़े फार्म हैं और उन फार्मों पर ज्यादा से ज्यादा सरकारी साधनों का इस्तेमाल होता है लेकिन उनकी जमीन नहीं ली जाती। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इन्डस्ट्री यहां लगें, ज्यादा से ज्यादा लगें लेकिन उपजाऊ जमीनें न ली जाए। इन बातों को जमीन देने से पहले सोच लेना चाहिये। एक बात की ओर मैं संकेत कर दूं। जो प्रोत्साहन दिया जाय इन्डस्ट्री चलाने के लिये वह ऐसे लोगों को दिया जाय जो मेहनत से काम करते हैं, छोटे-छोटे इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर जहां भी सरकार की ओर से सहारा उनको मिल जाय कोटा मिलने में, परमिट में, लाइसेंस में, ऋण मिलने में और अगर अच्छा काम करने पर इनाम देने की बात हो तो भी छोटे उद्योगों को दें जो अपनी मेहनत से चला रहे हैं तो मैं समझता हूं इससे उनका उत्साह बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है कि मोदी और मोहन को विभूषित कर दिया गया उपाधियों से, उनको राष्ट्र पदक दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं कि प्रोत्साहन देने के लिये जो उपाधि दी जाय वह किसी गरीब को दी जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अगर उसको उपाधि मिले तो वह बच्चों के पास छोड़ जायेगा कि फलां काम करने से सरकार ने उपाधि दी है। मोदी साहब ने दिल्ली में एक भाषण में यह कहा कि यह सरकारों की खूबी नहीं है हमको उपाधि देना, यह हमारी खूबी है। जब अंग्रेज थे वह भी हमको रायबहादुर बनाते थे। तो यह हमारी खूबी है, सरकार की खूबी नहीं है। तो इसके लिये यह सोचना है कि प्रोत्साहन देने के लिये जो उपाधि देते हैं वह क्यों न मेहनत करने वाले को दें, क्यों न किसी मजदूर को दें, और क्यों न किसी किसान को दें। लेकिन हम देते किनको हैं? जिनको हमारा ख्याल है। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि जनता में तो उत्साह है, बहुत है, लेकिन सरकार में भी रुचि, उत्साह होना चाहिये। अकेले जनता के उत्साह से काम नहीं चलता। बड़े लोगों को तो कोटा, परमिट लाइसेंस सब मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं मिल पाते। अगर हमें देश का और अपने प्रदेश का विकास करना है तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से उद्योग लगाने चाहिये और जो लाइसेंस देते हैं उनमें आप च्वायस रख सकते हैं कि फलां जिले में, फलां इलाके में इन्डस्ट्री लगानी पड़ेगी।

रिहैन्ड डैम बना, बिजली बनी, और उद्योग वहां लगने शुरू हो गये। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि उद्योग आप सारे प्रदेश में फैलाएं और पूर्वी अंचल में विशेष रूप से। पूर्वी जिलों के लिये पटेल कमीशन बना और उसने सुझाव दिया लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों पर रेलें नहीं जाती है, पर वहां अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, लकड़ी के उद्योग के लिये वहां प्रोत्साहन दें, उनको प्राथमिकता दें और सुविधा दें। यह न हो कि लकड़ी अल्मोड़ा से आये और कारखाना लगे मेरठ में। हमें उत्तरी अंचल जो पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है, जिसके लिये अलग राज की मांग हो गई है, उनकी कठिनाइयों को सोचना चाहिये और उनको अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिये क्योंकि वहां बड़ी आसानी से उद्योग खड़े हो सकते हैं। पता नहीं बरेली में लीसा की फैक्टरी कैसे लग गई। यह था कि मेन रेलवे लाइन पर हो जिससे दिक्कत न हो। हल्द्वानी में या कोटद्वार में लीसा की फैक्ट्री लगा सकते थे। उद्योग वहां लगाना चाहिये जहां लीसा मिले। अगर यह फैक्ट्री लालकुंवा में लगाई जाती तो इससे लाखों आदमियों का भला होता और इससे पहाड़ी लोगों को भी संतोष होता।

मान्यवर बुन्देलखण्ड में भी बहुत खनिज पदार्थ हैं। माननीय शर्मा जी कभी-कभी अलग मांग करते हैं उस इलाके की मगर सरकार को सारे प्रदेश की एक योजना बनानी चाहिये और उस योजना में कौन-कौन से उद्योग कहां-कहां लगाये जा सकते हैं इसकी जानकारी जिला समितियों से और विधायकों और अफसरों द्वारा करावें और फिर विचार करें कौन उद्योग कहां होना चाहिये। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र से हमको अधिक अपना हिस्सा नहीं मिला।

जो हमारी कमी रह गई है और जो हमको घाटा हुआ है, वह तभी पूरा हो सकता है जब हम तेज दौड़ें। हम मांग करें केंद्रीय सरकार से कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि ९ करोड़ से अधिक आबादी है, ५४ जिलों में और देश का छठवां भाग कहलाता है तो उसकी आबादी और रकबा को देखते हुए अधिक से अधिक सहायता दें जिस से जनता का उत्साह बढ़े और साथ ही साथ सरकार का भी उत्साह बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो उद्योग के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे देखकर बड़ी निराशा हुई कि जितनी मांग करनी चाहिये थी उतनी नहीं की। विशेष रूप से खादी बोर्ड के मामले में मुझे कहना है कि जिसके कार्य से उद्योग बढ़ेगा और बेकारी दूर होगी, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में मांग नहीं की गई है। इसी प्रकार से शुगर फैक्ट्रीज का मामला है, इनको उद्योग विभाग के मंत्री से अलग कर दिया गया है, यह जानकर मुझे दुख हुआ। यह नई चीज है जो उद्योग विभाग से अलग कर दिया गया। इसी के संबंध में कहना चाहता हूं कि गन्ना खेतों में सूख रहा है और सरकार की ओर से उदासीनता दिखाई जाती है। जो क्रशर पर पाबन्दी थी वह नहीं रहनी चाहिये थी क्योंकि उनकी वजह से बहुत कुछ गन्ने की समस्या हल हो सकती है। पिछले बजट में भाषण में क्रशर पर से कुछ पाबन्दी हटाई गई और कुछ नये लाइसेंस देने की कोशिश की गई।

एक बात और है कि जब किसान गन्ना बोते हैं तो उनको रेट का पता नहीं लगता है, जब गन्ना तैयार हो जाता है तब रेट निर्धारित किये जाते हैं। गन्ना विकास अधिकारी को यह पता नहीं होता है कि मिल की कितनी कैपेसिटी है और उतना ही गन्ना किसानों से बोवाये इसके लिये वह बता नहीं पाते। कैपेसिटी से ज्यादा गन्ना उत्पादन होने के बाद स्वाभाविक है कि किसानों का गन्ना पड़ा रह जायगा। मान्यवर, सरकार ने जिन शुगर फैक्ट्रीज को ले लिया है अगर वहां कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो टेंडर वगैरह लेने में काफी टाइम लग जाता है जिससे मिल का उत्पादन कार्य ठप हो जाता है। मान्यवर, जो संबंधित मंत्री जी हैं वह हैं नहीं। यह तो वही हालत है कि एक मास्टर ने एक लड़के को भेजा दो पैसे का सोंठ और दो पैसे का मिर्चा लाने के लिये। उस लड़के ने कहा चार पैसे का सोंठ मिर्चा दे दो तो दोनों तो होता नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं फील करते, किससे बात की जाय। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना भाग उनके पास से निकल गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना भाग उनके पास से निकल गया। यह पता नहीं कि कितना उनके पास है और कितना दूसरे के पास है। मैंने यह अन्दाजा लगाया कि धड़ इधर और सर उधर है। इस तरह से जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। इसके बाद और उद्योगों का मामला है जैसा कि माननीय विकल जी ने कहा कि जिनके पास उद्योग का लाइसेंस है उनको समय से सामान नहीं मिलता। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने साइन बोर्ड वगैरह लगा लिया और लोहे की चादरों वगैरह का परमिट लेकर उसे ब्लैक करते हैं और दो चार हजार रुपया उससे पैदा कर रहे हैं। पिछले साल एक घटना गोरखपुर में हुई थी। दूसरी बात आई० टी० आई० के जो सेन्टर्स चल रहे हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। इसमें २५ रु० छात्रवृत्ति दी जाती है और उस में दो तीन साल रहने के बाद निकलने पर उनको कहीं काम नहीं मिलता। और समय बरबाद होता है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में सोचें। पिछली बार भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लाखों और करोड़ों रुपये की मशीनें आकर पड़ी रहती हैं जैसा कि विकल जी ने कहा कि वहां एक करोड़ या दो करोड़ रुपये की मशीनें आई हैं और खोली भी नहीं गई।

[श्री रामलाल भाई]

किस की लापरवाही से मशीनें स्वीकृत की गई और खरीदी गई ? उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

गोरखपुर में हैन्डलूम का विशेष कारोबार होता है। गोरखपुर के बने हुए माल की फिनिशिंग और कलेन्डरिंग खलीलाबाद में होती है और फिनिशिंग और कलेन्डरिंग होकर वह माल फिर गोरखपुर जाता है। इस तरह से इसमें काफी खर्चा पड़ता है। मैंने पार्टी मीटिंग में भी मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि फिनिशिंग मशीन गोरखपुर में लगा दी जाय जहां करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। मान्यवर, गोरखपुर में रंगाई और छपाई का प्रबन्ध नहीं है। अगर इसका प्रबन्ध हो सके तो मंत्री जी से भी मैंने कहा है कि गोरखपुर से शेयर हम देंगे इस रोजगार में लगे लोगों को काफी लाभ होगा। ५ साल से लेकर ७० साल तक के बच्चे और बूढ़े इस काम में लगे हुए हैं लेकिन वह कच्चा रंग इस्तेमाल करते हैं और उनकी मजदूरी भी मारी जाती है और माल की निकासी भी नहीं हो पाती। जहां तक सूत का संबंध है बड़े-बड़े दुकानदार हैं, उसको मंगा लते हैं और छोटे छोटे लोगों को वह सूत समय पर नहीं देते हैं और दो एक दिन रोक देते हैं जिससे उनके सामने बड़ी समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि उनका काम रोज कमाओ और खाओं का होता है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सूत के लिये वह सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था करें ताकि जो छोटे छोटे लोग इस व्यवसाय में लगे हैं उनको परेशानी न हो। इसके साथ ही रंगाई और छपाई की भी मंत्री जी व्यवस्था करने का कष्ट करें। मऊ में रंगाई और छपाई की व्यवस्था है इसकी वजह से वहां काफी प्रगति हुई है। श्रीमन्, गोरखपुर में बहुत अच्छे-अच्छे कारीगर हैं लेकिन उनके माल का डिसकलर हो जाता है रंग की सुविधा न होने के कारण जिससे कारीगरों को पैसा मारा जाता है। माल की निकासी की भी व्यवस्था होनी चास्ये। जो बच्चे रंग की तौलिया बनाते हैं उनको सूत और रंग का दाम तो मिल जाता है लेकिन अपनी मजदूरी का जैसे मान लीजिये डेढ़ रुपये की है तो उसमें से वह १२ आने कम करक ही उस माल को बेंच देते हैं। सरकार से निवेदन है कि सरकार की तरफ से कोई स्टोर बन जाय जो इसके माल को खरीद ले और वक्त से पैसे दे दें ताकि इनका काम चलता रहे और फिर गवर्नमेंट आर्डर्स सप्लाई करती रहे। सरकारी दफ्तरों में परदे और मेजपोश की आवश्यकता होती है। जैसे खादी के लिये कुछ आर्डर्स हैं कि चपरासियों की वर्दी खादी की बने लेकिन उतने से खादी की समस्या हल नहीं हो जाती। इसके लिये सरकार को कोई विशेष कार्यक्रम करना चाहिये। गांधी जयन्ती के अवसर पर विशेष छूट देकर खादी पर सरकार ने २० लाख रुपया का पेमेंट कर दिया और २१ लाख रुपया बाकी है। हैन्डलूम के लिये करघा सप्ताह मनाया जाता है लेकिन जब तीन दिन रह गया तब १० परसेंट की छूट का आर्डर पहुंचा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हैन्डलूम के लिये एक माह की प्रदर्शनी लगावें जिसमें हैन्डलूम की चीजें आवें और लोग खरीदें।

अब मान्यवर मैं थोड़ा सा ग्रामोद्योग की बात पर आता हूं। राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड की स्थापना हो गई है जिसक अध्यक्ष मंत्री जी हैं और उपाध्यक्ष, ठाकुर देवकरन सिंह है। हमारे उद्योग २३ चलते हैं लेकिन अर्थ की कमी है जिससे यह उद्योग चल नहीं पाते। ये हैं अनाज एवं दाल प्रशोधन उद्योग, गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग, ताड़ गुड़ एवं ताल वस्तु उद्योग, ग्रामीण तेलघानी उद्योग, अखाद्य तेल तथा साबुन उद्योग, ग्रामीण चर्म उद्योग, ग्राम्य कुम्हारी उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, लोहारी तथा बढ़ईगीरी उद्योग, रेशा उद्योग, चूना उद्योग गोबर गैस योजना, शतक एवं लाख योजना, बांस एवं बेंत उद्योग आदि २३ उद्योग हैं।

मान्यवर, मैं पहले अनाज दाल प्रशोधन की बात लेता हूं। हमारे यहां हर जिले में टी० बी० आई० ओ० की नियुक्तियां होती हैं। मैं उनकी कोई शिकायत नहीं करता हूं, थोड़ी उनमें कार्यक्षमता कम होने की वजह से जो समितियां बन जाती हैं उनको पैसा नहीं मिल

पाता और वह बन्द पड़ी रहती हैं। कुछ चालू हैं और कुछ कागज पर रंगी है। अभी हम लोगों ने मीटिंग की थी तो फाइनेंस सैंक्शन कर दिये थे। श्रीमन् जिन समितियों को पैसा नहीं मिलता उनको निराशा हो जाती है। तो कम से कम अपने अधिकारियों को इतना कह दें कि वह जो काम करें वह कम्प्लीट करें अन्यथा जनता को परेशान न करें। इसी तरह से गुड़ और खाण्ड-सारी उद्योग का है। आजकल गन्ना सूख रहा है। अगर इस तरफ स्टेट बोर्ड ध्यान दिये होता तो कोल्हू वगैरह देकर काफी काम करा सकते थे लेकिन सरकार की उदासीनता रही और स्टेट बोर्ड की भी उदासीनता रही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो यह किसानों का गन्ना सूख रहा है इसमें स्टेट बोर्ड और उद्योग मंत्री जी भी काफी सहयोग दे सकते हैं। श्रीमन्, देहात में ८० प्रतिशत जनता रहती है जो खेती पर निर्भर करती है। उनके पास छः माह तक का ही काम रहता है और वह ६ माह खाली रहते हैं। अगर देहात में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें तो उनकी बेकारी की समस्या हल हो सकती है और वह सुखी होंगे। जितनी श्रमिकों की क्षमता है उतना काम उनको नहीं मिलता है।

कुम्हारी उद्योग जैसे छोटे-छोटे उद्योग गांवों में चलते हैं यों तो आपके यहां कागजों में उनको छोटे छोटे उद्योग धन्धे प्रदान करने के लिये कागज भरा पड़ा है परन्तु वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल ही विपरीत है। कागजी काम तो होता है परन्तु प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके पास पैसा है और जिस अनुपात में पैसा लगाया जाता है उसके अन्तर्गत काम नहीं हो पाता है। हमारे बोर्ड की तरफ से पर्वतीय क्षेत्रों में उनसे संबंधित उद्योग धन्धों में कम्बल आदि का काम होता है जिसकी योजना इस प्रकार से चल रही है। अभी मैं देहरादून क्षेत्र के जौनसार बावर गया था। वहां पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था जिसको मैं देखता। वहां के लोग रस्सी का काम, लीसा का काम आदि कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि आप लोगों के लिये क्या किया जा सकता है तो उनका यह उत्तर था कि हमको कर्ज नहीं चाहिये बल्कि हमको कोई काम चाहिये जिसको हम लोग कर सकें और अपनी जीविका अर्जन कर सकें। हमारे साथ सचिव महोदय भी थे। अब मालूम हुआ है कि गत १५ दिनों में वहां पर उनके लिये कुछ काम शुरू किया गया है।

हमारे स्टेट बोर्ड की तरफ से खादी को काफी प्रोत्साहन मिलता है। यहीं लखनऊ में अमीनाबाद में खादी भण्डार है जो स्टेट बोर्ड की तरफ से है। उसको हमारे माननीय सदस्यों में से बहुत कम जानते होंगे क्योंकि वह एक ऐसे अन्धेरे स्थान पर है जहां पर सब लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं। अगर उसको वहां से हटा कर किसी ऐसे स्थान पर ला सकें जहां पर सभी लोग आसानी के साथ पहुंच सकें तो अच्छा होगा। वह ऊपरी मंजिल पर है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)––

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो अमीनाबाद में दुकान है उसको दारुल-शफा में खोलने का प्रबन्ध करवायें तो अधिक लाभ होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री रामलाल भाई––

मान्यवर, बोर्ड के कर्मचारियों को कुछ असुविधायें हैं इसलिए वह भी उदासीन है। इस समय १,५६९ कर्मचारी हैं जिसमें से कुल २०० स्थायी हैं, बाकी अस्थायी हैं। तो जो कर्मचारी १५–२० साल से काम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, उनको और ध्यान दें और उनके क्षोभ को

[श्री रामलाल भाई]

मिटाया जाय। प्राविडेन्ट फण्ड और ग्रेच्युटी वगैरह से भी उन्हें बंचित रखा गया है। वह दूसरे विभागों में जाने की कोशिश करते हैं और बोर्ड का कार्य मन लगाकर नहीं करते हैं क्योंकि उनके प्रति सरकार की उदासीनता है। तो सरकार कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान दें। जैसे अन्य विभागों में चिकित्सा के लिये इन्तजाम है वैसा ही इन्तजाम इन कर्मचारियों के लिये भी होना चाहिये।

श्रीमन्, हर जिले में डी० बी० आई० ओ० होते हैं जो २०० से ५०० रु० के स्केल में हैं। अभी मैं गोरखपुर गया था। जिले में उनको ढूंढा, दो-चार आदिमियों को भी भेजा, लेकिन मिले नहीं। इस लापरवाही की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बोर्ड का कुछ अनावश्यक पैसा अनियमितता के कारण भी खर्च हो जाता है। कानपुर में हेडक्वार्डर है जहां विभिन्न बिल्डिंगों में आफिस है। टोटल २८ हजार रुपया किराया प्रतिवर्ष लगता है। अभी चन्द दिनों से नोटिस मिली है कि ३८ हजार रुपया सालाना किराया लगेगा। अकबरपुर, कानपुर में उपाध्यक्ष का, सचिव का हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष महोदय का लखनऊ में है। इन आफिसेज को एक जगह लाने की कृपा करें ताकि बोर्ड के पैसे का सदुपयोग हो सके। पिछली साल ६८-६९ में जो फाइनेंस कमेटी ने समितियों का ड्राफ्ट स्वीकार कर लिया था इसमें से १५ लाख रुपये का वह ड्राफ्ट मेज पर दराज में पड़ा रहा। खैर, इस समय तो ठीक चल रहा है, मुझको संतोष है और समितियों को भी जहां तक जानकारी है संतोष है। तो जिन सोसाइटियों का पैसा मंजूर होता है, वह साल-साल भर तक ड्राफ्ट मेंज की दराज में न पड़ा रहे और उनको परेशान न किया जाय। कभी डी० बी० आई० ओ० कहता है कि कागज कम्प्लीट नहीं है। कभी-कभी दो-चार कागज डी० बी० आई० ओ० की शरारत से भी नहीं मिल पाते हैं।

श्रीमन्, आंकड़े देखने से पता चलता है कि इधर बोर्ड के कार्य में कोई प्रगति नहीं है। कारण मैंने बताया कि कर्मचारियों की उदासीनता है। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें तो यह काम बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ इस अनुदान का मैं समर्थन करता हूं और मुझे आशा है जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विकल जी ने कटौती का रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं मान्यवर, तीन पंचवर्षीय योजनाओं में यह प्रान्त आर्थिक प्रगति में बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। सन् ५१-५२ में जब प्रथम योजना आरंभ हुई थी तो इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति औसत आय २४९ रु० ५० पैसे थी और भारतवर्ष की थी २४७ रु० ५० पैसे। लेकिन आज बिलकुल विपरीत हालत है। आज हमारे प्रदेश की औसत आय प्रति व्यक्ति २५३ रु० है और भारतवर्ष की ३२१ रु० है। यह बिलकुल सिद्ध हो गया है कि हमारी आर्थिक प्रगति जिस ढंग से होनी चाहिये थी उस ढंग से नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस प्रगति न होने का दोष किस पर है। अगर इसको सही रूप में देखा जाय तो इसका बहुत हद तक दोष केन्द्रीय सरकार पर भी है क्योंकि केन्द्र ने प्रथम और दूसरी योजनाओं में औद्योगिक परियोजनाओं में १८३८ करोड़ रुपया खर्च किया है जिसमें केवल उत्तर प्रदेश को केवल ७२ करोड़ रुपया मिला है यानी कुल प्रतिशत का उत्तर प्रदेश को ३.८ प्रतिशत मिला है। पूंजी विनियोग में भारत सरकार ने ५६६ करोड़ किया है और विद्युत् योजनाओं पर १३७३ करोड़ रुपया खर्च किया है जिसमें उत्तर प्रदेश के लिये एक भी योजना नहीं आई। पहली और दूसरी योजनाओं में अगर हम सबको मिलाकर देखें तो बड़े उद्योग पर बहुत कम पैसा हमको मिला है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत सरकार में जैसा कि विकल जी ने कहा है यह हमरा सौभाग्य रहा है कि ३,३ मंत्री हमारे प्रान्त के रहे लेकिन हमारी आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ी है। दूसरी बात यह कि जो रुपया मिला भी है योजनाओं के अन्तर्गत वह भी बहुत कम मिला है यानी पहली और दूसरी योजनाओं को मिलाकर बड़े उद्योगों के लिये ८ प्रतिशत रुपया खर्च किया गया है। लघु उद्योगों के लिये भी ३ प्रतिशत रुपया खर्च किया गया है। तो इस प्रकार मतलब यह है कि योजनाओं में यह इतनी बड़ी गलती रही कि जिस काम को पहले करना था उसको हम नहीं कर पाये। अब यहां पर जो आज मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसमें आप देखें तो मालूम होगा कि मंत्री जी ने तीन अनुदान २५,४१ और ४८ यहां पर रखे हैं। यह बात जरूर है कि इस वर्ष इसमें कुछ बचत दिखाई गई है यानी यह पहला वर्ष है कि मंत्री जी ने ४ करोड़ और कुछ रुपये की बचत दिखाई है। यह हर्ष की बात है। इसके पहले वर्षों को आप देखें तो उनमें हमेशा जो अनुमान बजट में दिखाये गये हैं वह बहुत कम रहे हैं। २, ३ वर्षों के बजट को देखने से पता लगता है कि उनमें हमेशा धन घटता रहा है। जब बजट के अनुमान को देखा जाय तो उसमें आय और व्यय दोनों को देना चाहिये। इस बजट में गत वर्ष ६९-७० के अनुदान १०,६३,९८,५०० रुपये के थे और इस वर्ष १३,१७,२९,६०० रुपये के हैं। जब कि गत वर्ष ८,५०,७६,००० रुपये की उपलब्धि हुई जब कि ४,६६,६३,००० का अन्तर रहा। जैसा मैंने कहा था हमेशा अनुमान और उपलब्धि में बहुत बड़ा अन्तर रहा है। इसका खास कारण यह है कि जो हमारी कार्य-क्षमता है वह उचित नहीं है। फैक्टरी को हाथ में ले लिया, कितना काम लेना है, उनको किस ढंग से करना चाहिये, कैसे आमदनी बढ़े, इस पर ठीक ढंग से विचार नहीं हो रहा है।

इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी उद्योग के लिये सरकार की एक निश्चित नीति होना जरूरी है, यदि कोई निश्चित नीति नहीं है तो उद्योग आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे यहां रामायण में कहा है कि 'राज बिन नीति धर्म बिन अर्था' यानी बिना नीति के राज्य नहीं चल सकता। हमारे यहां सब से बड़ा उद्योग चीनी का है जिससे प्रदेश के बहुत से लोगों की रोजी चलती है और लाभ उठाते हैं। स्वयं मुख्य मंत्री जी जब गत वर्ष वह नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने अपने विचार इस विषय में स्पष्ट रूप से रखे थे। उनका यह २४-७-६९ का भाषण है जिस में उन्होंने कहा था कि मैं यह कह रहा था कि क्रशर का काम होने दीजिये और बड़ी फैक्टरीज कायम न होने दीजिये और आज बड़ी फैक्टरीज जो इनएफिशियेंसी से चल रही हैं, जिन से जनता, प्रोड्यूसर तथा सरकार सभी को नुकसान हो रहा है उसे देखते हुये पब्लिक इन्टरेस्ट का तकाजा यही है कि इन शुगर फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। जब मुख्य मंत्री महोदय नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात कही थी और अब वह उधर बैठे हैं तो टेकओवर की बात कहने लगे हैं उन्होंने एक कमेटी इसके लिये बनाई जिस के ३ मेम्बर बनाये, उसकी भी रिपोर्ट आ गई लेकिन परसों उस रिपोर्ट पर मंत्रिपरिषद् में बहस नहीं हुई। इस तरह जिस राज्य की कोई औद्योगिक नीति नहीं है कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा या नहीं होगा तो हमारे यहां उद्योग कैसे बढ़ेगा।

इसके अलावा जब श्री गेंदा सिंह जी पहली सरकार के साथ थे तो उनके विचार क्या थे वह भी मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि "मैं स्वयं ही नहीं उस तरफ के लोग भी अब यहां न कहें लेकिन वह भी मंत्री जी से प्रभावित जरूर हैं। उनकी कारगुजारी और उनकी लोकप्रियता का मैं कायल हूं। मैं उनसे इसी आशा से निवेदन करना चाहता हूं और वह निवेदन श्रीमन् यह है कि अपने प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग चीनी का है। उस चीनी के उद्योग को जनता के हाथ में सुपुर्द करें, यह प्रस्ताव श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में पेश करने के लिये कहा था और यह कहा था। इसका उन्हें अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि सोलह आने उन्हें यह अधिकार नहीं है लेकिन उनको यह अधिकार है कि हम यहां प्रस्ताव स्वीकार करायें और भारत सरकार से कहें कि अब आवश्यकता इस बात की है कि यह चीनी मिलें या चीनी

[श्री इन्द्रमणी]

उद्योग निजी लोगों के हाथों में न रहें। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह चीनी उद्योग व्यक्तिगत लोगों के हाथ में न रहे और आपको मालूम है कि बम्बई में जब हमारे समाजवादी कांग्रेस के साथी इकट्ठा हुये थे तो वहां एक प्रस्ताव रखा गया था कि इस प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन आज तक उस विषय में कोई चीज हमारे सामन नहीं आई है। आज उद्योगपति भी घबराते हैं कि क्या सरकार की नीति इस संबंध में होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में सरकार नीति को स्पष्ट करे।

आज प्रजातन्त्र का युग है और हर चीज जो सरकार करती है वह जनता के सामने आती है इसलिये उस की स्पष्ट नीति सामने आनी चाहिये। आज हालत यह है कि आयुर्वेदिक के लड़कों का मामला हमारे सामने आया और आये दिन आज कुछ कल कुछ, १० दिन पहले कुछ कहा गया ५ दिन बाद कुछ कहा गया और कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आती। मैं इस में ज्यादा न जाकर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अगर यहां सदस्यगण सुझाव देंगे तो वह उनको मानेंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आप इस प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह मालूम है कि इस प्रान्त की ८७ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और जो लोग बड़ी फैक्टरी की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिये कि बिहार में सबसे बड़ी फैक्टरी है। परन्तु बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी हिन्दुस्तान में कम है और पंजाब, जिस प्रान्त में बड़ी फैक्टरी बिल्कुल नहीं है, सब लघु उद्योग हैं वहां प्रति व्यक्ति आमदनी भारत में सबसे ज्यादा है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यहां श्रम है। आवश्यकता है आपको पूंजी की। अगर आप इस प्रान्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दें।

जहां तक लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात है। मैंने आपका बजट देखा और मुझे बहुत दुःख हुआ कि आपके बजट में जिन संस्थाओं के द्वारा हम यह लघु उद्योग चलाते हैं उन संस्थाओं पर २,३९ हजार रुपये बढ़ाये हैं। अनेक योजनाओं के लिये अनुदान की व्यवस्था में वृद्धि की गई है जिनमें से उल्लेखनीय वृद्धियां इस प्रकार हैं: राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को राज्य का अंशदान २५ हजार रुपये; ग्रामोद्योग योजनाओं के लिये नियंत्रण कर्मचारी वर्ग, ३८ हजार रुपये; चर्मशोधन योजना, ४७ हजार रुपये; ऊन योजना के लिये ३५ हजार रुपये ग्रामोद्योग के लिये सहकारी कर्मचारी वर्ग के लिये २६ हजार रुपये, सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सहायक अनुदान ५० हजार रुपये। मेरा मतलब यह है कि इन छोटे लघु उद्योगों में आपकी तरफ से जब हम चतुर्थ योजना आरम्भ कर रहे हैं देश के हर हाथ को काम देना है। यह सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी काम चाहता है। यदि आप काम को दे सकते हैं तो एकमात्र लघु उद्योग के द्वारा ही दे सकते हैं।

जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है। मुझे उनके भाषण को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्योंकि उन्होंने गत वर्ष जब विरोधी नेता बोले थे तब उन्होंने इस पर जोर दिया था कि बड़े उद्योग गरीब और अमीर की खाई को पैदा करेंगे। लेकिन अब के साल हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, जिन्होंने उस बात का विरोध किया था, जिनके मंत्रि-परिषद् में वे हैं, वही बात उन्होंने फिर कही है—

"राज्य में औद्योगिक वातावरण उत्पन्न करने के लिये राज्य सरकार ने यथासंभव कार्य-वाहियां की हैं जिनमें नये उद्योगों को दी जाने वाली सस्ती जमीन और बिजली, आसान शर्तों पर ऋण, बिक्री कर से छूट जैसी विभिन्न रियायतें भी सम्मिलित हैं।" मतलब मेरा यह है कि इन बड़े उद्योगपतियों को सब सुविधायें देने के लिये आप तैयार हैं। लेकिन उन गांवों में आदमियों को जिनके ये सब प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इनको यहां बैठाया है, उनके लिये इनके पास बहुत कम पैसे हैं और पैसे हैं ही नहीं। अगर आप सही रूप में देखें इस सारे बजट का अनुमान लगायें यह ध्यान में रखते हुए कि ८७ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और १३ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है तो शहरों की जनता के हिस्से में कितना पैसा और

गांवों की जनता के हिस्से में कितना आता है। तो यह बजट संतुलित बजट नहीं माना जायेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो सुविधायें आप इनको दे रहे हैं एक मात्र इसलिये कि बड़े पैसे वाले यहां पनपें, एकमात्र इसलिये कि दो सौ दिन मजदूर वहां पर हड़ताल करें। बड़ी खाई है हर जगह।

मान्यवर, यहां गरीबों का भी शोषण हुआ और राज्य का भी शोषण हुआ। जितना रुपया उनको दिया गया वह सब बट्टे खाते में चला गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ न जाकर छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि प्रदेश उन्नति कर सके। हमारे पर्वतीय जिलों का कच्चा माल दूसरी जगह बरेली और सहारनपुर आदि जिलों में जाता है, मगर हमारे यहां पर कोई उद्योग नहीं है। अगर हमारे यहां ही छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित कर दिये जायं तो उससे यहां की आर्थिक स्थिति भी सुधर जायेगी और प्रदेश का भी हित होगा। हमारे यहां ऊन योजना सफलता पूर्वक चलायी जा सकती है। इन उद्योगों से काफी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां के उद्योग अधिकारी के लिये एक जीप गाड़ी का प्रबन्ध करा दिया जाय ताकि वह अल्मोड़ा, गढ़वाल, उत्तरकाशी आदि जगह-जगह जाकर अपने कार्य को सुगमता पूर्वक कर सके। आने जाने के लिये उसके पास कोई साधन नहीं है। इसके अलावा खादी बोर्ड में आपने जितने लोग दिये हैं उनकी सुविधाओं की ओर भी आप को ध्यान देना चाहिये। उनको प्राविडेन्ट फंड आदि की भी सुविधायें मिलनी चाहिये। उनमें ऐसे भी लोग हैं जिनकी १०–१५ साल की सेवायें टरमिनेट कर दी गयी हैं। मान्यवर, जनतंत्र में सरकार हमेशा बनेगी। आज जो विरोध में हैं वे कल सरकार में आयेंगे, जो सरकार में हैं वे कल विरोध में आयेंगे। लेकिन जिस सरकार की कोई नीति नहीं होगी, वह कभी टिक नहीं सकती। ५–७ महीने में यह सरकार भी खत्म होने वाली है। इसकी कोई नीति नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय उद्योग मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि उनके अति संक्षिप्त भाषण का सारांश यही था "कि कहा थोड़ा समझना बहुत" मैं अपने कुछ विचार इसी आधार पर उद्योग के संबंध में व्यक्त करूंगा। इस समय हमारे प्रदेश के सामने सबसे मुख्य लक्ष्य यह है कि हम प्रदेश की उन्नति करें और उसके पिछड़ेपन को दूर करें ताकि यहां की गरीबी मिटे। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि बिना उद्योगों के हमारा प्रदेश समृद्धिशाली नहीं बन सकता। अब सोचना यह है कि कैसे समृद्धि के साधन उद्योग को उन्नत किया जाय। हम देख रहे हैं कि २० वर्ष पूर्व जो लोग समृद्ध थे वे आज कई गुने ज्यादा समृद्ध हो गये और उसका नतीजा प्रदेश में क्या हुआ? अभी हमारे एक साथी ने आंकड़े देकर बताया मैं आंकड़े नहीं दोहराऊंगा, पर यह सही है कि हमारे प्रदेश की औसत आय घट गयी। तो यह तौर तरीका कोई अच्छा नहीं साबित हुआ। कहां दरअसल समृद्धि आना चाहिये और कहां उद्योगों का प्रभाव पड़ना चाहिये, वह नहीं हो पाया।

मान्यवर, इसमें मैं अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय चरण सिंह की मदद लूंगा। उन्होंने एक किताब लिखी है––"उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था में क्रान्ति"। मैं उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उतनी ही महत्वपूर्ण समझता हूं जितनी कम्युनिस्टों के लिए 'माओ' की 'लाल किताब'। मान्यवर, चौधरी साहब हमारे प्रदेश और देश के जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इस किताब में लिखा है, "अर्थशास्त्र को समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जिस देश की जनसंख्या का जितना अधिक भाग केवल खेती पर ही निर्भर करता है, वह उतना ही

[श्री रघुनाथ सिंह—कानपुर]

दरिद्र होता है और वहां के निवासियों के निर्वाह का स्तर उतना ही नीचे होता है।" एक जगह उन्होंने और लिखा है—'जो लोग भूमिहीन हैं, किन्तु खेती का ही काम करते हैं अथवा बेकार हैं, वे यदि अब भी भूमि से ही बंधे रहे तो इसका अर्थ यही होगा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार उनकी दरिद्रता के प्रति उपेक्षा बरतती है।" मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि हमारे औद्योगीकरण का क्षेत्र वास्तव में हमारे गांव होने चाहिये, जो अब तक नहीं रहे हैं। एक सांख्यिकी डायरी हम लोगों को मिली है, हर साल मिलती है, उसको आप देखें। आप सबके पास होगी। उसमें आप देखें कि हमारे उद्योगों की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी इस ओर जरा खास ध्यान दें कि उद्योगों का प्रसार हमारे गांवों—देहातों में उन लोगों के बीच होना चाहिये, जो अब तक इससे वंचित रहे हैं।

मान्यवर, हमारे उद्योग मंत्री स्वयं एक गांव से आते हैं। हम और वह एक ही जिले के हैं और एक तरीके से राजनीति में वह मेरे गुरू हैं। इसलिये उनसे बात कहने में संकोच होता है लगता है कभी गलती हो रही है, कभी ढिठाई हो रही है। वह स्वयं गांव की परिस्थितियों से अच्छी तरह से परिचित हैं, और राजनीति में मैं समझता हूं कि जो साल मेरी पैदाइश का था, उसी साल राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था। यह उनके और मेरे बीच अनुभव का अंतर है। अभी हमारे सामने अब्दुल गफ्फार खां हमारे यहां आये थे, उन्होंने एक बात कही "भारत के गांवों की हालत जैसी मैं देख गया था, वैसी आज भी है।" मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उस महापुरुष के उस कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों की हालत आज भी सुधरी नहीं है। ग्रामों के माध्यम से यदि अपने प्रदेश और देश की उन्नति करना है तो उद्योगों को गांवों की तरक्की में अपना योगदान देना ही होगा। अब प्रश्न यह है कि ग्रामीण अंचल का औद्योगीकरण हो कैसे? मैं समझता हूं, मंत्री जी ने जबसे यह विभाग संभाला है, इस विषय पर बराबर सोच रहे होंगे। लेकिन सुझाव के तौर पर अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं अभी विकल जी ने कहा, एक समय ऐसी योजना बनी थी कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में पांच-पांच उद्योग दिये जायं। योजना बड़ी अच्छा थी। अगर उस पर अमल किया गया होता तो शायद हमारा ग्रामीण अंचल उद्योगीकरण से इतना शून्य न होता जितना आज है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम योजना बनाते हैं उसका कार्यान्वयन नहीं कर पाते। उद्योग मंत्री जी, यह सही है इंडस्ट्रियल नहीं हैं लेकिन इंडस्ट्रियस जरूर हैं। जो मेहनत से काम करे उसे इंडस्ट्रियस कहते हैं। उनकी इस आदत का लाभ उद्योग विभाग को मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। यही मैं निवेदन कर रहा था कि तत्काल कोई न कोई लक्ष्य निश्चित होना चाहिये कि हम ग्रामीण अंचल के उद्योगीकरण के लिये यह लक्ष्य निश्चित करते हैं। विकल जी ने कहा कि प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में पांच उद्योग लगें। मैं कहता हूं चार लगें, तीन लगें लेकिन कोई लक्ष्य निश्चित होना चाहिये और समय-समय पर देखते रहना चाहिये कि कितनी हमारी प्रगति हुई, कहां हम रुके हैं या पीछे हटे हैं। और ऐसा क्यों है। इस बात को बड़ी ईमानदारी से देखना होगा। बहुत दिनों से जिक्र हो रहा है, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर, प्रान्त के स्तर पर, देश भर में चर्चा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई प्रदेश नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने आंकड़े दे कर इसको बताया। उत्तर प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये उद्योग का योगदान कितना आवश्यक है इसको न समझना मैं बड़ी भारी कम अकली कहूंगा। ग्रामीण अंचल का औद्योगीकरण कैसे हो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री का ध्यान पंजाब की ओर आकर्षित करूंगा। हमारे विकल जी ने भी इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। मेरे एक मित्र को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। पंजाब के भूतपूर्व मंत्री, श्री कैरों के साथ मेरे वह मित्र उत्तर प्रदेश की हालतों से ऊब कर पंजाब गये। इसलिए कि वहां कोई उद्योग लगाएंगे। उन्होंने जो अपना अनुभव बताया वह मैं माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं। वह गये यह देखने के लिये कौन-कौन से उद्योग ऐसे हैं

जिनमें सरकार की सहायता हमको मिल जायगी । वहां जाकर वह असिस्टेंट इन्डस्ट्रीज डाइरेक्टर से मिले । और हुआ क्या कि २० मिनट के अन्दर उन्हें कैरों साहब के सामने पेश होना पड़ा । उन्होंने कहा कि कैरों साहब के पास चलिये । उन्होंने कहा कि कैरों साहब से मिल कर मैं क्या करूंगा । उन्हों ने जवाब दिया कि अगर आप बगैर मिले हुए चले जायेंगे और उनको मालूम हो गया कि कोई इंडस्ट्री लगाने वाला आया था और वह मुझसे नहीं मिला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा । इस लिये मुझ पर रहम कीजिये और चलिये । कैरों साहब ने उनसे कहा कि आप केवल इण्डस्ट्री तय कर दें, कि कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे फिर आप को किसी दूसरी बात से मतलब नहीं, जब तक आप की इंडस्ट्री चालू न हो जाय, हमारी सारी जिम्मेदारी है, जमीन प्राप्त करना, मैटीरियल प्राप्त करना, सारी गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी है । तीन हफ्ते में ये चीजें प्राप्त हो जायंगी । यह एक उदाहरण है जिसे माननीय मंत्री को ध्यान में रखना चाहिये । विधायकों की एक कमेटी बनाएं । हम लोगों को पंजाब भेजें । हम लोग भी देखें कि पंजाब में उद्योगों का क्या स्वरूप है । माननीय सदस्यों को कम से कम सरकार सुविधा दे कि वे अपना देश तो देख सकें । हम सुनते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ।

हम सुनते हैं कि दक्षिण भारत में हैंडलूम का व्यापार बहुत अच्छा है । सिवा किताबों में पढ़ने के हमें कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है । हम चाहेंगे कि सरकार रुचि रखने वालों की एक समिति गठित करे ताकि हम लोगों की जानकारी, ज्ञान तथा अनुभव का लाभ सरकार को मिल सके । केवल अफसरों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात मैं उद्योगीकरण के बारे में यह बतलाना चाहता हूं कि कुछ कलाकार मंत्री महोदय के आसपास अवश्य चक्कर लगाते होंगे । जैसा कि इस शेर में कहा गया है कि—

"वक्त कंगाली में 'अख्तर' कोई बहनोई न था,
जब खुशी के दिन फिरे तो सैकड़ों साले हुए ।

इन कलाकारों से माननीय मंत्री जरा सतर्क रहें तो अच्छा होगा वर्ना ऐसी ही बात होगी जैसे कोई विषकन्या डस लेती है । जिसका प्रभाव केवल मंत्री जी ही पर नहीं पड़ेगा, सरकार पर भी पड़ेगा ।

मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट का एक और रहस्य खोलना चाहता हूं जिसे रेट कांट्रैक्ट कहा जाता है । इसमें बड़ा भारी स्कैंडल है जिसमें लाखों रुपये का हर साल गोलमाल होता है । पिछले साल पंपिंग सेट्स तथा किसानों से सम्बन्धित औजारों को देने वाली फर्म्स के रेट कांट्रैक्ट स्वीकृत हुए उनमें सबसे कम और सब से अधिक कीमत में २७ परसेंट का फर्क था । अब सवाल यह होता है कि एक फर्म २७ परसेंट ज्यादा कोट करती और दूसरी २७ परसेंट कम तो इसका कोई आधार होना चाहिये कि किस फर्म को रेट कांट्रक्ट पर लें और किसको न लें । यह प्रश्न सामने आया ।, विचार विमर्श हुआ और विचार करने के उपरान्त फाइल नम्बर ४६५- (आर) ६८ की नोटिंग के अनुसार यह निर्णय हुआ कि रेट्स का फर्क केवल २५ परसेंट तक एलाऊ किया जायगा और जो उससे अधिक के रेट्स देंगे उनको स्वीकृत नहीं किया जायगा । लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ । किर्लोस्कर कपूर इत्यादि हमारे देश की बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं जिनके लिये चार लाख रुपया हाजिर कर देना बड़ी भरी बात नहीं है । इस साल के रेट कांट्रक्ट में जो टेण्डर उद्योग विभाग दिये को गये हैं उसमें ४० परसेंट के ऊपर का फर्क है । माननीय मंत्री जी फाइल मंगा कर देख लें इसके लिए एक कमेटी गठित कर दें, और मुझे मौका दें तो बड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी उन्हें मिल सकेगी । देखना होगा कि किर्लोस्कर का इंजन वेस्ट बंगाल को किस कीमत पर मिलता है । इनकी फर्म महाराष्ट्र में है । महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल को भेजने में अधिक किराया पड़ेगा लेकिन वहां पर कीमत कम है और यू० पी० में ज्यादा है । महाराष्ट्र सर-

[श्री रघुनाथ सिंह—कानपुर]

कार ने इस किर्लोस्कर इंजन को रेट कांट्रैक्ट में शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी कीमत ऊंची थी। अगर हम कोई आधार निश्चित नहीं करेंगे तो पारसाल रेट का फर्क २७ परसेंट था, इस साल ४० परसेंट हो गया और अगले साल ६० परसेंट हो जायगा। इससे हमारे प्रदेश की इंडस्ट्री भी मर जायगी, और किसान को क्षति होगी। पंजाब ने बाहर के उद्योग-पतियों का माल चलाना बन्द कर दिया है दूसरे प्रान्त भी ऐसी नीति अपना रहे हैं। हमारे प्रदेश का उद्योग भी पनप सकता है यदि हमारी नीति से उसे बल दिया जाय। धन्यवाद। उसकी ऐसी क्वालिटी डेवलप करें कि हमारे प्रदेश का काम चल सके। मैं समझता हूं कि पंजाब उद्योग के मामले में इतना बढ़ा हुआ है यह देखने की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह—

तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में बड़ी गहराई से सोचना चाहिए। मैं माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि आज भी लाखों का गोलमाल रहा है उसके ऊपर ध्यान दें अन्यथा प्रदेश के उद्योग के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी,.....

(व्यवधान)

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, आप हमें बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आप १०—१० मिनट का समय सबको बोलने के लिये दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय सदस्या को पहले देखा था। यह ठीक है प्रत्येक माननीय सदस्य को दस-दस मिनट का समय दिया जायेगा।

*श्रीमती सिया दुलारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप के द्वारा श्री विकल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय उद्योग मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। सब से पहले मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहती हूं कि आज २२ वर्ष की आजादी के पश्चात् भी प्रदेश के चरणों में पड़ा हुआ बुन्देलखण्ड एक ऐसा भू-भाग है जिसकी ओर सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं गया है। वहां भी जन-जीवन के लिये आय का कोई श्रोत होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि प्रदेश के विकास के लिये और आय के श्रोत के लिये औद्योगीकरण आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने यह भी माना है कि उद्योग के लिये श्रम आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि केवल श्रम से ही कोई उद्योग नहीं चल सकता है। इसके लिये कच्चे माल, भू-भाग, साधन और सरकारी सहायता भी आवश्यक है। इस बुन्देलखण्ड के लिये मैं यह कहना चाहती हूं कि बांदा जिले में मानिकपुर रंजुवा घाटी पर बौक्साइड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और सरकार ने इस बौक्साइड को बिरला ब्रदर्स को एल्मूनियम फैक्टरी के लिये दे दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जो पिछड़े हुये, अविकसित क्षेत्र हैं वहां पर कारखाने लगाये जायं। माननीया प्रधान मंत्री आये दिन अपने भाषणों में कहती हैं कि देश और प्रदेश के वे भू-भाग जो पिछड़े और अविकसित हैं जिनका विकास नहीं हो सका है उनका सब से पहला ध्यान रखा जायगा। किन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बुन्देलखंड को हमेशा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कितनी ही सरकारें आईं किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार में जो मंत्री होते हैं वे अपने-अपने जिलों, अपने-अपने प्रदेश और अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। अतः मैं यह कहना चाहती हूं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कुल मिला कर सम्पूर्ण प्रदेश का विकास करना सरकार के कार्यों का एक अच्छा नमूना होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगी कि उनके विभाग के कर्मचारी ऐसा पक्षपात करते हैं जो वास्तव में इस बात के लिये उनके पास आये हैं कि उन्हें सहायता मिले, अनुदान मिले, किन्तु उन बिचारों को कुछ सहायता नहीं मिलती है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार की सिफारिश ले आते हैं और कहीं न कहीं सोर्स ढूंढ़ लेते हैं उनका काम हो जाता है। अतः उद्योग के लिये मैं चाहती हूं कि सरकार निष्पक्ष रूप से कार्य करे और जहां जिस चीज की आवश्यकता हो उसकी वहां पूर्ति की जाय।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर दिलाना चाहती हूं। इसके संचालक मंडल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक जब से बोर्ड का निर्माण हुआ—उसके द्वारा जो भी धनराशि वितरित की गयी है वह ऐसे लोगों को दी गयी है जिनको संचालक मंडल के लोगों ने चाहा। यह सरकारी संस्था है जो संचालक मंडल के सदस्यों के संरक्षण में पल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहती हूं कि इसकी खुली जांच की जानी चाहिये और जो धन का अपव्यय हुआ है जो गलत तरीक से खर्च हुआ या दिया गया उसे वसूल किया जाय। साथ ही जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं और बेकार पड़ी हैं उन सब को तोड़ कर ऐसा बोर्ड बनाया जाय जिसमें सब को संगठित करके समुचित रूप से विकास के लिये पैसे दिये जायं और इनका औद्योगीकरण किया जाय।

मैं सरकार का ध्यान गुजरात की ओर दिलाना चाहती हूं। केन्द्रीय सरकार की नीति केवल उतर प्रदेश के लिय ही ऐसी नहीं है बल्कि और जगहों के लिय भी है। गुजरात की सरकार ने वहां पर स्कूटर बनाने के लिय केन्द्रीय सरकार से परमिट की मांग की जिसको उसने रिजक्ट कर दिया। लेकिन वहां की सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। वहां छोटी-छोटी यूनिट्स में स्कूटर के पार्ट्स बनने लगे और सब को मिला कर एक कारपोरेशन के जरिये स्कूटर बना दिया जो स्कूटर केवल २६०० रुपये में मिल सकता है। हमारे प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके छोटे-छोटे पार्ट्स यूनिटों में बनाये जायं और फिर एक कारपोरेशन के जरिये प्रदेश की तरक्की की जा सकती है। और इस को विस्तृत रूप दिया जा सकता है। ऐसे कार्यों के लिये आवश्यक है कि प्रदेश की उन्नति व विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से समुचित सहायता मिले। इसमें डरने व घबड़ाने की कोई बात नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी जिस दल से सम्बन्धित हैं उस दल के नेता ही स्वयं यह बात कहते हैं कि जो क्षेत्र अविकसित हैं, पिछड़े हुए हैं उनका सबसे पहले विकास किया जाय, वहां की जनता को सुख सुविधा दी जाय।

आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि बुन्देलखण्ड में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में पाया गया है जिससे अल्मूनियम फैक्टरी चल सकती है, सीसे की फैक्टरी चल सकती है। झांसी में तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया गया है, पत्थर भी वहां

[श्रीमती सियादुलारी]

पर अधिक मिला है। पंजाब में जिस तरह से छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये वहां के तमाम अधिकारीगण बुलाय जाते थे उसी तरह से यहां भी होना चाहिये और केवल साइन बोर्ड ही दफ्तरों के अन्दर नहीं लटकाना चाहिये बल्कि फील्ड में जाकर अधिकारियों को जनता को समझाना चाहिये कि किस कार्य के करने से उनकी उन्नति हो सकती है और किस कार्य के करने से उन्हें सहायता मिल सकती है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूं कि प्रदेश के जो साहसी लोग हैं उनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। बुन्देलखंड के बांदा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में बीड़ी की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में होती हैं। वहां के गरीब मजदूर जो पत्तियों को तोड़ते हैं बड़े दुखी हैं। ये सारी पत्तियां कलकत्ते के बाजार में जाकर बिक जाती हैं। अगर सरकार किसी प्रकार से अपना संरक्षण दे और बीड़ी का कारखाना सार्वजनिक हित में यहीं बनाने का प्रयत्न करे तो अच्छा होगा। जनता के सुख व सुविधा के लिये तथा उस क्षेत्र के विकास के लिये भी यह आवश्यक है। उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि आज से १० वर्ष पहले वे इस क्षेत्र को देख आये ह कि यहां कितनी गरीबी है और यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शिवानन्द नौटियाल।

(व्यवधान)

श्री जगननाथ खन्ना—

मैं जानना चाहता हूं कि किस हिसाब से आप मेम्बरों को बुला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्यों पूछ रहे हैं, इस बात को? यह गलत बात है।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि आखिर इधर भी ९८ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायं। आपको बोलने का ढंग नहीं मालूम है, मैं आपको समय नहीं दूंगा।

श्री जगननाथ खन्ना—

आप हमें डाटते किस तरीके से हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री जगननाथ खन्ना—

यह कोई तरीका है, आप बच्चों की तरह से हमें डाटते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। अभी माननीय विकल जी बोल, एक उधर का बोला और एक को मैंने और समय दे दिया। इस प्रकार से आपत्ति करने वाले को मैं कभी समय नहीं दूंगा।

श्री जगननाथ खन्ना—

न दें, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिवानन्द जी बोल रहे हैं, इसमें क्या व्यवस्था आ गयी?

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं। आप कृपा कर के बैठें। जो मर्यादा है आप उसका निर्वहन नहीं करना चाहते। हर वक्त आप खड़े हो जाते हैं।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बी० के० डी० का एक भी सदस्य नहीं बोला।

*श्री शिवानन्द नौटियाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि किसी भी प्रदेश की उन्नति उद्योगों के बिना नहीं हो सकती। माननीय उद्योग मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उद्योगों की दृष्टि से हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसलिये औद्योगीकरण की हमारे प्रदेश में अत्यन्त आवश्यकता है। मान्यवर, अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति आय निम्न प्रकार से थी—

प्रदेश	१९५१ में	आज
	रु०	रु०
उड़ीसा	१७४	२९०
बिहार	२०९	२६८
मध्य प्रदेश	२१६	३८७
पंजाब	२१९	५२७
उत्तर प्रदेश	२४३	२५३

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यदि हम औद्योगिक स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि जो उत्तर प्रदेश में पहले २६ प्रतिशत औद्योगीकरण था वह तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद ३२ प्रतिशत हो गया है। जो कुछ भी बढ़ोत्तरी हमारी आय में हुई है उसका मुख्य कारण केवल औद्योगीकरण है। जैसा कि विकल जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि इस प्रदेश के लिये उद्योगों की नितान्त आवश्यकता है। बिना उद्योगों के हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता और जिन माननीय सदस्यों ने भी भाषण दिये उन सबसे यही इंगित होता है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये हमें उद्योगों को आगे बढ़ाना होगा। अगर उनको हम आगे नहीं बढ़ा सके तो हमारी प्रगति रुक जायगी। प्रदेश को आगे बढ़ाने का गुरुमंत्र औद्योगीकरण ही है। इस दृष्टि से अगर इस अनुदान की ओर हम ध्यान देते हैं तो हमें मालूम होता है कि विकास की दृष्टि से जो अनुदान मांगा गया है, वह बहुत ही कम है।

यदि सचमुच में हमारी भावना इस प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ाना है तो मैं यह कहूंगा कि इस अनुदान में कटौती का प्रस्ताव न होकर बरोत्तरी का प्रस्ताव होना चाहिये जिससे हम इस प्रदेश को आगे ले जा सकें। इसीलिये मैं मंत्री महोदय के प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

माननीय विकल जी द्वारा जितने प्रश्न 'समाधान' आलोचना और समालोचनायें की गयी है उनमें मैं पूर्णतया सहमत हूं और उनके निराकरण के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग में जिस प्रकार से यह कमियां आ गयी हैं, उद्योगों के कारण जो प्रदेश में धांधलियां हो रही हैं जिनके उद्योग नहीं है फिर भी उनको परमिट मिलता है, इस तरह से सारे प्रदेश में जो एक लूट मची है उसको दूर करने की नितान्त आवश्यकता है।

यों तो उद्योग के विषय में माननीय विकल जी तथा माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर विस्तृत प्रकाश नहीं डाला गया है। आज प्रातःकाल प्रश्नोत्तर काल में एक समस्या उठी थी कि पर्वतीय क्षेत्र का अलग राज्य के लिये मांग क्यों उठ रही है। इसके विषय में मैं आपके द्वारा एक पत्र सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इन पर्वतीय अंचलों में आज भी ८ रुपये मन बिकने वाला नमक २५ रुपये में बिकती है। आज भी वहां ४ रुपये का एक सेर दाल और साढ़े ४ रुपये का एक सेर चावल मिलता है। वहां जाने के लिये न रास्ता है, न दवाइयां। इस तरह की जो उपेक्षायें हैं सरकार के द्वारा यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में अलगाव की भावना बढ़ रही है। पर्वतीय क्षेत्र का एसा अंचल जो उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण को बहुत आगे ले जा सकता है। जैसा कि कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है तो वहां हैं पेड़ भेड़। वहां की सम्पत्ति है जिसके द्वारा वहां का विकास बहुत अच्छी तरह हो सकता है। विकास ही नहीं देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाया जा सकता है। वहां की दूसरी सम्पति भेड़ है जिससे ऊन पैदा होती है परन्तु वन विभाग की नीति के कारण हमको यह कहा गया कि आप अपनी भेड़ों को जंगल में नहीं चरा सकते हैं। अगर हम भेड़ को वन में नहीं चरा सकते हैं तो वह भेड़ कैसे जीवित रह सकती है। यही कारण है कि लोगों ने अपनी भेड़ों को या तो बेच दिया या बूचरों के हाथ नीलाम कर दिया। पिछले वर्ष गोचर में जो औद्योगिक मेला लगा था वहां की मैं अपकी दर्दनाक कहानी बताना चाहता हूं। वहां सब चीजें लुधियाने की बनी हुई थीं लेकिन उत्तरांचल बनी हुई एक भी चीज नहीं थी जबकि एक जमाने में हमारे उत्तरांचल की ऊन ही देश में सब जगह पहुंचती थी। अगर यही नीति बढ़ती गयी तो हम पनप नहीं सकते हैं।

पर्वतीय क्षेत्र का तीसरा उद्योग फलों का हो सकता है। आज भी इन प्रदेश के उत्तरांचल में दो सबसे बड़े बाग हैं। एक भरसार का गढ़वाल में और दूसरा चौबटिया में। मैं पिछले साल भी ध्यान आकर्षित कर चूका हूं चौबटिया में १०० एकड़ के बाग से सरकार को २ लाख ३१ हजार रुपये की आमदनी हुई थी जबकी भरसार के ५०० एकड़ के बाग से, जो एरिया में

सबसे बड़ा बाग है केवल ६३ हजार रुपये की आमदनी सरकार को होती है क्यों नहीं सरकार उसको सड़कों से जोड़ती है ? उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है ।

इन उद्योगों के अलावा वहां और भी उद्योग चल सकते हैं, जैसे मधु संचय, रेशम उद्योग । रेशम का उद्योग आज प्रदेश में सबसे अच्छा उद्योग माना जाता है । यह भी वहां पनप सकता है ।

मान्यवर, दियासलाई कुटीर उद्योग धन्धे के रूप में चीड़, देवदार और सेमल के पेड़ो के द्वारा हो सकता है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फर्नीचर बनाने का कार्य अगर कहीं हो सकता है तो पर्वतीय इलाक में, लेकिन हमारे यहां की लकड़ी का नीलाम रामनगर और कोटद्वार में हो जाता है और फर्नीचर जलन्धर में बनता है । खेल का सामान जलन्धर में बनता है, लेकिन हमारी अखरोट की लकड़ी कोटद्वार और रामनगर मे बिक जाती है और जलन्धर और लुधियाने से सामान बन कर उत्तर प्रदेश में आता है, इससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बढ़ी गम्भीर होती जा रही है । गोंद, कत्था, बनौषधियां उत्तर प्रदेश के बनों द्वारा सारे भारतवर्ष में जाती है और उसका बड़ा भारी उद्योग चलाया जा सकता है । बांस, जिससे कागज बनता है, पापड़ी का उद्योग श्रीनगर में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग की इतनी कर्तव्यपरायणता है कि इसके बारे में वह जानते भी नहीं हैं ।

आपके द्वारा एक रहस्यमय घटना बतला देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अक्तूबर में फलोत्पादन की प्रदर्शनी लगी थी शिमला में, उत्तर प्रदेश ने ५ पुरस्कार प्राप्त किये थे लेकिन आज तक पता ही नहीं है सरकार को कि हमारे प्रदेश को पुरस्कार मिला है । मान्यवर, ये पट्टियां जहां आती हैं उसमें लिखा होता है कि यह मनाली से या हिमांचल से आ रही हैं या कश्मीर से आ रही हैं, यहां का कोई नाम नहीं । लोहा उद्योग और कागज का उद्योग हो सकता ह । खनिजों के बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ २ पर लिखा हुआ है कि खनिज पदार्थों की भरमार है । अल्युमिनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और इसके अतिरिक्त अभरक की खानें हैं यहां भरी पड़ी हैं, लेकिन उस ओर कोई कार्य नहीं हुआ ह । मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारे मंत्री महोदय ने अभरक की जो खान निकल रही है उसमें दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की है । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वन की उन्नति करने के लिए, वन के आधार पर और वन खनिज सम्पदा के आधार पर उद्योग-धन्धे खोले जायं जो अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके विरोध में और अपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे निवेदन करना है । श्रीमन्, यह मेरे कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि मैं बड़े-बड़े उद्योगों की जगह पर घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय । . दूसरा यह है कि चीनी तथा वस्त्र उद्योगों या बड़े उद्योगों का राष्ट्रीकरण किया जाय । मान्यवर, उद्योग आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है और आमदनी के माने में यह अपना बड़ा स्थान रखता है । श्रीमन्, एक बात सोचने की है कि बराबर विधान सभा में हो चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, हमारे मुख्य मंत्री जी कहा करते हैं कि खेती के बटवारे से समस्या हल नहीं हो सकती । आमदनी जिनके पास नहीं ह, उनकी आमदनी बढ़ नहीं सकती । इस नाते ऐसे लोगों को उद्योगों की तरफ जाना चाहिए । श्रीमन्, बड़े अफसोस की बात है, पूरे प्रदेश में ८० परसेंट जनता भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है । गरीब है, कोई आमदनी का जरिया उसके पास नहीं है । ८० प्रतिशत जनता जो देहात में बसती है, उद्योग के मामले में उनकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है ? उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, न भर पेट भोजन मिलता है, न शरीर पर वस्त्र है, न बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सकती है, न बीमार की दवाई हो सकती है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भाभी]

तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की स्वच्छ कुशल प्रशासन की सरकार से कहना चाहता हूं, जो पुरानी सरकार को कहते हैं कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, जिस बात को आप बराबर दोहराते आये हैं कृपया इस ओर ध्यान दें। एक बात की ओर और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चाहे पुरानी सरकार हो और चाहे यह सरकार हो, एक चीज देखने में आ रही है कि बजट का ढांचा वही है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। जैसा पुरानी सरकार ने बनाया वैसी ही नकल इस सरकार ने की। इतना ही नहीं, पुरानी सरकार ने तो गांवों के उद्योग के लिए ब्लाकों से कुछ अनुदान भी दिया लेकिन यह सरकार उसको भी नहीं देना चाहती है। पुरानी सरकार ने जो उद्योग के लिए गांवों में अनुदान दिया वह भी नहीं के बराबर था। देहाती क्षेत्र बहुत उपेक्षित रहे। गांधी जी की बात वह भूल गये। गांधी जी हमेशा देहात की तरफ ध्यान रखते थे और सोचते थे कि जब देश आजाद होगा और देश और प्रदेश म जनतांत्रिक सरकार होगी तो उनसे देहात का और गरीबों का भला होगा। गांधी जी की बात की अवहेलना हुई और उल्टा काम हुआ।

मान्यवर, अब तक गांवों के उद्योग के लिए जो कुछ दिया गया उसकी चर्चा भी कर देना चाहता हूं। एक ब्लाक डेढ़-दो लाख की जनसंख्या का होता है। एक साल में एक ब्लाक के लिए, जैसे मान लें किसी उद्योग के लिए मकान बनाना है तो एक-डेढ़ हजार रुपया ब्लाक को मिलता है और एक आदमी को ५०० रु० मिलता है और शर्त यह होती है कि ५०० रु० हम दें तो दो हजार रुपये का मकान बनना चाहिए। तो एक डेढ़ हजार रुपए का मतलब यह हुआ कि पूरे ब्लाक में साल भर में दो-तीन आदमियों को इस तरह का अनुदान इस शर्त पर मिला। यह देहात की तरफ सरकार का रवैया है।

दूसरी बात हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं। भूतकाल की सरकार हो, चाहे वर्तमान काल की सरकार हो, पूरे ब्लाक में कुल एक हजार रुपया एक साल के लिए दिया गया, पांच सौ दिया गया, और सुअर पालने, मुर्गी पालने में २५० रुपया दिया गया। कहने का मतलब यह है कि डेढ़-दो लाख की आबादी में कुल इतना दिया गया और वह भी इस शर्त पर कि ५० प्रतिशत रुपया खुद लो। इससे भी गरीब आदमी वंचित रहे।

तीसरी बात, ब्लाकों से जो विकास की बात है जिसकी बड़ी चर्चा होती है कि बड़ा मौका दिया गया। श्रीमन्, ब्लाकों से विकास का काम नहीं हुआ। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उद्योग का जो पैसा है बड़े-बड़े उद्योगपति इससे लाभ उठाते हैं। बड़े-बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वह इस सरकार के उद्योग के बजट से लाभ उठाते हैं। श्रीमन्, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि जिनके पास आमदनी का जरिया है, जिनके पास सारी पूंजी है उन्हीं लोगों को सारी सुविधायें प्राप्त होती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में तीन प्रकार से आमदनी का जरिया लोगों का है, खेती, नौकरी और उद्योग। हमारी ८० प्रतिशत जनता जिसके पास खेती नहीं है और आप खेती से उसकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, नौकरी से भी उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है और अगर हल हो सकती है तो छोटे-छोटे उद्योग धन्धों से ही हल हो सकती है। छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ा कर पनपा कर इन गरीबों को वे सुविधायें, प्रदान करके आप इनकी समस्या को हल कर सकते हैं। उनकी जीविका के लिये आपको उद्योग धन्धे चलाने पड़ेंगे या फिर उस क्षेत्र में कल कारखाने खोलने पड़ेंगे क्योंकि उनकी आय का आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ऐसा करने से पहले मैं एक बात साफ रूप से कह दूं कि आपको उनकी स्थिति, और वहां पर किये जाने वाले काम के विषय में भी पूरी तरह से जानकारी करनी होगी।

हमारे क्षेत्र में मुबारकपुर की अधिकांश जनसंख्या बुनकर है। उनकी बनाई हुई साड़ियां प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में जाती हैं, बाहर भी जाती हैं। हमारे मंत्रिगण इस बात को जानते हैं। आज उस स्थान की कितनी दुर्दशा है इसको मैं आपसे बयान नहीं कर सकता हूं। उन बुनकरों की समस्या बड़ी ही खराब है। एक बड़ा महाजन मिल से सूत ले आता है। बीच

में बुनकरों के दलाल हैं। वे दलाल बड़े महाजन से सूत को लेकर बुनकरों को देते हैं और जो गरीब हरिजन मजदूर है वह मेहनत करता है, कर्घा चलाता है और दिन भर की मजदूरी का उसको केवल १२ आने मिलते हैं। इस प्रकार से महाजन और दलाल तथा बीच के आदमी सारा लाभ मार ले जाते हैं और मारा जाता है वह बेचारा मजदूर जो कड़ी मेहनत करके काम करता है, माल बनाता है और लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलता है। मुबारकपुर में इस प्रकार से सूत की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये कि उनको यह मिल सके और तभी उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। उनके माल का उनको उचित दाम भी मिले। मंत्री जी इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझको बोलने का मौका दिया। मैं उद्योग मंत्री जी की तरफ से जो मांग पेश की गई है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सिलसिले में मैं चन्द बातें आपसे करना चाहता हूं। उद्योगों के सम्बन्ध में चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा या मध्यम दर्जे का वे सभी अपनी-अपनी जगह पर अच्छे हैं। इस वक्त मैं छोटे उद्योगों की चर्चा करना चाहता हूं और उसमें से भी खासतौर से कर्घा उद्योग के बारे में। श्रीमन, मुझको कहना यह है कि जैसे कि हमारे भाई ने कहा हमारे मुल्क में हमारा प्रदेश सब से ज्यादा पिछड़ा है, गरीब है। इस प्रदेश की गरीबी उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम इस प्रदेश के अन्दर छोटे उद्योग धंधों की अधिक से अधिक स्थापना नहीं करते, उनको बढ़ावा नहीं देते। हमारे प्रदेश में खेती तो बढ़ाई नहीं जा सकती है और उसको बढ़ा कर लोगों के बीच में बांटा नहीं जा सकता है। फिर भी जो गरीब है, पिछड़ापन है उसको दूर करने का एक ही रास्ता रह जाता है कि उद्योग धन्धों का विकास किया जाय, उनको प्रोत्साहन दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे चालू किये जायं।

मैं छोटे उद्योग करघे की तरफ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इन छोटे छोटे करघे के उद्योग धन्धे में बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं। यह उद्योग धन्धा इतना बड़ा है कि इसमें करोड़ों आदमियों को धन्धा मिलता है। करोड़ों परिवार इससे जीते हैं लेकिन इसकी तरफ जैसी तवज्जह होनी चाहिये थी वैसी नहीं की जाती। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस उद्योग की जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस रिपोर्ट के अन्दर करघा उद्योग की अलग से चर्चा करनी चाहिये। और बताना चाहिये कि इस प्रदेश में पिछले वर्ष कितने लोग इस काम में लगे हुये थे और इस साल कितने लोगों को काम दिया गया। जहां पर करघे के उद्योग के सेन्टर हैं उसके करीब जितने पी मवाजियात हैं उन गांवों में रहने वाले चाहे पिछडे लोग हो और चाहे हरिजन हों जिनके पास खेती नहीं है जिनके पास भूमि नहीं है जिनके पास खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है वे इसी करघे उद्योग में आकर काम करते हैं लेकिन इसकी तरफ जैसी तवज्जह होनी चाहिये वैसी तवज्जह नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्टेट हैंडलूम बोर्ड है वह ३ साल से ससपेंड पड़ा हुआ है।

मैं वीरेन्द्र वर्मा जी के पास गया और उनसे कहा कि उस बोर्ड को जिन्दा कीजिये लेकिन उस हैन्ड लूम बोर्ड की फाइल आज भी मंत्री जी के पास पड़ी हुई है। आज तक उसको कोई कानूनी शक्ल काम करने के लिये नहीं दी जा रही है। मुझे यह कहने दिया जाय कि चन्द वर्ष पहले १९५२ में बुनकरों की जो आमदनी थी, जो उनकी इन्कम थी वह तब से निरन्तर घटती चली जा रही है। आज चाहे वह हैन्डलूम हो और चाहे पावर लूम का धन्धा हो ये दोनों सनअतें जवाल की तरफ जा रही हैं। इन पर आज संकट आया हुआ है। उसकी वजह यही है कि इन बुनकरों की जो मदद हमको करनी चाहिये वह हम नहीं कर पा रहे हैं। सही बात यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बुनकरों के साथ सरकार का रवैया हमेशा कभी-कभी हमदर्दी का नहीं रहा है। हमेशा उनके साथ सौतेला बरताव किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीबुर्रहमान]

एक बात याद दिलाना चाहता हूं। स्वर्गीय जवाहरलाल जी जब जिन्दा थे तो पार्लियामेंट के अन्दर पूर्वी जिलों के लिये सवाल उठा था और एक पटेल आयोग उस वक्त बनाया गया था। उस पटेल आयोग के मुताबिक ४ जिलों के लिये रुपया मंजूर हुआ था। उसमें सिर्फ १७॥ लाख रुपया बुनकरों के लिये मंजूर हुआ था लेकिन यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल तक तो वह स्कीम लागू रही। उस पटेल कमीशन की सिफारिशों के तहत ३५ लाख रुपया हमारे प्रदेश में आया। इन चार जिलों के लिये खर्च करने को आया लेकिन यहां से यह कह कर लौटा दिया गया कि इस रुपये का लेने वाला कोई आदमी नहीं है। यह बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच अगर इस प्रदेश की गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिये और सचमुच करघे उद्योग को बढ़ावा देना चाहिये। गांधी जी के कौल को आपको याद रखना चाहिये जो उन्होंने उस वक्त कहा था जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में जितने भी कपड़े के मिल हैं उनको बन्द कर देना चाहिये और इस मुल्क में करघे के कपड़ों को ही इस्तेमाल किया जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इस मुल्क के अन्दर कपड़े की मिलें हैं अगर वे आज सब कपड़े की मिल बन्द हो जाय और फैक्टरी के कपड़ों को न पहनकर हैन्डलूम के कपड़ों को पहनने लग जायं तो इस प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की गरीबी की समस्या हल हो सकती है। करोड़ों आदमियों को काम मिल सकता है। हमारे यहां बुनकरों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनी। उन पावर लूम सोसाइटीज को रजिस्टर्ड किया गया। लोगों को कर्जा दिया गया कि वह पावर से अपनी फैक्टरी तैयार करें। जब वह फैक्टरी बनकर तैयार हुई तो उसके बाद उसको कोई सरमाया नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने पावर लूम फैक्टरी सोसाइटी बनाकर बनाई थी वह सरमायेदारी और पूंजीपतियों के कल कारखाने बनाने के लिये एजेंसी बन गई। वे सब सोसाइटी डिफाल्टर हो गई। वे सोसाइटी अपना कर्जा अदा नहीं कर रही हैं। जो सोसाइटी बनाई गई उनसे कहा गया कि तुम बुनकरों की सोसाइटी बनाइये हम तुमको ५ हजार रुपया फी पावर लूम के हिसाब से पूंजी देंगे और कारोबार चलाइये। लेकिन वह भी नहीं दिया गया। ५ हजार फी लूम के बजाय अगर ३ हजार ही दिया जाता या २॥ हजार ही फी लूम के हिसाब से बुनकर सोसाइटी को दे दिया गया होता तो आज वह अपने पैरों पर खड़ी होती और वह अच्छी तरह से चलती रहतीं और इतने डिफाल्टर्स न रहते। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा आज नहीं हो रहा है। करघा उद्योग के नाम पर बुनकर सोसाइटियां बनाई जाती हैं, रोज नया रजिस्ट्रेशन होता है और मालूम होता है कि सोसाइटी चल रही हैं। एक आदमी चलाता है कुछ दिन वह चलती हैं और बाद में मालूम होता है कि डिफाल्टर हो गई। उसके बाद फिर नये नामों से रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कर्जा और लोन लिया जाता है। और ग्रांट ले ली जाती हैं, इस तरह से आज उद्योग के नाम पर सोसाइटियों की गड़बड़ चलती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो रुपया हैन्डलूम का काम करने वाले गरीब बुनकरों को मिलना चाहिये वह उनको न मिलकर दूसरे डिफाल्टरों को पहुंच जाता है।

जो आप के विभाग के कर्मचारी हैं वह अव्वल तो गलत लोगों को रुपया दिलाते हैं और बगैर अपना हिस्सा लिये हुए वह किसी का पेमेंट नहीं होने देते। जब पिछले दिनों वह सवाल आया तो लोगों को आशा हुई कि ऐसे कर्मचारियों और अफसरों की कुछ गोशमाली होगी और इस गलत तरीके की बेउनमानी से पिंड छूटेगा। मैंने यहां के जिम्मेदार गवर्नमेंट के लोगों और अफसरों से भी जिक्र इस का किया कि हमारे यहां इन्सपेक्टर व सुपरवाइजर वह दोनों भ्रष्टाचारी हैं और वह लोगों का मंजूर रुपया रोके बैठे रहते हैं, और कहते हैं कि जब तक इतना परसेंटेज नहीं दोगे रुपया की अदायगी नहीं होगी। जब इस तरह की बहुत शिकायत आई तो हम ने लोगों से कहा कि हम ऐसे लोगों का ट्रांसफर करवायेंगे और तुम लोग किसी को

रुपया न दो लेकिन बार-बार कहने और कोशिश करने के भी उन का वहां से ट्रांसफर नहीं हुआ। जब हमने इसके मुताल्लिक अफसरान से बात की तो कहा गया कि जरा आप रुक जायं, २ माह बाद सीजन ट्रांसफर का आयेगा उसी वक्त उन का तबादला कर दिया जायगा ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच आप को सूबे में सनअत को फरोग देना है, अगर आप चाहते हैं कि सूबे में सनअत बढ़े और लाखों आदमियों को रोजगार मिले तो यह सारी बेउनवानियां जो कोआपरेटिव में चल रही हैं उन सब को खत्म करना होगा और जब तक यह चीज खत्म न होगी तो करघा उद्योग में लगे हुये लाखों बुनकरों को कोई लाभ न होगा । आज ६० नम्बर का सूत जिस की कीमत ८० रुपया बंडल है वह इन गरीब बुनकरों को १०५ और ११० रुपया बंडल पर मिल रहा है । इस तरह से एक-एक बंडल पर ३० रुपया मुनाफा लिया जाता है । वह गरीब बुनकर जिसके पास पैसा नहीं है और मुश्किल से इतना मंहगा सूत लगाकर कपड़ा तैयार करता है तो वह भी मंहगा हो जाता है और जो मजदूरी उसको बेंचने पर मिलनी चाहिये वह उसको नहीं मिल पाती । इसलिये अगर वाकई यह सरकार इस सनअत को आगे बढ़ाना चाहती है और गरीब बुनकरों को राहत देना चाहती है तो उसे इन सोसाइटियों के जाल को ठीक करना होगा और जब तक यह चीज दुरुस्त न होगी तब तक बुनकरों को सहायता नहीं पहुंचेगी और जब तक वह सहायता नहीं पहुंचेगी तब तक यह अन सनअत तरक्की नहीं कर सकती ।

इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि अव्वल तो सरकार के पास इसके सही आदादो-शुमार होने चाहिये कि इस सनअत में कितने लोग सूबे में लगे हुये हैं । मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ कि हमारे यहां बाराबंकी में डिप्टी मिनिस्टर साहब गये और उन्होंने वहां बुनकरों के बारे में कुछ आंकड़े दिये । उन्होंने वहां कहा कि १५ लाख आदमी इस उद्योग में लगे हैं । मेरा कहना है कि इस सनअत में १ करोड़ आदमी हमारे सूबे में जरूर लगे हुये हैं । जो आंकड़े डिपार्टमेंट ने रखे हैं वह ठीक नहीं मालूम होते । कितने लोग सूबे के किस ट्रेड में लगे हैं, कौन उद्योग कैसे चल रहा है, कितने लोग किस कारबार को करते हैं, कितने लोग कपड़े का काम करते हैं, कितने लोग क्या-क्या काम करते हैं इसके सही आंकड़े सरकार के पास होने चाहिये । मेरा ख्याल है कि सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं इसलिये मैं बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि इस तरफ सरकार ध्यान दे । आखिर में इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नये मंत्री जी विभाग की इन कमियों को और बेउनवानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे । मैं जो अनुदान पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और ताईद करता हूं ।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह इंडस्ट्री २ पार्ट्स में है शुगर फैक्टरी अलग है और दूसरी अलग हैं इसलिये दोनों के उत्तर के लिए मैं चाहूंगा कि यह जो डिबेट है उसको कुछ पहले खत्म कर लें । माननीय विकल जी ने बहुत सी बातें कही हैं और उन का उत्तर देना है इसलिये उत्तर के लिये आप पर्याप्त समय देने की कृपा करें ।

*श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामचन्द्र विकल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीजगननाथ खन्ना]

श्रीमन्, बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधान मंत्री जो अब तक रहे हैं या चल रहे हैं वे उत्तर प्रदेश से ही हैं परन्तु दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का इसके लिये कि उनके प्रधानमंत्री होते हुए भी उत्तर प्रदेश को जितनी राशि मिलनी चाहिये उद्योग के अन्दर वह मिल नहीं रही है। श्रीमन्, मैं इसलिए नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश के साथ कोई रियायत बरती जाय परन्तु यह जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से दूसरे प्रदेशों को अनुदान दिये जाते हैं उसी हिसाब से अगर यहां भी दिये जाएं तो बहुत मात्रा में धन मिल सकता है। मैं मानता हूं कि अपनी सरकार कोशिश करती होगी। कोशिश के अन्दर कितना वे सफल हो पातें हैं यह दूसरी बात है। लेकिन यह सत्य है कि ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी कांग्रेस की सरकार पिछले बीस सालों में रही है और अब चौधरी साहब की सरकार चल रही है वह भी मिलीजुली कांग्रेस की ही है। इसी-लिए मैं कहना चाहता था कि वह धन मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल रहा। आज यह मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में उद्योग के अन्दर कुछ न कुछ उन्नति जरूर है पर जितनी होनी चाहिये वह नहीं है। उसका कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में बड़ी दिक्कतें हैं। मैं सरकारी सेक्टर की बात नहीं कहता। उसके अन्दर तो प्रतिवर्ष यदि आप उठाकर देखें तो सिवाय एक आध कारखाने को छोड़कर सबमें घाटा ही घाटा दिखाई देगा।

श्रीमन्, मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मंत्री महोदय से उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, सबसे पहली जो उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट दे रक्खी है सेल्स टैक्स के अन्दर कि जो व्यापारी कारखाना लगायेगा, कुछ आइटम्स हैं जिनके अन्दर छूट दी जायेगी तीन वर्ष की। यद्यपि सेल्स टैक्स इनसे संबंधित नहीं हैं परन्तु उद्योग का व्यापारी इनसे संबंधित है। श्रीमन्, इस संबंध में २८ मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अन्दर १८-२० फर्मों को छूट दी गई है। लेकिन मैं हैरान रहा कि किसी भी उद्योग में तीन वर्ष पूरे नहीं मिले। किसी को छः महीने, किसी को ८ महीने और किसी को एक वर्ष, इससे ज्यादा नहीं मिला। अब आप समझिए कि यह छूट उस वर्ष से लगाते हैं जब सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया। श्रीमन्, यह तो ऐसी कहावत हो गई कि पिछले जमाने में एक राजा था। उसने किसी कारण से नाराज होकर एक ज्योतिषी को फांसी की सजा दी। जब फांसी देने का मौका आया तो फांसी का फन्दा उसके गले में लटकाया गया। वह फन्दा उसके गले में पूरा नहीं आया। उस पर राजा ने हुक्म दिया कि यह फन्दा जिसके गले में पूरा आ जाय उसको फांसी दे दो। तो कहने का मतलब यह है कि दोष सरकार के विभागों का है चाहे वह सेल्स टैक्स हो या उद्योग हो। फाइल दो दो-ढाई साल तक रुकी रहे किसी विभाग में परन्तु सजा दी जाती है उद्योगपति को। इसमें मेरा कहना यह है कि इसके अन्दर अमेन्डमेन्ट होना चाहिये कि नोटि-फिकेशन की डेट से तीन साल मिलने चाहिये। यह उसका दोष नहीं है।

श्रीमन्, इसके लिये मैं एक चीज और कहूंगा। आज उद्योगों के चलाने में बिजली एक प्रमुख साधन है। बिजली के बिना उद्योग चल ही नहीं सकते। अपनी सरकार ने ६ रुपये ८ रुपये फी हार्स पावर एक नया टैक्स लगा दिया है। इसमें जितना खर्चा आयेगा वह देगा ही लेकिन उसके बावजूद वह चलाये या न चलाये लेकिन वह ५० हार्स पावर पर चार सौ रुपये खजाने में जरूर जमा कर दे। तो इस तरहसे उद्योग कैसे बढ़ेगा? पंजाब और हरियाणा में ऐसा नहीं है। इसके साथ-साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि आज उद्योग के लिये जमीन चाहिये। जमीन जो मिलती है वह शहर के अन्दर उद्योगपति को नहीं मिल सकती। उद्योगपति को शहर के बाहर जमीन चाहिये और जब वह काम करने के लिये जमीन लेता है तो टाउन प्लानर जो बैठे हैं वे उसमें आब्जेक्शन भेजते हैं कि चूंकि यह खेती की जमीन है इसमें कारखाना नहीं लगा सकते।

मान्यवर, अगर खेती की जमीन है और किसान को मुंहमांगा मुआवजा उस जमीन का मिल जाता है तो उसमें टाउन प्लानर को या किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हां, अगर जमीन एक्वायर की गयी हो, कीमत कम दी जाती हो तो आब्जेक्शन लगाना ठीक है, अगर किसान को मुंहमांगी कीमत मिल जाय तो कोई आब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिये। मैं मिसाल के लिये

बताता हूं कि वहां पर आई० टी० आई० का कारखाना खुला हुआ है, मगर उसी के पास अगर कोई अपना कारखाना खोलना चाहता है, किसान को जमीन की मनचाही कीमत भी देना चाहता है तो उसको आप इजाजत नहीं देते जबकि आपका एक कारखाना वहां मौजूद है। एक के साथ आपकी नीति कुछ है, दूसरे के साथ कुछ है। आपकी नीति और मापदंड जो भी हो सबके साथ एक-सा होना चाहिये।

इसके अलावा आपके यहां मान्यवर, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। सरकार ने उस रिसर्च वर्क के लिये कोई धनराशि नहीं रखी है। मेरी राय यह है कि इस कार्य के लिये भी आप कुछ धनराशि रखें। शुरू में भले ही आपको इससे कुछ लाभ न हो, मगर १०–१५ साल बाद आप देखेंगे कि यह चीज लाभकारी सिद्ध होगी। एक बात और कहना चाहता हूं (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट और लूंगा। जो छोटे-छोटे उद्योगपति हैं जैसे दरियों का जो काम करनेवाले हैं वे सेल्स टैक्स का हिसाब-किताब नहीं रख पाते। मैं यह नहीं कहता कि वे एक रुपया टक्स का नहीं दे सकते, मगर इस हिसाब किताब रखने के लिये वह ३-४ सौ रुपये महीने का कोई आदमी रखें यह उनके काबू की बात नहीं है। उनको सेलटैक्स आफिस में जाना पड़ता है, हिसाब किताब दिखाना पड़ता है। वे अनपढ़ मजदूर होते हैं। वे बहियें वगैरह नहीं रख सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसके लिये कोई दूसरा तरीका निकालिये जिससे आपको पैसा तो मिल जाय, मगर उसको यह हिसाब किताब न रखना पड़े।

उत्तर प्रदेश का माल जब पोर्ट्स पर जाता है, जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता वगैरह तो वहां उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को अपना माल रखने के लिये कोई जगह नहीं मिलती है। वहां उनके लिये कोई गोडाउन्स नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी तरफ से अपने यहां के व्यापारियों के लिये वहां पर गोडाउन्स बनाने चाहिये और जिन व्यापारियों का माल वहां पर जाय, उनको उचित किराये पर वे व्यापारियों को उपलब्ध होने चाहिये। इसके साथ ही साथ हवाई जहाज की जो सुविधा आगरा, लखनऊ और वाराणसी तथा इलाहाबाद में है, वह सहारनपुर के आस-पास भी होना चाहिये। वहां पर लकड़ी की बहुत-सी ऐसी वस्तुएं बनती हैं जो विदेशों तक जैसे इंगलैंड, फ्रांस और अमेरिका तक जाती हैं।

श्रीमन्, सहारनपुर से शामली, बड़ौत, बागपत आदि होती हुई लोहनी तक जो छोटी रेलवे लाइन है उसको, ऐसा सुना है, केंद्रीय सरकार बड़ी लाइन करने जा रही है, वहां आस पास काफी कारखाने लगे हुए हैं। आप इस बात का सर्वे कराये कि किन मंडियों से फायदा नहीं है। जहां से फायदा हो, जहां पर तमाम उद्योग लगे हुए हों, वहां पर आपको चाहिये कि आप उसे इन्डस्ट्रियल इस्टेट करा दें और साथ ही वहां पानी, बिजली, रेलवे लाइन आदि की सुविधायें उपलब्ध करा दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामचन्द्र विकल जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी की जो डिमान्ड्स हैं उनका तो समर्थन करता हूं, लेकिन उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने देखा होगा आज से १५ साल पहले इस माननीय सदन के द्वारा एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का निर्माण हुआ था। जिसके चेयरमैन बिड़ला जी थे तथा यहां के और भी बहुत से उद्योगपति थे, कुछ इस माननीय सदन के सदस्य थे और पार्लियामेंट के भी सदस्य थे। मैं भी उसका एक सदस्य था और उस समय मैंने कुछ निवेदन किये थे—जमीन के संबंध में, कुछ पूंजी के संबंध में, कुछ सरकारी नीति के संबंध में। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उस कमेटी की रिपोर्ट को एक बार देखने की कृपा करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

मुझे बड़ा अफसोस है कि उस कमेटी पर इतना पैसा खर्च किया गया था, किन्तु उस कमेटी की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि उसकी सिफारिशों पर ध्यान दिया गया होता, तो आज यह प्रदेश उद्योग-धन्धों में इतना पिछड़ा हुआ न होता।

आज बिजली की क्या स्थिति है? श्रीमन्, बिजली की आज स्थिति यह है —पंजाब में जहां प्रति व्यक्ति १०७.५३ के० डब्ल्यू० एच० बिजली की उत्पादन क्षमता है, गुजरात में ११७.०१ के० डब्ल्यू० एच० बिजली बनाने की क्षमता है, तामिलनाड में १३७.३१ के० डब्ल्यू० एच० बिजली बनाने की क्षमता है और महाराष्ट्र में १४३.८९ बनाने की क्षमता है, वहां उत्तर प्रदेश में केवल ४३.५२ के० डब्ल्यू० एच० बनाने की क्षमता है। श्रीमन्, वायुमण्डल नहीं है उत्तर प्रदेश में उद्योगधन्धों के लिये और उद्योग-धन्धों के संबंध में यहां कोई नीति नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे श्रीमन्, आज तो वे व्यक्ति भी नहीं हैं इस समय, जो कि उत्तर प्रदेश के उद्योग-धन्धों की गाड़ी कहां अटकी हुई है, उसको देख सकें, समझ सकें। श्रीमन्, आज यह प्रदेश पिछड़ गया है और पिछड़ता जा रहा है और मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आज जरा सरकार इस बात को देखने के लिये एक कमेटी बनाये और गंभीरता से सोचें कि यह प्रदेश क्यों पिछड़ता जा रहा है। मैंने उस समय यह निवेदन किया था कि यहां पर कच्चा माल कम है। मैंने निवेदन किया था कि सेंट्रल इंडिया का जो प्रदेश है जिसे "मध्य प्रदेश" में शामिल किया जा रहा था, उसके लिये प्रदेश को यह कोशिश करनी चाहिये कि रींवा के पास जितनी भी खानें हैं उनको या तो इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिलाने की आज्ञा दे या उनको लीज पर दे, जिसका कि विकास नहीं हो सका है। जो कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई साधन नहीं है, उनके पास औद्योगिक स्थिति भी नहीं है कि वह उसका उपयोग कर सके। मुझे खेद है कि इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आज तो यह देखने की जरूरत है कि प्रदेश यह सोचे कि उसकी उद्योग नीति क्या होनी चाहिये।

आज भूमि पर अवलम्बित रहने वाले लोगों का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आपके पास साधन क्या हैं? १५ साल के अनवरत उद्योग के बाद आप केवल पचास हजार आदमियों को उद्योग में लगा सके हैं। और आबादी कितनी बढ़ी है? पूर्वी जिलों की गरीबी का प्रश्न आता है। पश्चिमी जिलों में भी गरीबी बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि आपकी आबादी बढ़ती जाती है। आपको उसके लिये काम नहीं। जनशक्ति का आप उपयोग नहीं कर सकते, जो जन शक्ति बराबर बढ़ती जाती है। आपके पास मैन पावर प्लानिंग नहीं है। क्या सरकार बता सकती है कि मैन पावर प्लानिंग का क्या साधन है? क्या उन्होंने सोचा है? आज उत्तर प्रदेश में, मस्तिष्क की, सोचने की, समझने की कमी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की किताब पढ़ी। उनकी बहुत-सी बातों से मैं सहमत हूं परन्तु खेद है कि उसके लिये कोई योजना है न उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके बड़े उद्योग-धंधों की हालत क्या है? आपकी शुगर फैक्टरीज की क्या हालत है? शुगर फैक्ट्री की ईल्ड जहां इस प्रदेश में ९.२ परसेंट है वहां और प्रदेशों में १२.१३ परसेंट है। यहां गन्ने की फी एकड़ पैदावार क्या है, और दूसरे प्रदेशों में क्या है? उसका परिणाम यह है कि गन्ना आपका तेज मिलता है। किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती। और कीमत बढ़ती जाती है।

आप टेक्सटाइल मिलों को देखिये। आपकी मिलों में प्रति वर्कर उत्पादन सवा दो हजार रुपये होता है जब कि आठ प्रदेश में पौने नौ हजार रुपये प्रति वर्कर होता है। तो आपका प्रदेश दिवालियेपन की तरफ चला जा रहा है। आपके पास कैपिटल नहीं है। आपके देश में पहले तो बैंकों में रुपया जमा करने की प्रवृत्ति कम है, और जितना रुपया जमा होता है उसका ७० फीसदी दूसरे प्रदेशों को चला जाता है, ३० परसेंट उद्योग धंधों या दूसरे कामों के लिये मिलता है। इसी तरह से व्यवसाय से जो रुपया आता है उसका कितना उपयोग इस प्रदेश में होता है। एक फाइनेंशल

ड्रेनेज इस प्रदेश से हो रहा है। आपके पास पूंजी नहीं है। मैं कहना बहुत चाहता था लेकिन लाल बत्ती हो गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो आप फौरन विचार कीजिये। एक योग्य विचारक लोगों की कमेटी बनायें। वह देखे कि हम किधर जा रहे हैं।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी इजाजत से एक शेर पढ़ना चाहता हूं—

"हक बात कहूंगा मगर ए जुर्रते इजहार
जो बात न कहनी हो वही बात न कह दूं।"

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदन ने यह निर्णय किया था कि हिन्दी में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्बोधित किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

डिप्टी स्पीकर हिन्दी है।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी

इस महकमे के सम्बन्ध में मैं अपने खयालात का इजहार करते हुये यह बतलाना चाहता हूं कि कारखानों के सिलसिले में मसला जेरे बहस चल रहा है। जहांतक इस प्रदेश के कारखानों का सवाल है सरकार को बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के अलावा छोटे कारखानों पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिये जैसे चूड़ी, तेल, दरी, सूत, चमड़ा आदि के कारखाने। इससे बेरोजगारी दूर होगी और यह प्रदेश तरक्की कर सकेगा और छोटे कारखानों से बहुत सा मेटीरियल ऐसा तैयार हो सकेगा जिससे हमारी जरूरियात को पूरी कर सकते हैं और हम उस मेटीरियल को दूसरे प्रदेशों को तथा बाहर के मुल्कों को भी भेज सकते हैं। घरेलू उद्योग धन्धों की ओर ज्यादा ध्यान देने के लिये तथा उनको तरक्की देने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की जाय तथा एक सुपरवाइजर मुकर्रर किया जाय जो तमाम बातों की छानबीन कर सके कि यहां के कारखाने क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? शहरों में कुछ कारखाने अवश्य हैं लेकिन उनकी तरक्की न करने का कारण यह है कि हमारी सरकार उनकी ओर खास तौर से ध्यान नहीं देती। उनको रा-मेटीरियल सप्लाई नहीं किया जाता। जिस तरह से पंजाब और हरियाना में छोटे-छोटे कारखाने, घरेलू उद्योग-धन्धे बढ़ रहे हैं, वहां के आदमी खुशहाल हैं, बेरोजगारी नहीं है उसी तरह से अपने प्रदेश में भी तरक्की हो सकती है, खुशहाली बढ़ सकती है अगर यहां के कारखानों को रा-मेटीरियल सप्लाई करने की ओर सरकार ध्यान दे, लेकिन यहां बजट की निगाह से पास कर लिया जाता है और उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। अगर सही इस्तेमाल हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारा प्रदेश क्यों न खुशहाल हो और यहां उद्योग धन्धे क्यों न बढ़ सकें?

दूसरी बात यह मैं अर्ज करूंगा कि यहां पर अच्छे मेकेनिक तथा हुनरमन्द आदमियों की कमी नहीं है। अगर उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और जो छोटे कारखाने बन्द पड़े हैं उनको सही तरीके से चलायें उनको रा-मेटीरियल सप्लाई करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारा प्रदेश खुशहाल न बन सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानपुर के बहुत से कारखाने मैंने खुद देखा कि बन्द है जैसे भारत इंडस्ट्रीज अब तक बन्द हैं। अब मैं थोड़ा डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। रा-मटीरियल उन बड़े आदमियों को सप्लाई कर दिया जाता है जो

[श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी]

उनकी जेब का इन्तजाम कर देते हैं, उनको परमिट दे दिया जाता है। अगर किसी आदमी को तहकीकात के लिये मुकर्रर किया जाय तो मालूम होगा कि न कोई कारखाना है, न कोई चीज बन रही है और दूसरी तरफ जो छोटे कारखाने वाले हैं अपना परमिट लिये टक्कर मारा करते हैं, रा-मेटीरियल उनको सप्लाई नहीं होता। मेरा सुझाव है कि हम अपने प्रदेश को ईमानदारी, सच्चाई तथा खलूस के साथ ही आगे बढ़ा सकते हैं। और देश इस प्रकार बढ़ेगा जब ईमानदारी से हमें रा-मेटीरियल तकसीम होगा। अगर रा-मेटीरियल हमें मिल जाय तो कोई वजह नहीं है कि हमारा देश दूसरे देशों के समान आगे न बढ़ सके और खुशहाली न आ सके। इसका हमारे यहां कानपुर हेड आफिस है और उसकी वजह से सारे सूबे के लोग वहां पर जाते हैं और रा-मैटीरियल प्राप्त करने में सोर्स इस्तेमाल करते हैं किन्तु इसके बावजूद भी वे कहते हैं कि रा-मेटीरियल नहीं है और यदि देते भी हैं तो कटिंग में दे देते हैं। यदि इसका भाव बाजार में १३ सौ रुपया टन होता है तो वे इसे १४ सौ रुपये टन के हिसाब से देते हैं। यदि इस चीज को माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करें तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि हमारा देश आगे न बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष —

अभी दो मंत्रियों को बोलना है और इसके लिये मैं ३५ मिनट का समय देता हूं। इसमें से जो बच जाय उतने समय में आप लोग बोल लें। माननीय विकल जी ५ मिनट में समाप्त कर लेंगे.....

श्री रामचन्द्र विकल—

उपाध्यक्ष जी, ऐसा है कि एक मंत्री से पहले बुलवा लीजियेगा और एक मंत्री बाद में बोल लेंगे। पांडेय जी से आप पहले बुलवा लें। ज्यादा नहीं तो कम से कम पांच-सात मिनट का समय तो आप मुझे अवश्य ही दें।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, थोड़ा-थोड़ा समय सभी को दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष —

पांच-पांच मिनट ही आप लोग बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला बनोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ५ ही मिनट सही, किन्तु मुझे अपने विचार इस महत्वपूर्ण अनुदान पर व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री ने जो डिमान्ड "मांग" रखी है उसके समर्थन में और माननीय विकल साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यूं तो मैं माननीय विकल साहब का आभारी हूं कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर अपनी सहिष्णुता और उदारता दिखाई। उन्होंने माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन किया है कि पहाड़ की जो वन-संपदा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग वहीं किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरे सदन में कहा था कि पहाड़ की जनसंख्या केवल ४ प्रतिशत है और पहाड़ के विकास पर आज जो खर्च हो रहा है वह प्रदेश की कुल आय का ११ प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में कई एक पर्वतीय अंचल है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इस देश के पूर्वी अंचलों में और इस प्रदेश के उत्तरी अंचल में क्या फर्क है। मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान परिषद् ने कुछ दिन पहले जो सर्वे की थी

और उससे जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय टेहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में केवल ८४रु०, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में केवल ११५ रुपया, गाराहिल्स में १४४रु०, संयुक्त मिकिर हिल्स तथा उत्तरी कछार की पहाड़ियों में १४५ रु०, मिजो हिल्स में १८२ रु०, गढ़वाल और चमोली में १९२ रु०, दार्जिलिंग में २०३ रु०, कांगड़ा लाहौल स्पीति में २५३ रु०, शिमला (पंजाब) में २६३ रु० नैनीताल में २८३ रु० और नीलगिरि में ४९५ रुपये हैं। नैनीताल के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि उसके अधिकांश हिस्से मैदानी है जो समृद्ध हैं। लेकिन उसके पहाड़ी हिस्से उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्य पहाड़ी अंचल हैं। हमने देखा कि केवल दो क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे ८ पर्वतीय जिलों से पीछे पड़ते हैं, एक तो गारो-मिकिर हिल्स, और मिजो तथा उत्तरी कछार के क्षेत्र। वहां की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी हमसे पीछे है। लेकिन उनके लिये मेघालय बन चुका है और उनको अधिकार मिल गया है कि वे अपनी इच्छानुसार अपना विकास कर सकते हैं। हमारा पर्वतीय क्षेत्र क्यों पिछड़ा रह गया इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ साथियों ने उन उद्योगों का जिक्र किया जो कि पहाड़ी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से बतलाना चाहता हूं कि लीसा उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है जो हर जिले में बहुत अच्छी तरह से पनपाया जा सकता है। अगर हर जिले में लीसा उद्योग की यूनिट खुल जाय और जिन दामों पर आप आई० टी० फैक्टरी, बरेली को देते हैं उन्हीं दामों पर लीसा इनको दें तो यह उद्योग अच्छी तरह से चल सकता है। इसी तरह से चीड़ की लकड़ी का उद्योग ऐसा है कि चीड़ की लकड़ी से माचिस का कारखाना चल सकता है। उससे स्केल पटरियों आदि का उत्पादन किया जा सकता है। अगर इस तरह के उद्योग वहां खुल जायं तो वहां के हजारों लोगों को इससे रोजगार मिल सकता है। चीड़ की पत्तियों से कागज भी बनता है। अगर कागज बनाने का कारखाना वहां खुल जाय तो उससे बादामी रंग का कागज बहुत अच्छी तरह से बन सकता है।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय तो मुझे बहुत कम दिया है। मैं उस जिले से आता हूं जहां कम से कम उद्योग के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। माननीय मंत्री जी ने उद्योग नीति की बात कोई ऐसी नहीं कही जिसकी हम आलोचना करें या समालोचना करें। वैसे तो जो कुछ वे कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं लेकिन मिर्जापुर जिले के उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चहता हूं। आज स्थिति यह है कि हमारे यहां चाहे प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में बड़े-बड़े उद्योग खोले गये हों, लेकिन आपके जरिये में माननीया सिया दुलारी जी को बतला दूं कि अगर वे मिर्जापुर जिले में जाकर देखें कि वहां के लोगों की क्या दुर्दशा है तो वे कभी भी अपने यहां अल्म्यूनियमन फैक्टरी लगाने की बात नहीं करेंगे। आज हालत यह है कि जिन लोगों की जमीन फैक्टरी लगाने के लिये ली गयी वह मिट्टी के भाव ली गयी लेकिन जहां तक उस फैक्टरी में काम करने का प्रश्न है, मिर्जापुर वालों को वहां काम नहीं दिया जाता। जहां तक चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बात है या डल्ला सीमेंट फैक्टरी की बात है, मैंने यह देखा कि जब सरकारी अधिकारी वहां का काम ठीक ढंग से करना शुरू करते हैं तभी उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां व्यवस्थित ढंग से काम नहीं हो पाता। मुझे मालूम है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी घाटे पर चलती है लेकिन वहां के अधिकारी लोग लाभ दिखलाते हैं। कैसे वहां एक सम्पूर्णानन्द कैम्प है जिसमें १,६०० या २,००० आदमी हैं। उनको ये लोग मजदूरी बहुत कम देते हैं। फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक उनको मजदूरी नहीं देते हैं।

[श्री राम प्यारे]

डल्ला सीमेंट फैक्टरी जब खुली तो सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की कि जून से उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा। कई बार इस तरह की घोषणा हुई। कभी जून, कभी अगस्त, कभी सितम्बर, कभी दिसम्बर से शुरू होने की घोषणा की गयी। अभी मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है एक स्टेटमेंट है जिसमें डाइरेक्टर साहब ने कहा है कि जून से इस फैक्टरी में सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हो जायगा। लेकिन बिलकुल नहीं होगा और इसलिये कि वहां जो मशीन है उसको ४०० टन प्रति दिन क्रश करना चाहिये, यह कर नहीं सकती। वहां की व्यवस्था ही गलत है। जैसा कि मैंने कहा डल्ला सीमेंट फैक्ट्री में, चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लोगों के सगे-संबंधी, रिश्तेदार और गांव वाले हैं, पड़ोसी और मित्र हैं। जो वहां की लोकल पापुलेशन है, जो हरिजन है, जो आदिवासी है उनको वहां कोई काम नहीं दिया जाता है। आपने रिहन्द प्रोजेक्ट खोला, ओबरा खोला लेकिन किसी में वहां के लोगों को काम नहीं मिला। प्राइवेट कंपनियां भी जो वहां खुलती हैं उनको लाइसेंस देते समय आप यह शर्त लगा दें कि इसने प्रतिशत आपको उस क्षेत्र की जनता से में लोगों को लेना होगा।

बुन्देलखंड के लोग जो फैक्ट्री मांगते हैं वे इसीलिये मांगते हैं कि उन से वहां के लोगों को काम मिल जायगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जायगा। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पर बहुत से खनिज पाये जाते हैं लेकिन आपका इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन उस ओर ध्यान नहीं देता। हमारे यहां की १२ सौ एकड़ जमीन ले ली गयी है जिसमें ५ उद्योग खुलने वाले थे। एक फर्स्ट क्लास आफीसर ने स्तीफा देकर वहां उद्योग खोलना चाहा लेकिन उसको आज तक उद्योग नहीं मिल पाया है। इतने दिनों से वह चक्कर लगा रहा है। कोई भी सहायता कारपोरेशन की ओर से उसको नहीं दी जा रही है। अगर वहां के खनिज पदार्थों को आप कायदे से काम में लायें तो कई उद्योग धंधे वहां खड़े हो सकते हैं। जो कारपोरेशन आपका कानपुर में है, उसका काम क्या है? एक अधिकारी को जापान भेजा गया और जब वह वहां से काम सीख कर आया कि उसका ट्रान्सफर कर दिया गया। उनकी बेलेंसशीट को देखिये तो उसमें ०.५० हजार रुपये का मुनाफा दिखाया गया है। इन सारी बातों को देखकर मंत्री जी को चाहिये कि उद्योग निगम को ऐसा बनायें कि वह औद्योगिक वातावरण पैदा कर सके। उसकी पालिसी से जो लोग उद्योगों को लगाना चाहते हैं वे अट्रेक्ट नहीं हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। जब तक आप इन्डस्ट्रियल वातावरण पैदा नहीं करेंगे तब तक इस प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। आप केवल एक-एक सुझाव जिसको आप सबसे ज्यादा जरूरी समझते हों, वह दे दें। लिख लिया जायगा, वैसे समय तो मैं दे नहीं सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

पांच बजे के बाद कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो एक मिनट का समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मेरा सुझाव यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग कलकत्ता और बंबई जाकर अनेक प्रकार के उद्योग चला रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सहायता करे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और बंगाल सरकार करती है, तो वे यहां आकर काम कर सकते हैं। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है, कि जो लोग अन्य प्रदेशों में उद्योग चला रहे हैं उनको अपने प्रदेश में उद्योग चलाने की सुविधा दी जाय।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सीतापुर के पिछड़े हुए क्षेत्र के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर कोई उद्योग नहीं लगाया गया है। यह गन्ने और जूट का क्षेत्र हैं। वहां पर गन्ने और जूट के उद्योग स्थापित करने की कृपा की जाय। चीनी उद्योग हमारे यहां का सबसे बड़ा उद्योग था लेकिन राष्ट्रीयकरण की बात कह कर गन्ना किसानों का गला घोंट दिया गया है।

श्री राजाराम (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने का नहीं दिया, सुझाव देने का अवसर दिया।

श्री राजाराम—

मैं उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं जहां फीरोजाबाद में ५० हजार मजदूर चूड़ी उद्योग में काम करते हैं। लेकिन आज तक उनको कोई भी बोनस, प्राविडेन्ट फंड गजटेड छुट्टियां, ग्रेचुइटी आदि का पैसा नहीं दिया गया।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस उद्योग विभाग पर बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

सुझाव एक-एक दे दीजिये।

श्री रामबचन यादव—

मेरे दल का एक भी आदमी नहीं बोल पाया है। इस तरह से हम बोलेंगे तो किसी का नम्बर नहीं आ पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने का समय नहीं है, सुझाव अगर हो तो दे दीजिये।

श्री रामबचन यादव—

हमारी पार्टी पहले से कहती आ रही है कि छोटे छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया जाय। खुशी की बात है कि उसचीज को आज सारे लोग दोहरा रहे हैं। जैसा आज ही पेपर में पढ़ा है, मुख्य मंत्री का वक्तव्य इसी तरह का आया कि छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय। मगर दुःख की बात है कि यह केवल प्रचार मात्र है। उसको कार्यरूप में परिणत करने की इस गवर्नमेंट की कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो आप बजट उठा कर देखें कि कोई इनकी योजना है कि छोटे छोटे उद्योगों बढ़ावा दिया गया हो।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिवदास तिवारी।

(श्री रामबचन यादव श्री उपाध्यक्ष के मना करने पर भी व्यवधान के बीच बोलते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष---

उद्योग की ग्रांट है। मुमकिन है कि आप अपने क्षेत्र में चाहते हों कि यह उद्योग हो इसलिये मैंने मौका दिया कि आप कोई सुझाव दें।

(श्री रामवचन यादव के बोलते रहने पर) आप कृपा कर के बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री शिवबास (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, सन ५० में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी थी उसमें यह लिखा था कि मिर्जापुर में उत्तम कोटि का संगरमर पाया जाता है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी संगमरमर के पत्थर और लाइन स्टोन में कोई फर्क नहीं करते हैं और दोनों का इस्तेमाल मामूली सीमेंट बनाने के लिये करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि वहां जो इस का गलत उपयोग हो रहा है उसकी ओर वह ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय राम चन्द्र विकल।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, कानपुर का मजदूर मर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने पहले क्यों नहीं कहा, अब तो विकल जी को मैंने कह दिया।

एक सदस्य---

मान्यवर, कानपुर की विक्टोरिया मिल बन्द पड़ी है, मजदूर रिक्शा चला रहे हैं, लक्ष्मी रतन काटन मिल बन्द होने वाली है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

इतनी महत्वपूर्ण बात आपको कहनी थी तो आप किस ड्यूटी पर थे? अभी यहां सदन में आये हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाना था तो यहां सदन में रहना चाहिये था? अब तक कहां थे आप?

श्री रामचन्द्र विकल---

उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उनका हृदय से आभारी हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन सब का आभार मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे आप से निवेदन यह करना है कि ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा एक ट्रैक्टर का कारखाना उत्तर प्रदेश में खुलने वाला था। घोषणा होने के बाद पता नहीं क्यों वह हरियाणा में चला गया। एक दूसरे कारखाने को घोषणा हुई कि बनारस में ट्रैक्टर का खुलने वाला ह जो विकास कार्य से संबंध रखता है। मालूम नहीं क्यों उस चीज को छिपाया जा रहा है? तो सरकार इस तरह कोई निश्चित नीति नहीं अपनाती। कभी घोषणा करती है, कभी कोई दिक्कतें आ जाती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। इस तरह की दो घोषणायें हो चुकी हैं।

इसी तरह अब मुझे जो हमारा मुद्रणालय, छापाखाना है उसके संबंध में कुछ चर्चा करनी है। इस छापेखाने का काम बहुत मन्द गति से चल रहा है। यहां तक कि विधान सभा

की कार्यवाही ६ हफ्ते में आनी चाहिये और ६–६ महीने हो जाते हैं वह नहीं छप पाती। विधायकों का जीवन परिचय १९६७ का भी नहीं छपा है, १९६९ की तो बात दूर रही। दूसरे छापेखाने के अन्दर काम जिस तरह से होना चाहिये उस तरह से नहीं हो रहा है। विभव जी ने सुझाव बहुत अच्छा दिया कि फैक्ट फाइण्डिग कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार को गौर करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार जरूर ध्यान देगी। लेकिन उन्होंने जो निवेदन कर दिया कि रीवां में खानें हैं इसलिये उसे उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय, यह बात समझ में नहीं आयी। कभी पश्चिमी जिलों के अलग होने की बात आती है, कभी बुन्देलखंड की, कभी पहाड़ी जिलों की, कभी भोजपुरी की बात चलती है और बटवारे की मांग होती है, पर उन्होंने कह दिया कि वहां जो खनिज हैं रीवां में इसलिये उत्तर प्रदेश में वह मिला दिया जाय, यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। कल को कोई कहे कि कोलर में सोने की खाने हैं तो वह मिला दिया जाय। तो हमें यह देखना चाहिये कि हमारा देश एक है। जहां कहीं खानें हैं उनका वहीं सारे देश के लिये उपयोग हो सकता है। वहां की खानों से कच्चा माल मंगाना चाहते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है, दूसरी जगह भी जा सकता है। चीनी के बरतनों के लिये राजस्थान और दूसरी जगहों से विशेष प्रकार की मिट्टी आती है।

इन शब्दों के साथ में सभी का आभार मानता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन सुझावों पर विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उद्योग मंत्री।

(श्री राज मंगल पांडेय के खड़े होने पर)

श्री राम चन्द्र विकल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि मंत्री जी बाद में बोलेंगे लेकिन आपने दोनों मंत्रियों को एक के बाद एक बुलाने का निश्चय किया। या तो इनके बाद मुझे दो मिनट का समय दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष—

दो विभाग हैं और दोनों की अलग-अलग मांगें हैं, दो अनुदान हैं।

*श्री राजमंगल पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विकल जी का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनके ऊपर इस प्रकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह बात भी सही है कि हमारी जो औद्योगिक नीति है या हमारी जो औद्योगिक असफलता है या श्रम की कीमत जितनी हमें करनी चाहिये वह नहीं कह पा रहे हैं। या बिजली और उद्योगों के लिये जितनी आवश्यकतायें हैं शायद हम उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिससे जिन लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं वे कभी-कभी उद्योग स्थापित करने में असफल हो जाते हैं। ये श्रीमन्, कुछ हद तक बातें सही हैं लेकिन श्रीमन् जो एक सबसे बड़ी बीमारी है इस देश की, चाहे विकल जी उस तरफ बैठे हैं और हम लोग इस तरफ बैठें या विकल जी इधर बैठें और हम लोग उधर बैठें, वह बीमारी आसानी से दूर होने की नहीं है। १९४७ के बाद जो हम लोगों में राष्ट्रीयता के भाव आने चाहिये और हम लोगों में जो ममता और कुर्बानी की भावना आनी चाहिये वह न आ सकी, कारण जो भी रहा हो। मैं श्रीमन् यह कह देना चाहता हूं कि हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कतें रहीं और आज भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह क्षेत्रीय भावना की है। वह इतनी बढ़ गई है कि उद्योगों की उपयोगिता जिस स्थान पर होनी चाहिये वह न हो कर अब प्रेशराइजेशन की स्कीम पर चल रही है। यह जनमत का आदर करके कहें या उनका प्रभाव कहें, उनके नाते हो रहा है। आप देखेंगे कि उद्योगों की स्थापना एक जगह की गई और फिर उनको वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाया गया।

आज हम औद्योगिक विकास में पीछे हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी कम हो गई है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि औद्योगिक विकास जितनी तेजी से होना चाहिये उतनी तेजी से नहीं हुआ और जन संख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह बहुत तेजी से हुई है। हम विकास में काफी पीछे चले गये हैं। चूंकि मेरा सब्जेक्ट चीनी उद्योग के बारे में है इसलिये मैं अपने को अन्य बातों में न ले जाकर इसमें कन्फाइन करूंगा। उत्तर प्रदेश में ७१, ७२ चीनी मिलें हैं। चार सहकारी क्षेत्र में हैं और पांचवीं कायम कर रहे हैं जिसमें सरकार का शेयर ३५ लाख का है। इसी तरह से तीन और हैं। एक रसरा में है, दूसरी हरद्वागंज में है और तीसरी कायमगंज (फर्रुखाबाद) में हैं। इन तीन में से दो का रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन हरद्वागंज का नहीं हुआ है। इनमें पांच-पांच लाख के शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हैं। जो कारपोरेशन बना रहे हैं उसमें ७० लाख का प्राविधान किया है। जो तीन सदस्यों की कमेटी में की रिपोर्ट है उस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है। निर्णय होने के बाद चीनी उद्योगों की स्थापना की रूप रेखा के बारे में विचार किया जायेगा।

श्रीमन् मैं बता देना चाहता हूं कि दो-चार सहकारी चीनी मिलें हैं उनके बारे में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें कही गईं। यह कहा गया कि वे घाटे पर चल रही हैं। श्रीमन् यह मालूम होना चाहिये कि शुरू-शुरू में जो हम इन्डस्ट्री चलाते हैं उसमें रिबेट काफी कटता है? इनको कायम करने के लिये जो हम कर्ज लेते हैं उस पर सूद इतना देना पड़ता है जिससे इनीशियल स्टेजेज में घाटा बर्दास्त करना पड़ता है। इसलिये कोई भी अन्डरटेकिंग पांच साल तक मुनाफे में नहीं चलती। हमारी जितनी फैक्ट्रीज हैं वह सब ४, ६ साल की हैं। तो श्रीमन् हम घाटे में नहीं हैं। इसके साथ-साथ और भी समस्यायें हैं, कभी गन्ने की समस्या होती है, तो कभी ब्रेकडाउन हो जाता है और इन मिलों को दूसरे मिलों के मुकाबले में गन्ने की कीमत भी ज्यादा देनी पड़ी।

श्रमिकों की आवास की समस्याओं का समाधान किया। इस तरह से उन मिलों पर खर्चा पड़ा। यह ऐसी मिलें हैं जहां न मजदूरों के आवास आदि पर खर्चा किया गया और न फैक्टरी के डेवलपमेंट पर कुछ खर्चा किया गया। नतीजा यह रहा कि उनकी वर्किंग पहले से भी अच्छी नहीं रही। जिन १९ चीनी मिलों पर हमने अपने रिसीवर बैठाये हैं यह कहा गया कि कुछ पक्षपात के आधार पर रिसीवर नियुक्त किये गये। मान्यवर, इसमें जो भी रिसीवर मुकर्रर किये गये वह आई०ए०एस० और पी०सी०एस० आफिसर्स हैं और कुछ गन्ना और उद्योग से संबंधित अधिकारी हैं जिनकी योग्यता और क्षमता को देखकर चयन करके हमने उद्योगों में लगाया है। मेरे पास जो तुलनात्मक आंकड़े हैं श्रीमन्, उनसे आप देखेंगे कि इकबालपुर फैक्टरी में बकाया ७८.४ लाख रुपया बकाया था जिसमें से ७० लाख अदा हो गया है। दूसरी फैक्टरी सहारनपुर की है वहां ५७.६३ लाख रुपया बकाया था जो अब १५ लाख रह गया है। श्रीमन् इसी तरह से एक फैक्टरी में १२० लाख बकाया था जहां अब केवल १७ लाख रह गया है। इसी तरह से दूसरी फैक्टरी में १०७ लाख बकाया था जो अब केवल १७ लाख रह गया है और ९० लाख अदा कर दिया गया है। इस तरह से मान्यवर, देखेंगे कि जब से रिसीवर बठाये गये ....।

एक सदस्य--

भटनी मिल के बारे में जरा बतावें कि कितना बकाया है?

श्री राजमंगल पांडेय––

श्रीमन्, भटनी में ४८ लाख था उसमें से १३ लाख दिया गया है और अब ३५ लाख रुपया बाकी है। श्रीमन् एकाध जगह की हालत जरूर ऐसी है लेकिन ज्यादातर की हालत अच्छी है। रिसीवर नियुक्त होने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सरकार पर आक्षेप लगा सके। श्रीमन् रामपुर फैक्टरी में बकाया कि धनराशि ज्यादा रही और गन्ने की कीमत नहीं दी गई लेकिन इसमें सरकार की बिलम्ब करने की नीति कोई नहीं रही। बल्कि मान्यवर बैंक तक आदमियों ने कह दिया कि सरकार की मोहर नहीं है सिगनेचर वेरीफाइड नहीं हैं और इस तरह से कई बहाना किया जिसमें गारंटी नहीं की गई। अब गारन्टी १७२ लाख की सरकार ने मिल को दी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि रजा बुलन्द फैक्टरी रामपुर जहां मुख्य मंत्री के सगे भाई मान सिंह नियुक्त किये गये वहां के बारे में यह सही नहीं है कि वहां जो बकाया १७ लाख था वह बढ़कर ५८ लाख हो गया, और जो गवर्नमेंट ड्यूज १० लाख थे वह १६ लाख हो गया और जो रिकवरी ८.४२ थी वह ७ परसेंट हो गई ?

श्री राजमंगल पांडेय––

अगर माननीय सदस्य सुनने के बाद कहते तो शायद उनको कहना न पड़ता। सरकार की नीति पर चौधरी साहब के रिश्तेदार के रिसीवर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि वहां के बैंक ने जिनको देना था उन्होंने टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर रिजेक्ट कर दिया इसी कारण १७२ लाख का ऋण सैंक्शन हुआ है। इससे वहां की समस्या का समाधान इस हद तक हो जायगा कि काश्तकार का कुछ भी बाकी नहीं रह जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मैं मंत्री जी से सफाई के लिए पूछना चाहता हूं कि शुगर केन डिपार्टमेंट के कौन-कौन लोग रिसीवर बनाये गये। क्या वह चारों एक ही जाति विशेष के नहीं हैं और उनमें मुख्य मंत्री के सगे भाई क्या शामिल नहीं हैं जिनके कारनामे अभी हमने बताया और क्या मुख्य मंत्री को यह शिकायत नहीं मिली कि उनके भाई साहब ने अपनी नौकरी के दरमियान ५–६ लाख रुपया नाजायज पैदा किया और उनके पास मोटर कार है और नैनीताल जिले में उनका फार्म है ? मुख्य मंत्री को यह शिकायत मिली या नहीं और उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष––

मैं प्रश्नों की अनुमति नहीं देता। कुछ नीति के बारे में पूछना चाहें तो वह बात दूसरी है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मान्यवर, यह गम्भीर नीति विषयक विषय है और इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री राजमंगल पांडेय––

रजा बुलन्द रामपुर में मान सिंह, सिसवा बाजार में श्री चन्दन सिंह व बृजेश कुमार, बुढ़वल में बी० एम० श्रीवास्तव व पी० के० मिश्र, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर में जी० डी० पुलेठा, बरेली में रघुबीर सिंह, धामपुर में मदन मोहन गप्त।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं श्रीमन्, इसको यहीं तक कन्फाइन्ड रखने के बारे में नहीं कह रहा हूं।

श्री राजमंगल पांडेय---

मैं फैक्टरीज की लिस्ट को पढ़ कर सुना रहा था परन्तु यह तो कहते हैं कि यह तो चौधरी साहब के भाई हैं या रिश्तेदार हैं। इस सर्विस में कोई किसी का रिश्तेदार है या भाई यह कोई अयोग्यता की बात नहीं है और न यह होनी चाहिये। उद्योग विभाग में और चीनी विभाग में यह काम करते हैं और अगर उनकी योग्यता किसी चीनी मिल में रिसीवर होने की है फिर चाहे वह मुख्य मंत्री जी के भाई हों या रिश्तेदार हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार का आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

मान्यवर, जब हम यहां पर हैं तो हम खोद रहे हैं और जब वह आयेंगे तब वह भी इसको खोदेंगे। माननीय जायसवाल जी तो केवल आक्षेप करते हैं और इसी आक्षेप को वे सुझाव मानते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, यह जो नीति चल रही है उससे बड़ी ही विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। मान्यवर, वह वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब १०,५ मिनट रह गये हैं अतः इस प्रकार की चीजों को आप न उठायें। इस प्रकार की छेड़खानी करने से कोई काम नहीं हो सकता है।

श्री राजमंगल पांडेय---

तो श्रीमन्, मैं इतना कहूंगा कि औद्योगिक विकास की बात कही गयी। विकल जी ने कुछ कहा। उन्होंने परचेज टैक्स में छूट की भी बात कही। एक तरफ जब औद्योगिक विकास की बात कही जाती है तो उसके साथ-साथ औद्योगिक नीति की सफलता के बारे में भी तो विचार करना चाहिये। श्रीमन्, को मालूम है कि इस मर्तबा चीनी की रिकवरी कितनी गिर रही है। मेरे खयाल से पहले कभी इतनी नहीं गिरी थी। श्रीमन्, पहले सवा चौदह रुपये तक छूट दी जा चुकी है एक्साइज ड्यूटी में जब कि अबकी ८ रु० तक हमने दी है। तो जब परचेज टैक्स की छूट की बात हो, एक्साइज ड्यूटी की छूट की बात हो तो कहते हैं कि कैपिटेलिस्टों के प्रति उदार है और जब औद्योगिक विकास की बात आती है तो भी हमारे ऊपर लांछन लगता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। औद्योगिक विकास के लिये जिन चीजों का महत्व है उनको हम समझें और उनकी पूर्ति करें। केवल आक्षेप से किसी इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं, यह मांग सही है और इसे पास होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल---

परचेज टैक्स बिना मिल मालिकों की मांग के क्यों ५१ पैसा क्विंटल छोड़ दिया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

मान्यवर, मिल-मालिकान पहली मई से इस कर की छूट की सरकार से प्रार्थना कर रहे थे और सरकार ने १५ मई से यह छूट दी है। पिछली साल भी और पहले सालों में भी १५ मई से छूट दी जाती रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गन्ना उत्पादक क्या मांग नहीं कर रहे हैं कि पूरे गन्ने की खपत की व्यवस्था की जाय और प्रति क्विंटल भाव ७ रु० ३५ पसे से बढ़ाकर १० रु० कर दिया जाय ? उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री बेनी सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि सदन ने आज इस अनुदान पर चर्चा की। साधारणतः आज का विवाद हमारे लिये लाभप्रद रहा और वह इसलिये लाभप्रद रहा कि बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये और उनको मैंने नोट किया। साधारणतः जो बात कही गयी उसमें और हमारी नीति में ज्यादा फर्क नहीं है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम बड़े उद्योगों को भी रखना चाहते हैं लेकिन वरीयता हम लघु उद्योगों को दे रहे हैं और उनको सहूलियतें देते हैं। सहूलियतें बड़े उद्योगों को भी देते हैं और लघु उद्योगों को भी देते हैं और ऐसी सहूलियत देते हैं कि वह हमारी तरफ आकृष्ट हों। इससे हमें लाभ भी हुआ है। कलकत्ता वाले भी यहां आये, पंजाब के भी आये हैं (व्यवधान) मैं आपको कोई जवाब तुर्की बतुर्की नहीं दे रहा हूं। मेरा निवेदन है कि आप सुझाव दें हम उन पर विचार करेंगे। यही नहीं, एक-एक सज्जन के भाषण को हम दफ्तर में मंगाकर फिर से पढ़ेंगे और उन पर विचार करेंगे और उन पर अमल करेंगे अगर हम कर सकें। कोई आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है। यह उद्योग की बात है। इसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। यह मैं आपसे अपील करता हूं। मैं यह जवाब दे रहा हूं। किसी आरोप का जवाब नहीं दे रहा हूं। आपने जो नीति बताई वही हमारी भी है। आपकी और हमारी नीति में कोई अन्तर नहीं है। जो बातें आमतौर पर आपकी तरफ से कही गई हैं उनको हम मानते हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है। हम बड़े उद्योगों को भी चाहते हैं लेकिन वरीयता कुटीर उद्योग को देना चाहते हैं। सभी उद्योग हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में पनपें। हम सभी की मदद करके अपने प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर ५७ इकाई औद्योगिक हरियाणा से आई हैं। ३३ इकाई कलकत्ता से आई हैं। सभी को हम सहूलियत देना चाहते हैं। जिनको बाहर सहूलियत मिलती हैं उनको वहां मिलें लेकिन हम अपने यहां सब सहूलियत देना चाहते हैं। आप कोई उद्योग ले आइये। और कोई दिक्कत पड़ती है तो उसको हमको बतलाइये। हम आपकी मदद करने के लिये तैयार हैं।

दूसरे प्रदेश में किसी को मदद मिलती है तो हम भी देने के लिये तैयार हैं। आप हमको बतायें हम सहायता आपकी करने को तैयार हैं। मैं आप सब की सहानुभूति चाहता हूं। दिक्कत अगर आप बतायेंगे तो उसको दूर किया जायगा। हमारा दफ्तर बहुत बड़ा है। कानपुर में हमारा बड़ा दफ्तर है। वहां मैं हफ्ते में दो दिन बैठकर काम करता हूं। जो दिक्कत लोगों को होती है उनको सहूलियत पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अगर और आवश्यकता होगी तो और समय दूंगा। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि आपको अधिकारी की तरह से काम नहीं करना चाहिये। आपको इन्श्योरेंस एजेंट की तरह से काम करना चाहिये। कोई उद्योग की बात लेकर आवे तो आप उसके पीछे पड़ जाइये क्यों लौट गये। जो उसकी दिक्कत हो उसको दूर कीजिये। उन्होंने इसको मंजूर किया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने-अपने क्षेत्र से हमको मदद दें। कोई दिक्कत हो तो बतावें। हम यह भी करन जा रहे हैं कि डिवीजनल कांफ्रेंस करें। अपने

[श्री बेनीसिंह]

अधिकारियों से कहा है । उसमें आपको भी बुलायें । आपसे भी सलाह लें । मैंने इसलिये कहा कि यह करने जा रहे हैं तो उसमें आपका सहयोग चाहिये । आपका आशीर्वाद चाहता हूं । मैं विकल जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने सुझाव दिये । अंत में मेरी प्रार्थना है कि इस ग्रांट को मंजूर करें और विकल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उनसे प्रार्थना करता हूं कि उसको वह वापस लें लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,४९,१८,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुनाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९४,१७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,८०,९९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम ५६ के अन्तर्गत तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

नियम ५१ के अन्तर्गत ६ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राजितराम पांडेय की है। यह आश्रम पद्धति विद्यालय, आर्यनगर, लखनऊ के प्रधान लिपिक श्री जमादार चौबे द्वारा छात्रा कुमारी कृष्णा के साथ बलात्कार के संबंध में है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

दूसरी सूचना है श्री रामधारी शास्त्री की, यह है डफरिन हास्पिटल, गोंडा से ५-६-७० को राजेंद्र विक्रम सिंह वकील के नवजात शिशु को कुत्ता द्वारा उठा ले जाने के बारे में। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

तीसरी सूचना है श्री श्यामलाल कनौजिया की, यह है शहर मथुरा की लता व मुन्नी नाम की लड़कियों के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी न करने के बारे में। इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है और इस पर वक्तव्य होगा।

चौथी सूचना श्री सुरेंद्र विक्रम की है। वह यह है कि ८ जून, १९७० से हिन्दू विश्व विद्यालय के डाक्टरों, वैद्यों तथा चिकित्सकों द्वारा हड़ताल के संबंध में। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

पांचवी सूचना है श्री हरिवंश सहाय व श्री दल सिंगार यादव की। यह एलेमपुर (देवरिया) के अन्तर्गत श्रीमती कमलावती सिंह हेल्थ विजिटर को ८ जून, १९७० को जहर देकर मार डालने के बारे में। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

छठी सूचना है श्री रूपनाथ सिंह यादव की, यह बिलम्ब से प्राप्त हुई है और यह इलाहाबाद जनपद, थाना सराय इनायत व थाना थरवई के अन्तर्गत हाल में पड़ी दो डकैतियों के बारे में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में लगातर अपराध हो रहे हैं और डकैतियां पड़ रही हैं। वहां पर थाना सराय इनायत व थाना थरवई के अन्तर्गत हाल ही में २ डकैतियां पड़ी हैं जिसमें २ जून को मौजा शेरडीह में मैकू नाम के बनिये के घर को डाकुओं ने लूटा और बच्चे व औरतों को पीटा और कई हजार का म ल भी वह लूट कर ले गये। दूसरी डकैती पैगम्बरपुर, करमचन्दा गडरिया का पुरवा थाना थरवई में हुई जिस में एक औरत के पैर काटकर उसके जेवरात डाकुओं ने छीन लिये वह साइकिल व २५-३० हजार क जेवरात लूट ले गये। ५-६ डाकू पकड़े भी गये लेकिन पुलिस ने मिलकर उनको छोड़ दिया और जनता में असंतोष फैला हुआ है। तीसरी घटना यह हुई कि छिबैया गांव में थाना इंचार्ज सराय इनायत में राममिलन नामक व्यक्ति को थाने के अन्दर १३-१४ लाठियां मारी गईं और जूते से मारा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस को आप कृपया स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित सवाल कर लें क्योंकि वक्तव्य जो होंगे वे २९ तारीख के बाद पड़ेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

मान्यवर, हमने दफा ५१ में एक सूचना दी थी। आप उसकी गम्भीरता की ओर ध्यान दें। गोंडा में दिनांक २-६-७० को लेडी डफरिन हास्पिटल में श्री राजेन्द्र विक्रम सिंह वकील

[श्री रामधारी शास्त्री]

की पत्नी की डिलीवरी के लिये भरती हुई। ५-६-७० को कोई बच्चा (लड़का या लड़की) पैदा हुआ जब कि वह अचेत अवस्था में थी। वकील साहब वहां मौजूद नहीं थे और अन्दर उनकी मां को जाने नहीं दिया गया। लगभग दस बजे दिन में पैदायश हुई और ४ बजे शाम को घर वालों को बहुत कहने सुनने के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि मरी हुई लड़की पैदा हुई थी उसे कुत्ता उठा ले गया और लाश भी अब नहीं है। श्रीमन्, इससे अधिक लापरवाही क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

कल्पना कीजिये कि वक्तव्य मान लें। जब वक्तव्य आयेगा तब तक असेम्बली खत्म हो जायेगी।

श्री रामधारी शास्त्री--

श्रीमन्, यह तो अपने ढंग की घटना हिन्दुस्तान में होगी कि कोई कार्यवाही न हो और अगर आप भी ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या ? सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। कोई वैलिड सरकार यहां एग्जिस्ट नहीं करती।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न करने से आपको जल्दी जबाव मिल जायेगा। जो अल्पसूचित पूछा जायेगा उसका जबाव आखिर तक मिल जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

एक सम्भावना यह भी है कि परिवार नियोजन के तहत ऐसा कर दिया हो कि कुत्ता बच्चों को उठा ले जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन अब ९० दिन से ज्यादा बैठेगा। यह नियोजन नहीं विस्तारण है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

नियम ५१ के प्रश्नों में आप परामर्श दे देते हैं कि अल्पसूचित के लिये। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि हम लोग आपकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं। बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस दिन हो जाते हैं। अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार भी हो जाता है लेकिन मान्यवर, पता नहीं कहां चले गये। हमारा प्रश्न स्वीकार हुए बीस पच्चीस दिन हो गये और अभी तक नहीं आया। मान्यवर, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने उचित सवाल उठाया। कई दफे मैंने स्वीकार कर दिया जैसे हमारी क्षमता है उसके अनुसार किया। फिर मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने पन्द्रह दिन या दो सप्ताह का स्थगन मांग लिया। आगे का पीछे हो जाता है। मान लीजिये, मंत्री जी ने तुरन्त मान लिया तो आगे भी आ जाता है। लेकिन आप मेरे यहां आकर देख लेंगे कि क्या स्थिति है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, बनारस विश्वविद्यालय के सुन्दरलाल हास्पिटल में व्यापक हड़ताल चल रही है। वहां के समस्त वैद्यों और डाक्टरों ने श्री एस० के० वैश्य, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आफ मैडीसिन्स के दुर्व्यवहार के कारण हड़ताल कर रखी है। आपने इसको नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया तो कृपया अल्पसूचित करने की आज्ञा दे दें तो प्रश्न कर लूं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया था वह बड़ा महत्व का है। कक्षा ९ की लड़की को प्रधान लिपिक ने अपने घर ले जाकर उसक साथ बलात्कार किया, उसका शील भंग किया...

श्री उपाध्यक्ष--

कल इसका जबाव माननीय मुख्य मंत्री दे चुके हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत जो हमारा प्रस्ताव था वह बहुत ही महत्व का था। आप सरकार से कोई वक्तव्य तो दिलवा दें ताकि स्थिति साफ हो जाय। अध्यक्ष महोदय, तो चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों टाल मटोल की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लें।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)--

जितने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आते हैं आप अल्पसूचित प्रश्न करने के लिये आश्वासन तो दे देते हैं, मगर जब प्रश्न देते हैं तो पता नहीं चलता कि उन पर क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

उस संबंध में जो नियम है उनके अनुसार कार्यवाही होती है।

श्री शिवकुमार--

जो आप यहां आश्वासन देते हैं उससे ऐसा लगता है कि वे अब स्वीकार हो जायेंगे, मगर बाद को सभी होते नहीं हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मैंने एक प्रस्ताव नियम ५२ का दिया था, वह बड़ा महत्वपूर्ण था। उस पर वक्तव्य कृपया दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आज कोई नियम ५२ की सूचना नहीं आयी थी। नियम ५१ वगैरह की थी। आप कृपया अध्यक्ष महोदय से बात कर लें। अगर वे उचित समझेंगे तो उसे स्वीकार कर लेंगे। वैसे ज्यादा अच्छा हो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें। मान लीजिये आपका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया तो वह काफी दिन बाद आयेगा। प्रश्न पूछने से जबाव जल्दी भी आ सकता है।

अब आइटम नम्बर १० पर माननीय मुख्य मंत्री कृपया वक्तव्य दें।

श्री के० बी० शुक्ला की राज्य प्रशिक्षण सेवा में तथाकथित गैर-कानूनी नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

विधान सभा के माननीय सदस्यगण सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, शिवकैलाश तथा श्याम लाल कनौजिया जी द्वारा तीन बातें कहीं गई हैं जिनसे संबंधी वक्तव्य क्रम से निम्न प्रकार है:

दिनांक २२ मई, १९६८ को रिट पेटीशन नं० १९३ (१९६६) में माननीय हाई कोर्ट ने श्री के० बी० शुक्ला की नियुक्ति आयु संबंधी तथा कथित अर्हता न होने से गलत मानी थी लेकिन माननीय हाई कोर्ट के उन्हीं माननीय न्यायाधीश ने श्री के० बी० शुक्ल के रिव्यू प्रार्थनापत्र

[श्री राजमंगल पाण्डेय—]

(Review Application No. 31,1968) पर आपने अदेश दिनांक १५-७-६८ द्वारा उपरोक्त रिट पेटीशन के उस अंश से सम्बन्धित आदेश को जो श्री के० बी० शुक्ल के बारे में था, रद्द कर दिया। उन्हीं के शब्दों में "So the ground on which proceeds the decision against Sri Shukla is non-existent and thus there is an obvious error apparent on the face of the record"

यह बात दिनांक १३-५-७० को अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में ही स्पष्ट कर दी गई थी।

१९६३-६४ और १९६४-६५ में श्री के० बी० शुक्ल को जो प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली थीं वे बाद में (१९६८) में रद्द कर दी गई थीं। यहां यह कह देना आवश्यक है कि स्टेट ट्रेनिंग सर्विस सीनियर स्केल का चुनाव लोक सेवा आयोग ने, विज्ञापन देने के बाद, सीधे किया था। उनके सामने श्री शुक्ल का पहले का कार्य भी स्पष्ट था। उसके होते हुये भी उन्हों ने अपने सामने आये हुये अभ्यर्थियों म से श्री शुक्ल को ही चुना। कुल छः व्यक्तियों के चुनाव किये जाने थे। जिस क्रम में लोक सेवा आयोग ने चुनाव सम्बन्धी सिफारिशें भेजी, नियमानुसार उसी क्रम में शासन ने उनको वरिष्ठता दी।

निदेशालय अथवा शासन को मशीनों के खरीदने से संबंधित नोटिस में दिये गये आरोपों की जानकारी नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि सन् १९६२ में जब श्री के० बी० शुक्ल जूनियर स्केल के लिये बैठे थे, तो उस समय उस संबंध में जो विज्ञापन निकला था, उसमें आयु की सीमा कम से कम २५ साल और ज्यादा से ज्यादा ४० साल थी, और उस सीमा के मुताबिक यह अंडर एज थे, किन्तु उसके बावजूद कमीशन ने न केवल उनकी अप्लीकेशन पर गौर किया बल्कि उनका सेलेक्शन भी कर लिया।

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया था। फिर उस बेंचने रिव्यु अप्लीकेशन के बारे में जो कहा कि गलती से कर दिया, चूंकि श्री शुक्ला २१ से ज्यादा थे।

(व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल—

यह सब फिजूल की बात है। मैं यह इस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि इस मामले में शासन ने और पी०एस०सी० ने किस तरह से कोलेबोरेट किया और उनके मामले में तरफदारी दिखाई। १९६२ में ट्रेनिंग सर्विस में भर्ती के लिये कमीशन द्वारा जो विज्ञापन दिया गया था, उसमें न्यूनतम सीमा २५ वर्ष और अधिकतम सीमा ४० साल थी, किन्तु वह उस वक्त अण्डर एज थे, और इस फैक्ट के बावजूद कमीशन ने न केवल उनकी दरख्वास्त को कंसीडर किया, बल्कि उनका सेलेक्शन भी कर लिया।

(व्यवधान)

मंत्री जी को पूरे फैक्ट्स का पता नहीं है या यह जानबूझ कर छिपाना चाहते हैं। उसका कारण यदि यह नहीं बताते तो मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन के चेयरमैन श्री आर०के० अग्रवाल और श्री के० बी० शुक्ला की फेमलीज में परस्पर बड़े गहरे संबंध थे....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो निर्णय हो चुका है, अब इस पर आपको क्या कहना है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल---

अभी वह फायनल निर्णय नहीं है। क्या कमीशन के सामने उसे यह तथ्य मालूम था ? विज्ञापन के अनुसार २५ से ४० के मध्य उम्र होनी चाहिये थी, किन्तु उनकी उम्र कम थी, फिर क्या वजह थी कि उसने न केवल उनकी दरख्वास्त को कांसिडर किया, बल्कि उनका सेलेक्शन भी कर लिया ? उसे तो उन्हें प्राइमाफेसी रेजेक्ट कर देना चाहिये था।

श्री राजमंगल पांडेय---

यह मैं श्रीमन नहीं कह सकता कि भ्रम किसको है। जो कि २१ के बारे में रिव्यु पर निर्णय हुआ वही मैं आपको सुनाये देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस तरह से यह नहीं टलेगा। यह मामला मामूली नहीं है। पी० एस० सी० न, एक इन्डेपेन्डेंट बाडी होते हुये, भर्ती में ऐसा पक्षपात किया है।

श्री राजमंगल पांडेय---

यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जवाब उनकी इच्छा के अनुकूल दिया जाये तो यह मेरी मजबूरी है।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

मैं चाहता हूं कि आप तथ्य छिपायें नहीं, सारे तथ्य प्रकाश में लावें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मेरा प्रश्न बहुत सीधा सा यह है कि क्या सेलेक्शन के समय बावजूद इसके कि मिनिमम एज लिमिट २५ वर्ष थी, उनको २२ वर्ष की अवस्था में ही चुन लिया गया ? यदि सूचना हो तो बता दें।

जो हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो क्या इस पर कोई निर्णय हुआ या यह प्वाइन्ट डिस्वस हुआ ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसमें मैंने कहा २५ की जो उम्र है, उसको....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस सिलसिले में यह पहले की कड़ी को दबाना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

आप निश्चिन्त रहिये दबता नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो १९५२ में विज्ञापन हुआ था उसको पढ़ कर क्यों नहीं सुनाते, उसको दबाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि हाई कोर्ट का जजमेंट एक हुआ है या दो ?

श्री राजमंगल पांडेय---

दो। जो रिव्यू ऐप्लीकेशन पर, आर्डर हुआ है, उसको पढ़ दूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसकी बाकायदा अपील भी पेंडिग है जिस रेव्यु आर्डर को पेश कर रहे हैं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं पढ़ देता हूं, श्रीमन्, उससे स्थिति साफ हो जायगी।

"The factual position is that advertisement fixed the minumum age at 21 years and not at 25 years. That was the minmum age fixed in an earlier advertisement issued in the year 1962. Mr. Shukla was past 21 years of age when he applied for the post in question. So the ground of age on which proceeds the decision against Sri Shukla is nonexistent and thus there is an obvious error apparent on the face of the record. In that view of the matter, the application for review must be allowed."

यह हाई कोर्ट का जजमेंट है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो पहले कह रहे थे वही दोबारा कह रहे हैं इसलिये दफा ५२ में डिस्कशन आप एलाऊ करेंगे, यह प्रार्थना है। साथ ही साथ क्या वह बतायेंगे कि जो १९६५ में चुनाव हुआ था पी० एस० सी० द्वारा इस चुनाव के पहले तक एज २५ से ४० तक थी साथ ही साथ एक्सपीरियंस ५ से ७ साल था लेकिन के० बी० शुक्ला को अर्ह बनाने के लिये मिनिमम एज को घटा कर २१ कर दिया और ५–७ साल के एक्सपीरियंह को २ साल का एक्सपीरियंस कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है जो निर्णय है, जब इस निर्णय को आप देखते है तो हाई कोर्ट ने २१ माना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सेलेक्शन से पहले तक क्या यह नहीं था कि एक्सपीरियंस की कैद पांच से सात वर्ष थी और मिनिमम एज २५ और मैक्सिमम एज ४० थी? इस दफा के० बी० शुक्ला को अर्ह बनाने के लिये ५–७ वर्ष का एक्सपीरियंस घटा कर २ साल कर दिया गया और जो मिनिमम एज थी उसको भी घटा कर २५ वर्ष के बजाय २१ वर्ष कर दिया गया?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह श्रीमन, मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य के अनुसार सरकार किसी को पुश करने के लिये ऐसा कर सकती है और पब्लिक सर्विस कमीशन इन्फ्लुएंस में आकर डाइरेक्ट रेक्रूटमेंट में ऐसा कर सकता हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्या यह था या नहीं, सीधा सादा सवाल है? क्या इस चुनाव के पहिले पी०एस०सी० ने जितने एडवर्टिजमेंट किये है उसमें एक्सपीरिएंस ५–७ साल माना था?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम के बारे में हाई कोर्ट कहता है २१।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह सवाल नहीं है। क्या ऐसा किया या नहीं? ५–७ साल एक्सपीरियंस को तरमीम करके २ साल कर दिया और मिनिमम एज को घटा कर २१ साल कर दिया यह सही है या नहीं इतना जवाब दीजिये?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं इसके बारे में अपनी कोई जानकारी व्यक्त करने में असमर्थ हूं। सरकार को राइट है कि कभी २५ साल की उम्र रखे और बाद में अड़चन मालूम हो तो २१ कर दे। मगर ऐसा कर देती है तो क्या मतलब लगाया जाय कि सरकार ने बेईमानी की है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आर्गूमेंट नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तथ्य है या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक सूचना मिली है कि मुख्य मंत्री द्वारा दो समाचार-पत्रों को एडवर्टाइजमेंट देने के विरोध में माननीय गेंदा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में वह सवाल उठाइयेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हमको यह पता लगा है कि सरकार में अड़चन पैदा हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे इसका पता नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह भी सुना है कि चूंकि सरकार में अड़चन पैदा हो गयी है इसलिये चौधरी चरण सिंह इस्तीफा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बात सुख का अनुभव करके कह रहे है अथवा दुख का अनुभव करके ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्री के० बी० शुक्ला को ६३-६४ और ६४-६५ में लगातार दो प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली थीं लेकिन ६८ में उनको रद्द कर दिया गया तो ये प्रविष्टियां विज्ञापन करने के पहले रद्द की गयीं अथवा विज्ञापन करने के बाद में।

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे तो इसका इल्म है नहीं क्योंकि प्रविष्टियां माननीय सदस्य पहले ही बतला रहे है और ६८ में उनको रद्द किया गया। अगर ६३-६४ में प्रविष्टि की गयी तो पहले चुनाव हुआ होगा लेकिन इसके बारे में मै जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ये जो प्रतिकूल दो प्रविष्टियां दी गयीं ये किस के द्वारा दी गयीं, किस के द्वारा हटाई गयी और क्या यह नियम नहीं है कि जो प्रतिकूल प्रविष्टियां देता है वही उनको हटा भी सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। आप भी सरकार में रह चुके हैं और ऐसा करते रहे होंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सवाल यह है कि शासन और पी० ए स० सी० दोनों की कार्यवाहियां अगर इस तरह से कोलेबोरेट किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में हुआ करेगी तो प्रदेश का क्या हाल होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

हाई कोर्ट का पहला निर्णय ही रहता तो आपका केस मजबूत होता लेकिन रिवीजन के बाद आपके केस में दम नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ये प्रविष्टियां विज्ञापन के बाद रद्द की गयीं या विज्ञापन देने के पहले ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी प्रविष्टियां होती रहती हैं सरकार में और कटती भी रहती हैं । हां आपका केस मजबूत होता अगर हाई कोर्ट अपने पहले के निर्णय को संशोधित न करता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी तक यह निर्णय फायनल नहीं हुआ है । सरकार ने जल्दी की है । उसके खिलाफ अपील बन रही है । बिना हाई कोर्ट के फैसले के ही उन्होंने ऐसा कर दिया है । यह चीज असाधारण है कि लगातार दो प्रतिकूल प्रविष्टियां हों तब भी किसी व्यक्ति का चयन सीनियर स्केल में कर दिया जाय उन प्रविष्टियों को रद्द करके ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में जिक्र किया गया है । उसका मतलब यह नहीं है कि वह चीज एग्जिस्ट नहीं करती । असल में कुछ हो लेकिन हमारे रिकार्ड में वह चीज नहीं है और इससे जो शंका प्रकट की गयी है उसकी पुष्टि होती है ।

तो रिकार्ड की मदद ये नहीं ले सकते । दूसरी बात जो त्रिवेणी सहाय जी ने कही है प्रविष्टियां जो उनके खिलाफ की गई हैं वे प्रविष्टियां उस समय से पहले की गई थी । जब विज्ञापन हुआ था उसके पहले की गई थीं । तो श्रीमन्, यह भी शंकाप्रद है । श्रीमन्, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर भी उत्तर दिलायें...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ६८ का मामला है...

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ह्वाई डौंट यू टेक इट सीरियसली ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछता चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उस रिट पिटीशन में कुछ फैसला हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह उचित होगा कि उस पर सदन विचार करें ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, इसकी एक अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

तो इसका मतलब है कि यह सब्जुडिस हुआ ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जब यह चीज माननीय मंत्री जी जानते थे उस मामले के सम्बन्ध में अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग है तो उन्होंने इनको ज्वाइन्ट डाइरेक्टर बनाने में जल्दी क्यों की ?

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, इसमें लाखों रुपये का मामला है (व्यवधान) . . . मैं आपको चेतावनी देता हूं मैं इस तरह से हाउस को नहीं चलने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
११ जून, १९७० ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर]

नलकूप के उन उपभोक्ताओं के नाम जिन्हें जनवरी, ६९ से १५ मार्च, सन् ७० तक विद्युत् कनेक्शन दिये गये।

हरगांव ब्लाक

१—सर्वश्री लाल जी गिरि, प्राग सिंह, मोहन लाल, पूरन व नरायन, ग्रा० रायपुर
२—उदय राज सिंह, ग्रा० रायपुर
३—पं० जमना प्रसाद मिश्र, ग्राम हरगांव
४—श्रीमती बसन्ती जोग अररो फार्म, ग्रा० सेलुमऊ
५—श्रीमती विजयकुमारी सिंह, ग्राम सहानीपारा
६—श्री लल्लू सिंह, ग्रा० कल्हापुर
७—श्री ईश्वरी व राम प्रसाद, ग्रा० मोमेनाबाद
८—शिम्भर सिंह तोमर, ग्रा० फीरोजपुर
९—राजा राम, ग्रा० कटेसर
१०—ईमाम अली, ग्राम तुरतीपुर

महोली ब्लाक

११—श्री जगदीश प्रसाद मिश्र, ग्रा० रामनगर
१२—श्री भारती रमन त्रिवेदी, ग्रा० ब्रह मावली
१३—श्री उमराव लाल, ग्रा० महेवा
१४—श्री ज्वाला प्रसाद, ग्रा० बड़िया

ऐलिया ब्लाक

१५—श्री चेत राम, ग्रा० मुस्तफा बाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर]

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन की १६ सूत्री मांगों का विवरण और उनकी स्थिति ।

मांगें	वर्तमान स्थिति
१—तीन साल के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना ।	१—परिषद् ने निर्णय लिया है कि जो कार्य प्रभारित कर्मचारी अनुरक्षण शाखा में लगातार तीन वर्षों से कार्य रत हैं उनको नियमित अधिष्ठान में ले लिया जाय, यदि वह निर्धारित योग्यता प्राप्त हैं और वह जिन पदों पर कार्यरत हैं, वे पद भविष्य में चलते रहने वाले हों। परिषद् ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में भी ऐसी ही निर्णय लिया है । इलाहाबाद जल विद्युत् खण्ड के अनुरक्षण शाखा में तीन वर्ष से लगातार कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य रत नहीं है । जहां तक कार्य प्रभारित कर्मचारियों का प्रश्न है, इस संबंध में परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।
२—१९६८ से आज तक के टी०ए० बिलों का शीघ्र भुगतान किया जाय और टी० ए० बिलों की गलत कटौती हो रही उस का पूर्ण भुगतान हो ।	२—प्री आडिट वाले बिलों को छोड़कर शेष टी० ए० बिलों का भुगतान परिषद द्वारा कर दिया गया है और कोई गलत कटौती नहीं की गई है ।
३—ई० पी० एफ० एकाउन्ट नम्बर तथा एकाउन्ट स्लिप दिया जाय ।	३—कर्मचारियों को हड़ताल करने के पूर्व ही वर्ष १९६७–६८ की ई० पी० एफ० की एकाउन्ट स्लिप मये एकाउन्ट नम्बर के प्राविडेंड फन्ड कमिश्नर उत्तर प्रदेश कानपुर, से मंगवाकर बांट दी गयी थी । और अब उनकी वर्ष १९६८–६९ की एकाउन्ट स्लिप मंगवा ली गई है और परिषद् द्वारा बांटी जा रही है ।
४—गेम फन्ड का भुगतान किया जाना ।	४—गेम फन्ड का भुगतान हड़ताल के पूर्व ही दिनांक १३ मार्च, १९७० को कर दिया गया था ।
५—रीवां रोड सब स्टेशन तथा नैनी स्टोर पर कार्य करनेवाले कर्मचारियों को सी०सी०ए० का भुगतान किया जाना ।	५—अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत खण्ड, इलाहाबाद, ने इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था जो उन्हें मई, १९७० में प्राप्त हुआ है । इस मामले में अब भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
६—गलत रिक्वर्सन जो किये गये हैं उन को वापिस लिया जाय ।	६—जल विद्युत खण्ड इलाहाबाद, में किसी व्यक्ति का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है ।

मांगें	वर्तमान स्थिति
७—१९६८-६९ का बकाया एक्स-ग्रेशिया का भुगतान किया जाय।	७—यूनियन के कथनानुसार चल विद्युत् खण्ड इलाहाबाद के समस्त कर्मचारियों में से केवल १७ कर्मचारियों का एक्स-ग्रेशिया का भुगतान बाकी था, परन्तु जांच के बाद यह पता चला कि सिवाय दो कर्मचारियों के बाकी सब कर्मचारियों के एक्स-ग्रेशिया का भुगतान मार्च १९७० में हो चुका था। उन दो कर्मचारियों के एक्स ग्रेशिया का भुगतान उस समय का है जब वे इलाहाबाद खण्ड में कार्य नहीं कर रहे थे। नियमानुसार उनके एक्स ग्रेशिया के भुगतान के लिये संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया जा रहा है।
८—नैनी में पानी की समस्या हल किया जाना।	८—नैनी में परिषद् का एक स्टोर स्थित है जहां पर लगभग दस बारह कर्मचारी दिन के समय काय करते हैं। स्टोर के पास ही, सामने सड़क के पार, पानी की व्यवस्था के लिये नल लगा है, जिसे यह कमचारी तथा आम जनता प्रयोग में लाती है। इसके अतिरिक्त स्टोर पर परिषद् का भी एक हैंड पम्प लगा हुआ है।
९—मेजा रोड के स्टाफ के वेतन की जो गलत कटौती की गई है उस का शीघ्र भुगतान किया जाय।	९—मेजा रोड के स्टाफ के वेतन से कोई गलत कटौती नहीं की गई है।
१०—परिचय-पत्र दिया जाय।	१०—परिचय पत्र छप चुके हैं। उन्हें वितरित किये जाने की कार्यवाही परिषद् द्वारा की जा रही है।
११—किसी विशेष व्यक्ति का पक्षपात कर के कर्मचारियों को जो परेशान किया जा रहा है उसे रोका जाय।	११—यूनियन के पदाधिकारियों ने पूछने पर भी यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि किस व्यक्ति का पक्षपात करके कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। अतएव, किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।
१२—एजूकेशन एलाउन्स का शीघ्र भुगतान किया जाय।	१२—हड़ताल के पूर्व किसी भी कर्मचारी का एजूकेशन एलाउन्स विषयक कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।
१३—कर्मचारियों को वर्दी दिया जाना।	१३—कमचारियों को वर्दी देने का निर्णय अधिशासी अभियन्ता, जल विद्यत् खन्ड, इलाहाबाद, को फरवरी, १९७० में प्राप्त हुअ और तत् संबंधी आवश्यक कार्यवाही हड़ताल से सूर्व ही प्रारम्भ कर दी कई थी। अब वर्दी तैयार कराने की व्वयस्था की जा रही है।
१४—एस० एस० ए० को क्वार्टर रेन्ट एरियर सहित दिया जाय।	१४—कुछ सब स्टेशन अटेंडेंटों के क्वार्टर रेन्ट के पिछले बकाया बिल थे जो अब पास कर दिये गये हैं।
१५—टी एण्ड पी० सभी कर्मचारी को दिया जाय।	१५—हर कर्मचारी को आवश्यक टूल्स एण्ड प्लान्ट दिये जाते हैं।
१६—मेडिकल की सुविधा प्रत्येक में उपस्थान में किया जाय।	१६—जल विद्यत् खण्ड इलाहाबाद के प्रत्येक उपमख्य स्थान पर फर्स्ट एड बक्स उपलब्ध है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तरांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर)

दिनांक ३ जुलाई, सन १९६९ को जिलाधिकारी उन्नाव के कक्ष में हुई बैठक में पुरवा तहसील के अन्तर्गत निम्नलिखित लाइनों के बिछाने के सुझाव दिये गये थे :

(१)	बिहार से मौरावा	१६ कि०मी
(२)	पुरवा से वीरपुर	१५ कि०मी०
(३)	तकिया से पुरवा	१६ कि०मी०
(४)	अचलगंज से पुरवा	२४ कि०मी०
(५)	बीघापुर से बारा होते हुये अंचगांव	२४ कि०मी०
(६)	बारा से भगवंतनगर	..

यह भी सुझाव दिया गया कि तहसील की बीघापुर से अचलगंज लाइन को बहुराजमऊ होते हुये सिकन्दरपर सरासी तक ले जाया जाय। इस प्रकार उन्नाव से भगवन्तनगर तक तथा बीघापुर से पाटननतक की लाइनों को बढ़ा कर सुमेरपुर व बिहार तक लाया जाये।

उक्त बैठक में निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना निश्चित किया गया :

(१) पुरवा
(२) छूलामऊ
(३) तुसरौर
(४) भवानीगंज
(५) कौरा
(६) पाटन
(७) तकिया
(८) बीघापुर
(९) सुमेरपुर
(१०) चमयानी
(११) बिहार
(१२) बेहता
(१३) धमनीखेड़ा
(१४) आरगांव
(१५) ऊंच गांव
(१६) अखोरी
(१७) वार्धा
(१८) मवई
(१९) बिछिया
(२०) वारा
(२१) सगवा
(२२) जगतपुर
(२३) रायपुर
(२४) पारा
(२५) कालूखेड़ा
(२६) सगौली
(२७) समथा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के निम्न लिखित ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	तहसील
१	२	३
१	रहेरी	हाथरस
२	अम्बर पूर गोहाना	,,
३	लूटसान	,,
४	करौली	,,
५	रामपुर	,,
६	सोजना	,,
७	तिलहोटी	,,
८	कन्हौली	,,
९	जुग्गीपुर	,,
१०	खोरना	,,
११	अजरोही	,,
१२	कीमतपुर	,,
१३	नगला किशन	,,
१४	बथामई	,,
१५	नगला आडप	,,
१६	गोपालपुर	,,
१७	चिन्तावर	,,
१८	नदीना नगला लक्षी	,,
१९	लरहोटा	,,
२०	बीघेपुर	,,
२१	समामई रोहल	,,
२२	बाहनपुर	,,
२३	देदामई	,,
२४	टुकसान	,,
२५	नलगाल गुरहू	,,
२६	उसवा	,,
२७	सठिया	,,
२८	रघुआ	,,
२९	रहाना	,,
३०	बरौली	,,
३१	सितारी	,,
३२	सूसायत खुर्द	,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	तहसील
१	२	३
३३	सिंहर	,,
३४	मोहाना	,,
३५	पुन्नेर	,,
३६	उटरा	,,
३७	चितावर	,,
३८	लौहर्रा	,,
३९	दादनपुर ढकपुरा	,,
४०	नगला खेरियां	,,
४१	नगला भारा	,,
४२	मोहमपुर	,,
४३	भांगसा	,,
४४	मिरगामई	,,
४५	सीबर अकबरपुर	,,
४६	जसराना	,,
४७	सहबादपुर	,,
४८	दरियापुर	,,
४९	अरनी	अतरौली
५०	सहावली	,,
५१	सहदआलमपुर	,,
५२	खानपुर	,,
५३	बुड्ढा गांव	,,
५४	चन्डोसी बुजुर्ग	,,
५५	सिंगपुर हिम्मतपुर	,,
५६	सिकरना खुर्द कलान	,,
५७	सालपुर	,,
५८	मैना	,,
५९	टिकता	,,
६०	चपीटा	,,
६१	कमालपुर	,,
६२	सूरजपुर	,,
६३	नेरीठा	,,
६४	मोनियां	,,
६५	सूरतगढ़	,,
६६	पिपलोई	,,
६७	चखेतूल	,,
६८	बेमवीरपुर	,,
६९	जिझरकों	,,
७०	बहूरावत	,,
७१	भवीगढ़	,,

विधान सभा

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	तहसील
१	२	३
७२	मओपुर	अतरौला
७३	बदहेसेरा	,,
७४	रेखूला	,,
७५	कन्डोली	,,
७६	महगवान	,,
७७	सघोरा	,,
७८	हेवतपुर	,,
७९	जमुना	,,
८०	भमारी खुर्द	,,
८१	किरघला	,,
८२	बुलापुर	,,
८३	तहरी	,,
८४	बजातऊ	,,
८५	बहादुरपुर	,,
८६	आलमपुर पत्तेहपुर	,,
८७	नाह	,,
८८	मौरथल	,,
८९	अक्षक	,,
९०	बिलौता–चितरासी	,,
९१	बढ़ारी–बुजुर्ग	,,
९२	बाजीदपुर	,,
९३	नहल	,,
९४	सीकरा	,,
९५	लहरा सलीमपुर	,,
९६	कारस	इगलास
९७	कजरोठ	,,
९८	नगवान	,,
९९	हैवतपुर	,,
१००	हस्तपुर चंदफरी	,,
१०१	नगला बलराम	,,
१०२	गिडोरा	,,
१०३	मोहरानी	,,
१०४	फरिल	,,
१०५	बरौठ	,,
१०६	न० सेवासी	,,
१०७	डिगसारी	,,
१०८	नगला मोहन	,,
१०९	भन्ती	,,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	तहसील
१	२	३
११०	विदरका	इगलास
१११	जथौली	,,
११२	कनौरा	,,
११३	नगला जगदेव	,,
११४	बेलौठ	,,
११५	बेसवां टाउन	,,
११६	साथनी	,,
११७	गोन्डा	,,
११८	पिन्दापुर	,,
११९	मुकन्दुपर	कोल
१२०	बौठना	,,
१२१	नगौला	,,
१२२	भरतूजा	,,
१२३	काउपुर	,,
१२४	अमरौली	,,
१२५	पोखरगढ़ी	,,
१२६	तालिमनगर	,,
१२७	नोहटी	,,
१२८	कस्तली	,,
१२९	ऐसोपला	,,
१३०	मैनथ	,,
१३१	चाउपुर	,,
१३२	राजमउ	,,
१३३	सरायन मदन गढ़ी	,,
१३४	भोजपुर	,,
१३५	सिकारना	,,
१३६	बरौठा	,,
१३७	बिसवानपुर	,,
१३८	कलुआ	,,
१३९	हुसनपुर बुजुर्ग	,,
१४०	थोरा पलाम	,,
१४१	भुकरावला	,,
१४२	जगलगढ़ी	,,
१४३	भरतरी	,,
१४४	राना	,,
१४५	मदेसी	,,
१४६	डिगसई	,,
१४७	आबूपुर	,,
१४८	बड़ागांव और उछलाना	,,

सत्यमेव जयते

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	तहसील
१	२	३
१४९	केशोपुर गडराना	कोल
१५०	पालोरजापुर	,,
१५१	बरौला जपराबाद	,,
१५२	मीरपुर	,,
१५३	छलेसर	,,
१५४	मैनमरी	,,
१५५	कुआरसी	,,
१५६	कलई	खेट
१५७	सहरोई	,,
१५८	पहावटी	,,
१५९	खानपुर थानपुर	,,
१६०	टिकरी भावपुर	,,
१६१	अंचना	,,
१६२	नगुना सगुना	,,
१६३	नगौला	,,
१६४	उदयगढ़ी	,,
१६५	मरकी	,,
१६६	चिवनपुर अहमदपुर	,,
१६७	जनैरा	,,
१६८	बिसारा	,,
१६९	मथौला	,,
१७०	दमका	,,
१७१	मगौरा	,,
१७२	मऊ	,,
१७३	सधामई	सिकन्दरा राऊ
१७४	बकेन	,,
१७५	महवा	,,
१७६	नरोई	,,
१७७	सिन्धौली	,,
१७८	चांदपुर मिरजा	,,
१७९	लदाना	,,
१८०	महामई	,,
१८१	रामपुर	,,
१८२	टिगरी बुजुर्ग	,,
१८३	नानऊ	,,
१८४	जिराली खुर्द	,,
१८५	बरई शाहपुर	,,
१८६	पीपल गांव	,,
१८७	सहावली	,,
१८८	शाहगढ़	,,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०८ एल० ए०—१९७१—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा